लोक-सभा

बुधवार,
२४ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

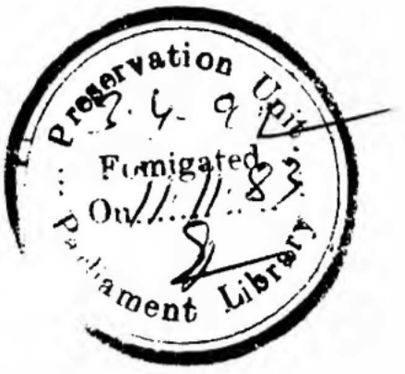

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

बुधवार , गस्त १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उतर

लाहौरी गेट का ऊपरी पुल

*१०६५. **श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौरी गेट-सदर बाजार पुल को चौड़ा करने के लिये विभिन्न प्राधिकारियों के मध्य एक समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) उनके मध्य कार्य की लागत तथा उत्तरदायित्व का क्या नियतन किया जायेगा;

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ङ) कार्य वास्तव में कब प्रारम्भ होगा; और

(च) उसके किस तिथि तक सम्पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह कार्य दिल्ली राज्य लोक निर्माण विभाग तथा उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है ।

(ग) और (घ). कुल अनुमानित लागत ४,४२,३०० रुपये है । रेलवे २६,००० रुपये देगी और शेष व्यय इस अनुपात से वहन किया जायेगा । १/१६ दिल्ली सुधार प्रन्यास द्वारा, १/३ दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा, १/४ दिल्ली राज्य सरकार द्वारा और १/४ केन्द्रीय सड़क निधि में से ।

(ङ) इस कार्य के तुरन्त ही प्रारंभ कर दिये जाने की आशा है ।

(च) इस कार्य के पूर्ण होने में कोई १२ महीने का समय लगेगा ।

श्री राधा रमण : विभिन्न सम्बद्ध अधिकारियों के मध्य हम पुल को चौड़ा करने से सम्बन्धित वास्तविक बातचीत कब प्रारम्भ हुई थी और किसने उसे प्रारम्भ किया था और उन प्राधिकारियों द्वारा क्या मूल्य प्रस्थापना प्रस्तुत की गई थी ?

श्री शाहनवाज खां : यह बातचीत अभी हाल ही में प्रारम्भ की गई थी । सम्बन्धित पक्ष वही थे जिनका मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है ।

श्री राधा रमण: मैं वह निश्चित तिथि जानना चाहता था जब कि यह बातचीत प्रारम्भ की गई थी ।

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास इस समय यहां ठीक ठीक सूचना नहीं है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय यह पुल बहुत असुविधा का कारण बना हुआ है । समझौता करने में पहले ही बहुत अधिक समय लग गया है । क्या सरकार यह देखेगी कि कार्य बहुत शीघ्र समाप्त हो जाये ।

श्री शाहनवाज खां : कार्य इसी मास प्रारम्भ किया जाने को है और यह एक वर्ष से पहले ही समाप्त हो जायेगा ।

रेलवे को हुई हानि

*१०६६. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में जाली पुलिस वारन्टो पर टिकट जारी करने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को भारी हानि उठानी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई;

(ग) ऐसी हानि वस्तुतः किस कालावधि में हुई;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ). सितम्बर १९५४ में सेवान स्टेशन पर पुलिस का जाली वारन्ट दिखा कर टिकट लेने के एक मामले का पता लगा था । इस मामले में बिहार पुलिस अभी जांच कर रही है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि रेलवे को अगर इससे कुछ नुक्सान हुआ है तो वह कितना है और इस तरह की जालसाजी कब से चल रही थी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के काम जो किये जाते हैं उन में क्या तरीके अख्त्यार किये गये ?

श्री शाहनवाज खां : तरीका यह था कि पुलिस महकमे के दफ्तर के लोग अपने आफिसर्स से वारन्ट के ऊपर पहले दस्तखत करा लेते थे थोड़े आदमियों के लिये । जब दस्तखत हो जाते थे तो वारन्ट पर जो थोड़े आदमियों की तादाद होती थी उसको मिटाकर तादाद को बढ़ा लेते थे, और फिर टिकट खरीदकर उनको पब्लिक को बेच देते थे ।

श्री एस० एन० दास : सबसे पहले कब यह बात सरकार के ध्यान में आई और सरकार ने इस सम्बन्ध में कि आगे से ऐसी बातें न हों, कौन कौन सी कार्यवाहियां की हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सबसे पहले यह बात सितम्बर, १९५४ में सरकार के नोटिस में आई जब कि ग्राम सभापति रामसुभाग सिंह ने हमको खत में यह इत्तला दी थी कि कोई पुलिस दफ्तर के लोग और रेलवे कर्मचारी मिलकर इस किस्म की जालसाजी कर रहे हैं । इस खबर के मिलने पर हमने यह चीज पुलिस को दे दी और यह लोग पकड़े गये ।

श्री एस० एन० दास : जब इस मामले में यह आशंका की जाती है कि पुलिस वाले भी शामिल हैं तो क्या इस बात की एन्क्वायरी के लिये किसी दूसरे

प्रदेश की पुलिस को अधिकार दिया गया है या वहीं के पुलिस वाले इस बात की एन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वहीं की पुलिस एन्क्वायरी कर रही है । मैं ऐसा मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वहां की सारी की सारी पुलिस करप्ट है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पुलिस आफिसर्स और रेलवे के कर्मचारी दोनों मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरह की कार्यवाही किन्हीं और जोन्स में भी हो रही है ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तक ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है ।

भोजन व्यवस्था

*१०६८. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री २२ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब रैस्टोरैंटों तथा रेलवे की भोजन तथा अल्पाहार गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की दरों को प्रमाणीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : क्या सभा-सचिव महोदय को यह तथ्य ज्ञात है कि जिस प्रकार का भोजन दिया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है, उसकी तुलना में इन भोजन गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की दरें बहुत अधिक हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि सभा को ज्ञात है, भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक समिति, जो कि अलगेशन समिति के नाम से विख्यात है, नियुक्त की गई थी । उक्त समिति ने सितम्बर १९५४ में भारतीय उपहार गृहों में परोसे जाने वाले भोजनों के मूल्यों को निश्चित कर दिया था परन्तु भोजन की गाड़ियों के लिये कोई दरें निश्चित की गई थीं । उनमें मूल्यों को निश्चित करने का कार्य रेलवे को सौंप दिया गया था और हमने रेलवेज से एक प्रतिवेदन मांगा है । उक्त प्रतिवेदन के एक सितम्बर तक प्राप्त हो जाने की आशा है । जब प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा, उसे भोजन व्यवस्था समिति के समक्ष रखा जायेगा और वह मूल्य निश्चित करेगी ।

श्री डाभी : माननीय मन्त्री ने पिछले आयव्ययक भाषण में यह कहा था कि समुचित स्तर तथा सेवा को सुनिश्चित करने के हेतु भोजन व्यवस्था संस्थाओं का निरीक्षण किये जाने के विषय में उन्होंने रेलवे बोर्ड को यह सुझाव दिया था कि इस कार्य के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जाये क्या इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि निम्न दरों के निर्धारित किये जाने के पश्चात भोजन की किस्म और उसकी सूची में बहुत कमी आ गई है, और यदि आप अच्छा भोजन

मांगो हैं तो भोजन व्यवस्थापक द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि अलाकार्त अर्थात 'बीजक के अनुसार मूल्य' के आधार पर भोजन मांगना अधिक अच्छा होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमें इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु हमें इस सम्बन्ध में शंका करने का कोई कारण नहीं है कि प्रमाणित दरों के लागू किये जाने के बाद से भोजन की किस्म में गिरावट आ गई है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार किन्हीं स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था को स्वयं ले लेने का विचार कर रही है, यदि हां तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं और क्या दरें निश्चित की जायेंगी ?

श्री अलगेशन : जी हां ! प्रत्येक रेलवे पर कुछ स्टेशनों पर प्रयोगात्मक रूप से विभागीय आधार पर भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध करने की प्रस्थापना की गई है । उन विशिष्ट स्टेशनों का निर्णय अभी रेलवेज़ द्वारा नहीं किया गया है । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, जिस संस्थापन को विभागीय भोजन व्यवस्वथा के लिये लिया जायेगा । वहां ऐसे उपहारगृह होंगे जहां निश्चित मूल्य लागू किये हुए हैं ।

पर्यटन

*१०६९. **श्री झूलन सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में पर्यटन के विकास के हेतु कौन कौन सी नई रेलवे लाइनें अथवा सड़कें बनाई गई हैं अथवा बनाये जानें की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५०]

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार में होने वाले बुद्ध जयन्ती समारोह के लिये कोई व्यापक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हां, श्रीमान् । हम वास्तव में व्यापक प्रबन्ध कर रहे हैं और ६३,६८,००० रुपये की एक रकम विश्राम गृहों का उपबन्ध करने, तथा बौद्ध तीर्थ-स्थानों को जाने वाली सड़कों की मरम्मत तथा सुधार करने के लिये अलग रखी गई है ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समारोह में आने वाले यात्रियों को सुविधायें देने के लिये भी कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे विचार में इस समय कुछ कहना समय से पहले की बात होगी; जब समय आयेगा हम उस पर विचार करेंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि आगरे में काफी टूरिस्ट आते हैं, उनके वास्ते किसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : आगरे में तो पहले से ही बहुत सड़कें हैं, साहिब ।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश के कोने कोने से करीब एक लाख यात्री प्रतिवर्ष बद्रीनाथ जाते हैं, पर अभी तक वहां न रेलगाड़ी का कोई इन्तज़ाम है और न मोटर सड़क ही बन पाई है ? क्या इस में कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : एक सड़क हरिद्वार से बद्रीनाथ तक जाती है उस

सड़क के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने कोई दो ढाई लाख रुपये देने की पेशकश यू० पी० गवर्नमेन्ट से की है ।

श्री सारंगधर दास : क्या उड़ीसा में पुरी से कोणार्क तक की सड़क बनानी प्रारम्भ कर दी गई है; और इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इसके लिये हमने धन की मंजूरी दे दी है । कार्य तो राज्य सरकार द्वारा किया जाना है । मुझे ज्ञात हुआ है कि वह अभी तक इस कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सकी है ।

भारतीय नौ-वहन

***१०७०. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११.५ करोड़ रुपये की जो कुल व्यवस्था है उसम से विभिन्न भारतीय नौवहन कम्पनियों को अभी तक कितना ऋण दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : संशोधित पंचवर्षीय योजना के अन्दर हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों को कर्ज़ देने के लिये करीब २२ करोड़ का प्रबन्ध है । इस रकम में से अब तक १८.२३ करोड़ रुपय बतौर क़र्ज़ के मंजूर कर दिये गये हैं और आशा है कि बाकी रकम भी वित्तीय वर्ष में ही मंजूर कर दी जायेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : नौवहन समवायों द्वारा सम्पूर्ण राशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि यही प्रश्न कल ही माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों को समझाया गया था । राशि मंजूर कर दी गयी है । परन्तु ऋण के मंजूर होते ही, सारी की सारी राशि एक हीं बारी में नहीं निकाल ली जाती है । विदेशी पोत-घाटों के साथ यह प्रबन्ध किया हुआ है कि उन्हें कई बारियों में धन की आदायगी की जाती है । नौवहन समवाय उस धन को आवश्यकता के अनुसार कई किस्तों में प्राप्त करते हैं ।

श्री नानादास : क्या किसी राज्य सरकार ने इस धन-राशि से कोई ऋण मांगा है ?

श्री अलगेशन : ये ऋण तो नौवहन समवायों को ही दिये जाने के लिये है । कोई भी राज्य सरकार नौवहन समवाय नहीं चला रही है ।

तीसरे दरजे के डिब्बे

***१०७१. श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मद्रास-मंगलौर एक्सप्रैस में लगाये जाने वाले तीसरे दरजे के डिब्बे पूराने और ज़ीर्ण हैं;

(ख) क्या सरकार को इसके बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसक विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ए० एम० थामस : हम बहुत से यात्री डिब्बे बनाते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या रलवे बोर्ड ने इन यात्री डिब्बों के विभिन्न मंडलों में उचित

प्रकार से वितरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है, और यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य पूर्ण विश्वास रखें कि भण्डार में आने वाले सभी यात्री डिब्बों को अत्यन्त उचित प्रकार स वितरित किया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस लाईन पर सभी डिब्बे पुरानी रिबटों वाले यात्री डिब्बे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : स्पष्टतया सभी प्रकार के यात्री डिब्बे हमारी रेलवेज़ में अभी तक चल रहे हैं ।

श्री कामत : क्या अच्छे सभी ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार के पास पुराने और जीर्ण यात्री डिब्बों की कोई सूची है, और उन्हें बदलने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम जीर्ण यात्री डिब्बों की कोई सूची नहीं रखते हैं । सभी जीर्ण यात्री डिब्बों की मुरम्मत की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस प्रश्न का वास्तविक सम्बन्ध तो एक विशेष गाड़ी मद्रास-मंगलौर एक्सप्रैस से है । उस गाड़ी के सम्बन्ध में हमारे पास जो जानकारी है वह यह है कि तीसरे दरजे के सभी डिब्बे अपेक्षाकृत नये हैं । इसलिये ऐसी स्थिति में जैसा कि कहा गया है, उन्हें अधिक पुराना हो जाने के कारण अथवा उनकी हालत को दृष्टि में रखते हुए उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

टिड्डियां

*१०७२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस चालू वर्ष में टिड्डियों द्वारा देश की फसल पर किये गये आक्रमण का क्या परिणाम हुआ है; और

(ख) क्या टिड्डियों के आक्रमणों की रोक थाम करने के बारे में कोई नयी योजना बनायी गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) इस चालू वर्ष में देश की फसलों की टिड्डियों के आक्रमणों के परिणाम स्वरुप कोई विशेष क्षति नहीं उठानी पड़ी है ।

(ख) उपायों को बदलने की दृष्टि से कोई भी नयी योजना नहीं बनायी गयी है, परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों के समान इस वर्ष भी तैयारी की एक योजना बनायी गयी है, और गत-अनुभवों की दृष्टि से इसमें सुधार भी किया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : आक्रमण कैसा भी क्यों न हो, क्या ये टिड्डियां कहीं बाहर से आती हैं अथवा वे हमारे देश में ही जन्म लेती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस वर्ष टिड्डियों का आक्रमण पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा बहुत कम रहा है । यह अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया है और सभी राज्य में हुआ है ।

श्री कासलीवाल : इस तथ्य में ध्यान में रखते हुए कि टिड्डियों का आक्रमण लगभग प्रति वर्ष होता है, क्या सरकार इस आपत्ति के निवारण के लिये किसी दीर्घकालीन योजना के अनुसार काम कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां । संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन

के सहयोग से, हम एक बहुत ही दीर्घ कालीन योजना के अनुसार काम कर रहे हैं।

श्री कासलीवाल : इस दीर्घकालीन योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

डा० पी० एस० दशमुख : वैज्ञानिक कार्यवाहियों द्वारा सहायता, अरब तथा अन्य देशों में टिड्डियों के जन्म पर नियंत्रण रखना और जब वे वास्तव में भारत में भी जन्म ले रही हों तो उन्हें मारने के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाहियां करना।

श्री राघवैया : इस बात को ध्यान में रखते हुए ये टिड्डी आक्रमण बाहर से होते हैं अर्थात राष्ट्र मंडल के किन्हीं अन्य देशों से होते हैं, क्या हमारी सरकार ने उन सभी देशों की जहां से ये टिड्डीयां आती हैं और इस देश को हानि पहुंचाती हैं, एक बैठक आयोजित करने के बारे में कोई उपक्रम किया है?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता कि क्या इस प्रश्न को राष्ट्र मण्डलीय स्तर पर लिया गया है। परन्तु पाकिस्तान राष्ट्र मण्डल का एक सदस्य है और जहां तक टिड्डियों की रोक थाम का सम्बन्ध है हमारा पाकिस्तान से सम्बंध है।

लोक-स्वास्थ्य विधेयक

*१०७४. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५२१ के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक आदर्श लोक स्वास्थ्य विधेयक का प्रारूप तैय्यार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया हैं और सरकार को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने दिनों तक इस पर आखिरी फैसला किया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : रिपोर्ट अभी छप रही है और फिर इस के बारे में स्टेटस के साथ सलाह मशविरा किया जायगा और फिर जो तय होगा उस के मुताबिक काम किया जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

राजकुमारी अमृत कौर : यह प्रतिवेदन जब प्रकाशित हो जायेगा तो इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा, और माननीय सदस्य उसे पढ़ सकेंगे।

केंद्रीय ज्योतिषीय वेधशाला

*१०७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में एक केंद्रीय ज्योतिषीय वेधशाला को स्थापित करने के लिये किन किन स्थानों की छान बीन की जा रही है या की जा चुकी है; और

(ख) उनके बारे में विशेषज्ञों ने क्या विचार प्रकट किये हैं?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उज्जैन, इन्दौर और उदयपुर क्षेत्र क निकट के स्थान, दौलताबाद-औरंगाबाद क्षेत्र और मध्य प्रदेश में सोनइट-अमरकंटक क्षेत्र ।

(ख) सन् १९४९-५१ के दो वर्षों में इन्दौर विमान क्षेत्र पर वायुमण्डल की पारदर्शता के अवलोकन किये गये । इन अवलोकनों से मालूम हुआ कि इंदौर क्षेत्र उपयुक्त नहीं है । दिसम्बर १९५३ से उज्जैन के जीवाजी अवलोकनालय में दर्शता की अवस्था के अवलोकन किये जा रहे हैं और ये दो वर्षों तक जारी रहग । केंद्रीय ज्योतिषीय अवलोकनालय को स्थापित करन के लिये इकट्ठी कीं हुई सामग्री की उसकी उपयुक्ता मालूम करने की दृष्टि से बारीकी से जांच की जायगी ।

उदयपुर के पास के भेत्री नें दौलताबाद-औरंगाबाद क्षेत्र में लगभग दो वर्षों के लिये दर्शता की अवस्था के अवलोकन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रूप से विचाराधीन है । मध्य प्रदश में सोनहट-अमरकंटक के आस पास के क्षेत्र में दर्शता की अवस्था के अवलोकन करने क लिए स्थान चुनने के क्षेत्र में दर्शता की अवस्था में अवलोकन करन के लिय स्थान चुनने के हेतु शीघ्र ही निरीक्षण का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कब से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और कब तक इस के बार में अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा की जा सकती है तथा निर्णय करते वक्त किन किन तथ्यों और सुविधाओं को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री राज बहादुर : ज्योतिषीय वैधशाला की सलाहकार समिति ने सर्व प्रथम अप्रैल, १९४९ में यह सुझाव हमारे सामने रखा था कि उज्जैन में, जो कि प्राचीन काल में भारत का ग्रीनविच के नाम से प्रसिद्ध था, फिर से एक आबजरवेटरी स्थापित की जाय । उसके उपरांत इस विषय में भिन्न भिन्न जगहों पर हालत का काफी अध्ययन किया जा रहा है । हाल में ही सलाहकार समिति ने एक ७४ इंच वाले टेलीस्कोप की स्थापना की सिफारिश की गई है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ वर्ष पहले इस बात पर भी विचार किया गया था कि बद्रीनाथ में एक ऊंचे स्थान पर एक हाई आल्टीच्यूड आवजरवेटरी बनायी जाय ? क्या मैं जान सकता हूं कि अब उस विषय में क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : बद्रीनाथ में तो ज्यादा से ज्यादा एक छोटी आबजरवेटरी बनाने का ही विचार हो सकता है, वहां पर बड़ी आबजरबेटरी नहीं बन सकती है क्योंकि आबजरवेटरी स्थापित करने क लिय यह देखा जाता है कि साल में अधिक से अधिक कितने दिन उस स्थान पर ऐसे होते हैं कि जब बादल नहीं होते । अगर बादल होते हैं तो हम आसमान को नहीं देख सकते । और ऐसा स्थान आबजरवेटरी के लिये उपयुक्त नहीं माना जा सकता ।

डा० रामा राव : उस मुख्य दूर दर्शक का व्यास कितना है जिसे कि यहां पर लगाया ज को और इस

स्टेशन पर कितना खर्च करने की प्रस्थापना है ?

श्री राज बहादुर : परामर्शदात्री समिति ने पहले तो ये सिफारिशें दी थीं कि हमें उज्जैन में दो दूरदर्शक यंत्र रखने चाहियें, उन में से एक तो लगभग ४ १/२ से ५ इंच तक के व्यास का हो, और दूसरा १५ इंच के व्यास का हो। प्रथम तो प्रदर्शन कार्यों के लिये और द्वितीय वास्तविक निरीक्षण कार्यों के लिये होगा। परन्तु बाद में, १९५४ में समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि प्रस्थापित वेधशाला में एक ७४ इंच का एक दूरदर्शक यंत्र होना चाहिये ताकि उसे देखने तथा छाया चित्र लेने के दोनों कामों के लिये प्रयुक्त किया जा सके।

योजना सैल्स

*१०७९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सभी रेल खंडों में योजना सेलस स्थापित कर दिये गये हैं जैसा कि उन्होंने अपने १९५५-५६ के आयव्ययक सम्बन्धी भाषण में कहा था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खंड में उनमें कितने पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी काम पर लगाये गये हैं ;

(ग) उन पर कितना वार्षिक व्यय होगा; और

(घ) क्या यह सैल्स स्थायी आधार पर स्थापित किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। दक्षिण-पूर्व रेलवे को छोड़ कर जो १-८-'५५ [illegible] की गयी

(ख) और (ग): सूचना मंगायी जा रही है और आने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) जी नहीं।

श्री के० सी० सोधिया : इन सैल्ज़ का काम क्या है ?

श्री अलगेशन : प्रश्न स्वयं ही व्याख्या करता है। ये संयोजन सैल्ज हैं और वे प्रत्येक रेलवे से सम्बंध रखने वाली योजना को सूत्रित करने और प्रस्थापित करने के लिये हैं। बोर्ड के स्तर पर भी एक संयोजन सैल है।

श्री के० सी० सोधिया : पिछले पांचसाला प्लान में यह काम कौन सी एजन्सी करती थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : प्लानिंग सैल तो नया बनाया गया है। पिछले साल तो रेलवे बोर्ड ही प्लानिंग के सारे काम को देखता था और चलाता था, मगर अब हम ने रेलवे बोर्ड में एक प्लानिंग सैल बनाया है और इसके बाद रेलवे के हर एक जोन में एक प्लानिंग सैल बना रहे हैं।

श्री के० सी० सोधिया : नये पांचसाला प्लान में जो नई व्यवस्था की जा रही है उसी के सम्बन्ध में यह काम किया जा रहा है, या बाकी डेवेलपमेंट के साथ इसका सम्बन्ध है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : खास तौर पर जब नई पांच-साला प्लान में हमारा काम होगा, उसके सम्बन्ध में यह काम

रेल के पुल

*१०८१. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सहजनवा और डोमिनगढ़ के बीच दो रेल के पुलों को डैक करने के सुझाव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). इन पुलों को डैक करने के सुझाव पर रेलवे पुल-सड़क कमैटी अभी विचार कर रही है । रोहीन और काकड़ा पुलों पर पैदल चलने वालों के लिये रास्ते बनाने में जो ख़र्च होगा, उसकी मंजूरी राज्य सरकार से मिल गयी है । इस्पात मिलतें ही काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कमैटी कब से विचार कर रही है और वह कब तक विचार करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त कोई ख़ास तारीखें तो मेरे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कमैटी को इस मामले पर विचार करते हुए काफी अर्सा हो गया है । ख्याल है कि जल्द ही अगले डेढ़ दो महीने में कमैटी की रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि इन पुलों के डैक न होने की वजह से लड़ाई के बाद से, जब कि इनको उखाड़ दिया गया था, बाढ़-पीडित जनता को बहुत तकलीफ़ होती है और आदमियों और मवेशियों की कई जानें चली जाती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस सिलसिले में — इस पुल के डैकिंग के बारे में — उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया कि क्या वह चाहती है कि इनकी डैकिंग कायम रखी जाय, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका जवाब दिया था कि इनकी डैकिंग रखने की ज़रूरत नहीं है । लिहाज़ा वह इन्तज़ाम बदला । अब नये सिरे से इन्तज़ाम करने में कुछ वक्त लगेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नहीं लिख भेजा है कि ये तीनों पुल डैक कर दिये जायें ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां, हाल में ही भेजा है, इसीलिये तो मैंने कहा कि कुछ वक्त लगेगा ।

तेल गवेषणा स्टेशन

*१०८३. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आन्ध्र सरकार ने अनन्तपुर की तेल-औद्योगिक संस्था को एक तेल गवेषणा स्टेशन के रूप में विकासित किये जानें कें लिये केन्द्रीय सरकार को सौंप देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या केंन्द्रीय सरकार वहां एक तेल गवेंषणा स्टेशन स्थापित करने की प्रस्थापना करती है;

(ग) यदि हां, तो उस पर लगभग कितना खर्च करने की प्रस्थापना है; और

(घ) क्या सरकार ने आन्ध्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, यदि आन्ध्र सरकार से हो रही बात चीत सफ़ल हो गयी।

(ग) २५ लाख रुपये।

(घ) इस मामले पर अभी तक भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति और आंध्र सरकार के मध्य बातचीत हो रही है।

डा० रामा राव : क्या प्रस्थापित संस्था में कोई औद्योगिक कक्षायें होंगी और एक प्रशिक्षण संस्था भी इससे सम्बद्ध होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्थापना के सम्बन्ध में सारा ब्योरा नहीं दे सकता, क्योंकि यह सारा कार्य आगामी पंचवर्षीय योजना में किया जाना है, और क्या क्या प्रबन्ध किये जाने वाले हैं इसके बारे में मेरे पास कोई ब्योरा नही है।

डा० रामा राव : क्या सरकार के पास भारत में कहीं भी वनस्पतिक तेल से सम्बन्धित कोई शिक्षा-संस्था है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं निश्चय से नहीं कह सकता कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी संस्था है, परन्तु मैं यह जानता हूं कि कुछ एक विश्वविद्यालयों में ऐसी संस्थायें हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : किस विश्वविद्यालय में ?

डा० पी० एस० देशमुख : उदाहरणार्थ नागपुर विश्वविद्यालय में।

श्री सारंगधर दास : क्या कानपुर औद्योगिक संस्था में एक तेल विभाग है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लये मुझे पूर्वसूचना की आवश्वकता है।

श्री राघवैया : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह तिलहन समिति से परामर्श कर रहे हैं। इन बातचीत के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है, लगभग किस तिथि तक ?

डा० पी० एस० देशमुख : तिलहन समिति को बैठक अक्तूबर में होगी, और मुझे विश्वास है कि उस समय वह इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करेगी।

नेपाल को बुकिंग सम्बन्धी सुविधाएं

*१०८५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुकिंग सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं के न होने के कारण दिल्ली से नेपाल को होने वाले कपड़े के निर्यात में काफी कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़े के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के निर्यात में भी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) असल में १७-२-५५ के बाद दिल्ली से नेपाल भेजने के लिए सूती कपड़ों की कोई बिल्टी नहीं आयी।

(ख) अगर यहां से नेपाल माल भेजने में कोई कमी हुई भी है, तो इसका कारण यह नहीं है कि दिल्ली में माल बुक करने की सहूलियतें काफी नहीं हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या दिल्ली स्टेट की ट्रेड एन्क्वायरी कमेटी ने रेलवे प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि नेपाल के लिए बुकिंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन हकीकत वही है, जो कि अभी मैं ने ब्यान की है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : तो फिर उन्होंने इसके लिए सुविधा क्यों मांगी थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : किस बात की सुविधा मांगी थी ? माननीय सदस्य का सवाल साफ नहीं है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अगर पहले से ही दिल्ली के लिए सुविधा रहती—अगर किसी भी क्लाथ मर्चेन्ट को बुकिंग की दिक्कत नहीं रहती तो फिर दिल्ली स्टेट की ट्रेड एन्क्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन्ज़ किस बात के लिए भेजी ? क्या इसी बात के लिए नहीं कि नेपाल के लिए सुविधा पर्याप्त नहीं है और दिल्ली के क्लाथ मर्चेंट्स का निर्यात रुक रहा है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे इस वक्त पूरा ब्यौरा तो मालूम नहीं है और न इस वक्त उस में जा सकता हूं, लेकिन कभी कभी तो बन्धन कई जगह के लिए लगाये जाते हैं। जैसे एक माल को हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है, तो दूसरे माल को रोकना पड़ता है । हो सकता है कि किसी वक्त बंधन लगा हो, लेकिन जवाब से मालूम होता है कि वह बहुत क्षणिक रहा होगा और अब साधारण इन्तज़ाम हो रहा है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या अब भी निर्यात व्यापार के लिए पर्याप्त सुविधा दी जाती है ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त नेपाल के लिए कोई आउट-स्टैंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है ।

अनुज्ञप्ति प्राप्त डाक्टरी (एल० एम० पी०) कर्मचारियों को प्रशिक्षण

*१०८९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भाग (ग) तथा (घ) राज्यों से संबंध रखने वाले डाक्ट्री अनुज्ञप्ति प्राप्त (एल० एम० पी०) व्यक्तियों के लिये संघनित एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, (१) तो अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, और (२) इस समय कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ग) इसका क्या कारण है कि कुछ संस्थायें प्रति व्यक्ति फीस लेती हैं, जबकि कुछ संस्थायें नहीं लेतीं ; और

(घ) क्या प्रति व्यक्ति शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है अथवा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) (१) २३; (२) १४ ।

(ग) केवल मध्य भारत के मैडिकल कालिजों में प्रति व्यक्ति फीस लिया जाता है। संभवतः राज्य सरकार वित्तीय कारणों से यह फीस लेती है।

(घ) प्रशिक्षार्थियों द्वारा।

श्री रिशांग किशिंग : यह योजना कितनी देर तक चलेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): जब तक सरकार यह अनुभव करती रहेगी कि इस योजना की आवश्यकता है और जब तक अल्पीकृत पाठ्यक्रम के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त लोगों से प्रार्थना आती रहेगी, तब तक यह योजना चलती रहैगी।

श्री रिशांग किशिंग : प्रतिव्यक्ति फ़ीस के रूप में कितनी राशि दी जाती है? और चूंकि व सब सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं, तो उन प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रतिव्यक्ति फ़ीस क्यों दी जाती है, और सरकार द्वारा क्यों नहीं ?

राजकुमारी अमृत कौर : भारत सरकार को प्रशिक्षार्थियों के प्रति, जिन्हें प्रति व्यक्ति शुल्क देना पड़ता है, बड़ी सहानुभूति है, मध्य भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य सब राज्य सरकारों ने प्रति व्यक्ति शुल्क लेना छोड़ दिया है, मध्य भारत सरकार से कई बार इस बारे में अपील भी की गई है, किन्तु वह अभी इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती। भारत सरकार उन व्यक्तियों का, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति शुल्क देकर यथा संभव सहायता करती है।

श्री रिशांग किशिंग : अब तक कितने प्रशिक्षार्थियों ने प्रति व्यक्ति शुल्क दिया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं यह ब्योरा बताने में असमर्थ हूं।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पार्टी सी० आर० डी० स्टेट्स के मैडिकल लाइसेंशियेट्स हैं, उनको भी जो आल इंडिया मैडिकल रजिस्टर बनाया जायगा, उसकी सदस्यता प्राप्त होगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, हां। जो आल इंडिया मैडिकल काउंसिल ऐक्ट आवेगा, उसमें उनको भी रजिस्टर किया जायेगा।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*१०९०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के वर्तमान बढ़े हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार निकट भविष्य में उसके व्यय में कुछ कमी करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां। निकट भविष्य में स्टाफ में कुछ कमी करने का विचार किया जा रहा है।

(ख) पहली अक्तूबर १९५५ तक जिन पदों की कमी करने का विचार किया गया है, उनका ब्योरा सभा-पटल पर एक विवरण के रूप में रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्री नवल प्रभाकर : इस विवरण में दिया हुआ है कि १५७ आदमी कम हो जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उनके लिए क्या इन्तिजाम कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक तरफ तो हम चाहते हैं कि रिट्रेंचमेंट हो और दूसरी तरफ यह मुसीबत आती है कि किसी को निकालो मत। मगर इसको हम काफी अच्छी तरह से हल करने वाले हैं। जो यह १५७ आदमी दिये गये हैं इनमें से ६६ को तो हम उन जगहों में भरेंगे जो कि फिलहाल खाली हैं। और जिन ९१ को रिट्रेंच करेंगे उनको इसी ख्याल से करेंगे कि उनको आल्टरनैटिव एम्पलायमेंट दिया जाय।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि ये १५७ व्यक्ति बैकार हो जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख: जैसा कि मैं ने अभी बतलाया इनमें किसी को ज्यादा बेकार रहने का मौका नहीं है।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन में अधिक व्यय होने का एक कारण यह है कि संयुक्त राज्य की सेना द्वारा त्यागे गये २०० ट्रैक्टरों की मरम्मत करवाने पर काफी खर्च आया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन के पहले के संचालन में यह एक कारण था, किन्तु अब यह बहुत हद तक हट गया है।

श्री आर० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो कर्मचारी हटाये जा रहे हैं इनमें १,००० तनख्वाह पाने वाले कितने हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जितने आदमी कम होने वाले हैं उनकी तनख्वाहें तो स्टेटमेंट में दी हुई हैं। इनमें कम-से-कम एक तो ऐसा है जिसकी तनख्वाह ६०० से ११५० तक हो सकती है, दूसरे की तनख्वाह ८०० तक हो सकती है और एक की ५०० तक हो सकती है।

अधिक भीड़

***१०९१. श्री कामत:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में नई दूसरी श्रेणी के डिब्बों में होने वाली अत्यधिक भीड़ की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिक भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुछ उपखंडों (सेक्शनों) में कुछ गाड़ियों में नई दूसरी श्रेणी में अधिक भीड़ रहती है।

(ख) संबद्ध गाड़ियों में या तो पहली श्रेणी के खाली पड़े हुए स्थान का दर्जा गिराकर, अथवा यदि अधिक डिब्बे उपलब्ध हों और गाड़ियों में अधिक भार ढ़ोने की गुंजाइश हो तो अधिक डिब्बे लगाकर, अधिक स्थान की व्यवस्था की जाती है।

नई दूसरी श्रेणी के मिले-जुले डिब्बे भी बनाये जा रहे हैं।

श्री कामत: क्या सरकार निकट भविष्य में केन्द्रीय रेलवे पर यात्री और ऐक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरी श्रेणी के अधिक डिब्बे लगाने तथा थोड़े अधिक पैसे देकर उसी श्रेणी में सोने के स्थान का प्रबन्ध करने का भी, जैसा कि कुछ जनता गाड़ियों में होता है, विचार करती है ?

श्री अलगेशन : जहां तक नई दूसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने के स्थान का

सम्बन्ध है, ऐसा प्रबन्ध करने का कोई विचार नहीं किया गया है। हमारा इरादा है कि तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये तीसरी श्रणी में अधिकाधिक सोने के स्थान का प्रबन्ध किया जाये।

श्री कामत : दूसरी श्रेणी वालों के लिये क्यों नहीं ? क्या दूसरी श्रेणी के लोग नहीं सोते ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय रेलवे के जिन सैक्शनों पर अधिक भीड़ देखी गई थी, कुछ स्टेशनों का उल्लेख किया गया है जिनके नाम इस समय मेरे पास हैं। प्रत्येक रेलवे समय-समय पर गणना करती है। पूना, कल्याण और जलना स्टेशनों का उल्लेख किया गया है। उन स्टेशनों पर दूसरी श्रेणी में अधिक भीड़ की सूचना मिली थी।

श्री कामत : पहली श्रेणी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के सोने के स्थान की सुविधा देने के बारे में क्या सरकार यह समझती है कि दूसरी श्रेणी के यात्रियों को सोने की आवश्यकता नहीं होगी ?

श्री अलगेशन : हम यह नहीं समझते कि किसी व्यक्ति को सोने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु हम केवल दो श्रेणियों में सोने के स्थान का प्रबन्ध करने का विचार करते हैं। अब तक तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने का कोई स्थान नहीं होता था। माननीय सदस्य को यह विदित है। अब, तीसरी श्रणी के यात्रियों के लिये सोने के अधिकाधिक स्थान का प्रबन्ध करने का विचार है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर झगड़ा ना करके इस का स्वागत करेंगे।

श्री कामत : मैं इस बात पर झगड़ा नहीं करता, मैं इसका स्वागत करता हूं, परन्तु दूसरी श्रेणी के प्रति पक्षपात क्यों किया जा रहा है !

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या १०९३।

श्री कामत : मैं अगला अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कामत : पहली श्रेणी को हटाने तथा पुरानी दूसरी और डयोढ़ी श्रेणियों के स्थान पर उनका नाम पहली और दूसरी श्रेणी रख देने से क्या ठोस लाभ हुआ है ?

श्री अलगेशन : अब एक श्रेणी कम हो गई है।

श्री कामत : यह कोई वास्तविक लाभ नहीं।

एयर लाइन्स डकोटा की दुर्घटना

*१०९३. **श्री काजरोलकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस भारतीय एयर लाइन्स 'डकोटा' को क्या हानि हुई है, जो पहली अगस्त १९५५ को बम्बई में घावन पथ से उतर गया था ;

(ख) उतर कर गिरने का क्या कारण था ;

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विमान धावन पथ से नहीं उतरा किन्तु यह भारी वर्षा में उतरते हुए

लगभग २० फुट की ऊंचाई से गिर गया। नीचे का हिस्सा दब गया और इंजिनों को हानि पहुंची।

(ख) से (घ) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

श्री काजरोल्कर : क्या बम्बई के विमान-पत्तन पर धावन पथ ठीक और आधुनिक ढंग के हैं, विशेषतया १९४८ की के० एल० एम० के साथ हुई दुर्घटना के पश्चात् ?

श्री राज बहादुर : हम आवश्यकता के अनुसार बम्बई के धावनपथों को बढ़ाते रहे हैं और मैं समझता हूं वे बिलकुल ठीक और आधुनिक ढंग के हैं।

श्री काजरोल्कर: क्या धावन पथों का ठीक समय पर निरीक्षण होता रहता है और किस धावनपथ को साफ करने के लिये कौनसी मशीनरी प्रयोग में लाई जाती है ?

श्री राज बहादुर: धावनपथों का ठीक समय पर निरीक्षण होता रहता है, और इसे ठीक बनाये रखने के लिये पर्याप्त मशीनरी की व्यवस्था की गई है।

स्त्रियों को नौकरी रखना

*१०९४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्त्रियों की नौकरी के बारे में हैदराबाद स्वर्ण खान समवाय को भारतीय खान अधिनियम, १९५२ की धारा ४६ से मुक्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक मुक्ति दी गई है ; और

(ग) इस समय सोने की खानों में कुल कितनी स्त्रियां काम करती हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हैदराबाद स्वर्ण खान समवाय को कोई विशेष मुक्ति नहीं दी गई है। सब खानों को जिस सीमा तक मुक्ति दी गई है उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) हैदराबाद सोने की खानों में प्रतिदिन औसत ११० स्त्रियां काम करती है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था कि स्वर्ण खान समवाय अधिनियम की इस धारा का उल्लंघन कर रहा है, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली : मुझे ऐसी कोई बात विदित नहीं।

श्री नानादास : यह निश्चय करने के लिये कि स्त्रियों के निषिद्ध समय के अन्दर काम पर नहीं लगाया जाता, कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और वे कितनी बार उन खानों में इस बात का निरीक्षण करने गये हैं ?

श्री आबिद अली : यह निरीक्षणालय का ही एक कामों में काम है। यदि माननीय सदस्य पृथक सूचना दें, तो मैं वह जानकारी दे सकता हूं जो इस प्रश्न के दूसरे भाग में पूछी गई है ?

श्रीमती खोंगमेन : क्या फैक्टरियों में काम करने वाली स्त्रियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं सोने की खानों के काम करने वाली स्त्रियों को भी मिलती हैं ?

श्री आबिद अली : यह पृथक् अधिनियम है। फैक्टरियों के मजदूरों पर फैक्टरी अधिनियम लागू होता है।

श्री बी० एस मूर्ति : यह सुविधाओं के बारे में है।

श्री आबिद अली : मैं ठीक तरह नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है ?

श्रीमती खोंगमेन : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सोने की खानों में काम करने वाली उन स्त्रियों को वे सब सुविधायें दी जाती हैं जो अन्य फैक्टरियों में काम करने वाली स्त्रियां प्राप्त करती हैं ?

श्री आबिद अली : मैं अच्छी तरह समझ नहीं सका।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या फैक्टरियों में काम करने वाली और सोने की खानों में काम करने वाली स्त्रियों को समान स्तर पर रखा जायगा

श्री आबिद अली : वे समान स्तर पर नहीं हैं।

श्रीमती ए० काले : क्या इन स्त्रियों को उतनी ही मजूरी दी जाती है जितनी पुरुषों को ?

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*१०९५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एयर इन्डिया इंटरनेशनल की पूंजी के लिये अभी तक कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) उस पर कोई व्याज न लेने के क्या कारण है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अब तक एयर इंडिया इंटरनेशनल को सरकार द्वारा ६८९·९१ लाख रुपये का अग्रिम धन दिया जा चुका है।

(ख) क्योंकि भारत में वायु परिवहन उद्योग अभी विकास की प्रारम्भिक अवस्था ही में है और क्योंकि पुराने एवं घिसे-पिट यंत्रों आदि के बदलने में बहुत रुपयों का व्यय होगा, इस लिये यह निश्चय किया गया है कि पहिले पांच वर्षों के लिये अग्रिमकृत पूंजी पर दोनों निगमों से कोई व्याज न लिया जाय; इसके उपरान्त स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब तक सरकार ने इस एयरलाइंस कारपोरेशन को अपने हाथ में नहीं लिया था और इसको प्राइवेट लोग चलाते थे, तब इसमें लाभ होता था और जब से यह सरकार के हाथ में आ गई है, तब से इसमें नुकसान होने लगा है यदि यह सच है तो इसका क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह प्रश्न एयर इंडिया इंटरनेशनल के सम्बन्ध में है। जहां तक एयर इंडिया इंटरनेशनल का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के पहले भी इस में लाभ था और राष्ट्रीकरण के बाद भी इसमें लाभ होता है। दूसरी कम्पनियों का यहां प्रश्न नहीं है लेकिन मैं उनके बारे में स्थिति साफ कर देना चाहता हूं। जो दूसरी कम्पनियां थीं, प्रायः सभी को नुकसान होता था, सिर्फ एक कम्पनी जो थोड़े दिनों के लिए चली थी और जिसको कुछ विशेष सुविधाएं थीं, सिवा उस कम्पनी को छोड़ कर, किसी भी

कम्पनी को कोई लाभ नहीं हुआ । यह तो लोग कहते हैं कि हमें घाटा अधिक हो गया लेकिन एक स्टेटमैंट शायद कारपोरेशन की तरफ़ से सदस्यों के हाथ में आयेगा जिससे ज्ञात होगा कि अगर पहिले की कम्पनियां डेप्रीशियेशन फंडस में मुनासिब रकम डालती रहतीं अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देती रहतीं और दूसरे आवश्यक मदों में उचित खर्च करती रहती तो जितना घाटा हमको होता रहा है, उससे कम घाटा उनको नहीं होता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार ने इस संस्था को अपने हाथ में लिया है तब से इस में कितने और नये कर्मचारी बढ़ाये गये हैं और उन पर सलाना कितना व्यय होता है और पहले जो सलाना व्यय होता था, उसमें और अब में क्या अंतर है ?

श्री जगजीवन राम: सदस्य महोदय को अपनी दृष्टि में यह बात रखनी चाहिए कि उनका प्रश्न एयर इंडिया इंटरनेशनल के सम्बन्ध में है । जो सवाल उन्होंने किया है उसके आंकड़े तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल की सेवाओं का दूसरे मुल्कों में काफी विस्तार हुआ है और जिसके कारण हमको वहां काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक स्टेंटमैंट सभा-पटल पर रखेगी ?

श्री जगजीवन राम: अगर इस तरह की सूचना मिलेगी तो हम जवाब देंगे ।

श्री जयपाल सिंह: क्या सरकार एयर इंडिया इंटरनेशनल को व्याज रहित अथवा अन्यथा (ब्याज के साथ) अधिक ऋण देने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ताकि यह समस्त भूमण्डल में अपनी सेनाएं फैलाने में समर्थ हो सके ?

श्री जगजीवन राम: हमने अधिक पूंजी व्यय के लिये एयर इंडिया इंटरनेशनल की प्रार्थना को भी अस्वीकार नहीं किया है और जब भी एयर इंडिया इंटरनेशनल अपनी सेवाओं को अधिकाधिक बढ़ाने की दृष्टि से सरकार से प्रार्थना करेगा, तो इस आशय की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा ।

राष्ट्रीय देशनांक

***१०९८. श्री राम शंकर लाल**: क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने कृषि में क्षेत्रीय प्रयोगों के राष्ट्रीय देशनांकों के तैयार करने और बनाए रखने के लिये एक योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो देशनांक कब तक तैयार हो जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) पांच वर्षों में ।

चीनी सम्बन्धी प्रतिनिधि मंडल

*१०९९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रतिनिधि मंडल ने जिसने आस्ट्रेलिया और इन्डोनेशिया में चीनी उद्योग के विकास के लिये की गई विभिन्न कार्यवाहियों का अध्ययन करने के लिये उन देशों का दौरा किया था, अपना प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) कौनसी सिफारिशें क्रियान्वित की जानी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) प्रतिनिधि मंडल २५ जुलाई, १९५५ को वापस लौटा है और आशा है शीघ्र अपना प्रतिवेदन दे देगा ।

(ख) और (ग) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेल दुर्घटना

*११००. **श्री सगंण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ५ अगस्त १९५५ को प्रातः ६ बजकर १० मिनट पर दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नौवाड़ा और पुंडी के बीच १४१ डाऊन मद्रास-पुरी मुसाफिर गाड़ी को एक दुर्घटना पेश आई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) मृत तथा घायलों की संख्या कितने लोग मरे ;

(घ) दुर्घटना का उत्तरदायित्व किन किन लोगों पर है ; और

(ङ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३]**

श्री संगण्णा : क्या आन्ध्र और उड़ीसा राज्य के प्रेस प्रतिनिधि घटना स्थल को गये थे, और यदि हां, तो क्या वे वहां भारत सरकार के आमंत्रण पर गये थे अथवा अपने आप ?

श्री शाहनवाज खां : किसी प्रेस प्रतिनिधि को कोई आमत्रंण भेजे जाने के बारे में हमे कुछ विदित नहीं है । यह कोई साधारण व्यवहार नहीं है ।

श्री सगंण्णा : क्या सरकार का विचार मृतकों के आश्रित परिवारों को क्षतिपूर्ति देने का है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि मृतकों में साधारण यात्री हैं या रेलवे कर्मचारी ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास ठीक सूचना नहीं है । परंतु वे बाहर के लोग थे ?

श्री संगण्णा : यह देखने के लिए कि लाइन पर कोई खतरा नहीं है, किन किन सुरक्षासुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : वहां साधारण सुरक्षा-सुविधायें हैं । बहुत से रेलवे अधिकारी हैं जिनका काम यह देखना है

कि लाइन गाड़ी चलने के लिए सुरक्षित है सावधानी के सामान्य उपाय किए जाते है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विवरण से मुझे विदित होता है कि सरकारी रेलवे निरीक्षक इसकी जांच कर रहा है । रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने सिफारिश की है कि ऐसी गम्भीर दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिए । मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं को न्यायिक जांच करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं । ये जांचें हम न्यायिक अधिकारियों को नहीं सौंपना चाहते । माननीय सदस्य को विदित है कि यह जांचें सरकारी निरीक्षक करते हैं जिनका रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे स्वतन्त्र हैं और संचार मंत्रालय के अधीन हैं ।

उड़ीसा में खाद्याभाव की स्थिति

*११०२. **श्री बी० सी० दास** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कुछ जिलों में खाद्याभाव की स्थिति विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) उड़ीसा के कुछ जिलों में सूखा के कारण फसलों की कुछ हानि हुई है; परन्तु जहां तक हमें विदित हैं कहीं भी अभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी है ।

(ख) सूखा ग्रस्त जिलों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए केन्द्र ने उड़ीसा राज्य सरकार को कलकत्ता से ५०,००० टन चावल और धान दिया है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रभावित जिलों को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि उड़ीसा के कुछ जिलों में सूखा की स्थिति है । उन्हीं क्षेत्रों में गत वर्ष भी सूखा की स्थिति थी । उड़ीसा के मुख्य मंत्री जो घोषणा करते हैं उसका भी बोध हमें होता है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर आकर्षित किया गया है कि कलकत्ता स्थित केन्द्रीय डिपो से जो चावल दिया गया है वह सड़ा हुआ है, उससे दुर्गंध आती है, और जो लोग उसे खाते हैं उन्हें वह हानि पहुंचाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम बहुत अच्छा चावल देते हैं । साधारणतया आरोप होते हैं कि जो भी सरकार देती है वह सड़ा होता है । यदि माननीय सदस्य की अभिरुचि हो तो, मैं माननीय सदस्य को ले चलने और यह दिखाने को तैयार हूं कि हम उड़ीसा को सर्वश्रेष्ट चावल देते हैं, क्योंकि उड़ीसा ने देश को आवश्यकता के समय चावल दिया था । उड़ीसा अतिरिक्त राज्य था और इसने हमें आवश्यकता के समय भोजन दिया, और हमें इसे बुरा चावल नहीं देना चाहते ।

श्री बी० सी० दास : क्या उड़ीसा सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को मुफ्त गेहूं देने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : एक अवाध्य बाज़ार है। माननीय सदस्य जानते हैं कि उड़ीसा के लोग साधारणतया गेहूं खाने वाले नहीं है। हम उन्हें गेहूं देने को तैयार हैं। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, हम उन्हें बहुत ही रियायती दामों पर दे रहे हैं। प्रथम, हमने १४ रु० १२ आने प्रति मन की दर पर दिये थे। वह चावल तीन सेर प्रति रुपया बांटा जाता है और धान पांच सेर प्रति रुपया दिया जाता है। इस में जो भी हानि होती है, उसका आधा हम देते हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार यह महसूस करती है कि गत वर्ष की सूखा के परिणाम पिछली गर्मियों से ही महसूस किये जा रहे थे और यदि नया वर्ष सूखा से आरम्भ होता है, तो परिस्थिति बहुत गम्भीर हो जाती है और चावल की मुफ्त भेंट होनी चाहिए ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सच है। मैं बता चुका हूं कि इस सूखा ने उसी जिले में गत वर्ष की सूखा को निरन्तर रखा है। अप्रैल मास में कलकता में हम उड़ीसा के वित्त मंत्री से मिले थे। मैं स्वयं वहां गया था और हमने कलकता से चावल ले जाने के लिए विशेष रेलों का प्रबन्ध किया था और यह अब भी हो रहा है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मैं इतना कह दूं कि यदि परिस्थिति ऐसी हुई तो राज्य सरकार को छूट है कि वह मुफ्त खाद्यान्न दे और उसकी आधी आवश्यकता को केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी। अतः यदि परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाए तो यह इस पर निर्भर नहीं है।

टिड्डी नियंत्रण

*११०३. **श्री एस० ए० दास :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिड्डी नियन्त्रण सम्बन्धी खाद्य तथा संगठन समिति ने भारत सरकार से अब में टिड्डी नियन्त्रण कार्य चालू रखने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) क्या कार्य का कोई प्रोग्राम बनाया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सोने का स्थान

*११०४. **श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेल गाड़ियों के तृतीय श्रेणी के डिब्बों में, जिनमें सोने के स्थान की व्यवस्था होती है, यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिए तले ऊपर तीन सीटों को दुबारा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आज कल जो प्रयोग

हो रहे हैं उनके समाप्त होने पर तीन तले ऊपर की सीटों के बीच फिर से उचित स्थान रखा जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डाभी : क्या इन सीटों के दुबारा बनाने से नीचे, बीच और ऊपर की सीट पास वाले यात्री उन पर आराम से सीधे बैठ सकेंगे ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने सोने के स्थान के लिए "हाल" डिब्बों चलाये हैं और सब से ऊपर की सीट तथा छत में इतना स्थान नहीं है कि व्यक्ति उस पर सीधा बैठ सके परन्तु हमने पश्चिम रेलवे से कुछ परिवर्तन करने को कहा है। आज प्रातः हमने जो डिब्बा देखा था उसमें सब से ऊपर की सीट और छत के बीच इतना स्थान है कि व्यक्ति सीधा बैठ सके और आराम से चढ़ उतर सके।

श्री डाभी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि केवल ऊपर की ही सीटें नहीं अपितु बीच की और नीचे की सीटें भी ऐसी हैं कि यात्री सीधे नहीं बैठ सकते ?

श्री अलगेशन : जब सीटें तीन हों तो यह सभंव नहीं है कि यात्री नीचे की और बीच की सीट पर सीधे बैठ सकें। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री डाभी : यह नए नमूने के डिब्बे कब तैयार होंगे ?

श्री अलगेशन : मैंने जो रूप बताया है उसके अनुसार डिब्बों में दो मास में परिवर्तन हो सकता है और चलाये जा सकते हैं। परन्तु हम नये डिब्बों का रूप बना रहे हैं और ये रूप विचाराधीन हैं। इनमें कुछ समय लगेगा।

श्री धुलेकर : क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि तले ऊपर की तीन सीटें पूर्णतया हटा दी जायें ?

श्री अलगेशन : हमने उस पर भी विचार किया था परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि यह अलाभकारी होगा।

रेल दुर्घटना

*११०५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मई, १९५५ को पूर्वी रेलवे के हल्दीपाड़ा स्टेशन पर पुरी-हावड़ा और खड़गपुर-वालटेयर पैसेन्जर गाड़ियां लड़ गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस टक्कर का क्या कारण था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २२-५-१९५५ को शाम के ७ बजकर ५० मिनट पर जिस समय ३२५ अप खड़गपुर-वाल्टेयर सवारी गाड़ी पुरानी पूर्व रेलवे के हाबड़ा-वाल्टेयर मेन लाइन के हल्दीपाड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म (लूप) लाइन से मेन लाइन की ओर पीछे लौट रही थी, उसी समय ३१८ डाउन पुरी-हावड़ा सवारी गाड़ी भी दूसरी ओर से स्टेशन में दाखिल हो गयी और ३२५ अप से टकरा गयी। टक्कर सामने से लगी।

(ख) बालासोर के मजिस्ट्रेट ने इस दुर्घटना की जांच की। उनका कहना है कि दुर्घटना ३१८ डाउन गाड़ी के ड्राइवर की वजह से हुई, जिसने खतरे के सिगनलों

की परवाह न करके गाड़ी को स्टेशन में दाखिल कर दिया ।

श्री रघुनाथ सिंह : गाड़ी आने के लिए सिगनल डाउन था या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : सिगनल डेन्जर पर था ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस दुर्घटना के कारण जान व माल की कितनी हानि हुई ?

श्री शाहनवाज खां : जान कोई नहीं गई । कुछ लोगों को थोड़ी चोट आई और केवल ११५ रुपये मूल्य की रेलवे सम्पत्ति की क्षति हुई ।

श्री जयपाल सिंह : सभासचिव ने बताया था बालासोर के दंड अधिकारी ने जांच की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैसा कि प्रायः होता है, इसमें रेलवे अधिकारियों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री शाहनवाज खां : जब भी कोई रेलवे दुर्घटना होती है, रेलवे सदैव पुलिस और जिला दंड अधिकारी को सूचित करती है । जिला दंड अधिकारी को सदैव यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो स्वयं अपनी स्वतंत्र जांच करे । इस विशेष मामले में, जिला दंड अधिकारी की इच्छा थी कि जब तक वह अपनी जांच समाप्त न कर लें तब तक रेलवे विभागीय जांच न की जाये । उसकी जांच समाप्त होते ही विभागीय जांच की जायेगी ।

बारासेत-सिरहाट लाइट रेलवे

*११०६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारासेत बसिरहाट रेलवे के प्रबन्ध बोर्ड ने उस रेलवे को बन्द करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे को बन्द करने का निश्चय रेलवे प्रबन्ध ने पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से किया है, क्योंकि रेलवे को आवर्त भारी हानि हो रही थी और डिब्बे आदि तथा अन्य अस्तियां बहुत बुरी स्थिति में थीं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार इस रेलवे को अपने हाथ में लेना चाहती है और, यदि हां तो क्या केवल इसके एक भाग को और यदि यह एक भाग है, तो समूची रेलवे को न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : इस सभा में प्रायः यह कहा गया है कि हमारी नीति इन पुरानी प्रकार की छोटी रेलवे लाइनों को लेने की नहीं है । दूसरी ओर, हम बरासात और हुस्नाबाद के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनाने के लिए परिमाप कर रहे हैं । उस परिमाप के समाप्त होने पर, हम इस मामले से संबद्ध संभावनाओं पर विचार करके निश्चय कर सकेंगे ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को विदित है कि इस क्षेत्र के लोगों को परिवहन की पर्याप्त सुविधा न होने से बड़ी ठिनाई होगी ?

श्री अलगेशन : पश्चिम बंगाल सरकार को उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों का बहुत ध्यान है और उन्होंने सड़क परिवहन सुविधाओं में वृद्धि की है ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : क्योंकि माननीय मंत्री ने अपने हाल के एक भ्रमण में वहां कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि वह इस रेलवे के कर्मचारियों को लेने की व्यवस्था करेंगे, भारत सरकार ने पुरानी बी० ब० रेलवे के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को ले लिया है ?

श्री अलगेशन : उस आश्वासन के आधार पर, मेरा ख्याल है कि हमने रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों के प्रति बड़ी उदारता का व्यवहार किया है । अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है और वे कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके मामले में शर्तें बहुत ढीली कर दी गई हैं; यहां तक कि योग्यताओं में भी छूट दे दी गई है और आयु सीमा भी यथासम्भव अधिक रखी गई है ।

दाल चीनी

*११०८ **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २७ सितम्बर १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के मलबार जिला के चिरक्कल ताल्लुका में स्थित अंजरकंडी में दालचीनी बागान की कितनी हानि हुई; और

(ख) इन बागानों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आरम्भ में बागान के ३०० एकड़ भूमि में दालचीनी की खेती होती थी । अब २१७ एकड़ भूमि में दालचीनी की खेती होती है ।

(ख) बगीचों के मालिकों को सदैव ही टैक्नीकल परामर्श और सहायता दी जायेगी ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि मालिक मर चुका है और वर्तमान मालिक यह एक और व्यक्ति है, जिसका संपदा से कोई संबंध नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सच हो सकता है । मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : कल वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि हमें दालचीनी के तेल की आवश्यकता को आयात से पूरा करना पड़ता है । मैं जान सकता हूं कि जब हम अपनी जरूरत के लिये दालचीनी का तेल बाहर से मंगा रहे हैं और जब यह पता है कि दालचीनी के पौधे से हमारी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो क्या सरकार ने विद्यमान खेती में कमी न होने देने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस मामले का संबंध मद्रास सरकार से है और उसने संपदा के अधिग्रहण के प्रस्ताव की जांच की है । पर उसे जो दाम देने पड़ेंगे और जो व्यय करने पड़ेंगे, वे इसे घाटे वाला उपक्रम बना देंगे, अतः वह इसे लेने को तैयार नहीं हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं जान सकता हूं कि क्या उधर से कोई ऐसा अभ्यावेदन आया है कि यदि सरकार भी उन्हें सहायता दे, तो वे लोग संपदको लेने को तैयार हैं ?

डा० पी० एस देशमुख : हमें मद्रास सरकार से जो रिपोर्ट मिली है, उसके

आधार पर मैं यह उत्तर दे चुका हूं कि वह दामों के सम्भवतः अधिक होने और इससे एक लाभप्रद उपक्रम बन सकने की संभावना न होने के कारण वह इसे लेने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या बाहर के लोगों से कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मेरे पास कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री पुन्नूस : भारत में दालचीनी की खेती का क्षेत्र कितना है, और हमारी जरूरत के कितने हिस्से की स्थानीय उपज से पूर्ति हो जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिजली से चलने वाले रेलवे के डिब्बे

*१०६७. **श्री गिडवानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकता उपनगरीय रेलवे के प्रस्तावित विद्युत्वरण में काम आने के लिए मोटर और ट्रेलर कोचों के निर्माण के लिये कलकत्ते की एक फर्म को आर्डर दे दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी कोचों का आर्डर दिये गये हैं;

(ग) आर्डर कुल कितनी राशि का है;

(घ) क्या ये भारतीय या अभारतीय फर्म को दिये गये हैं; और

(ङ) कोचें कब तक तैयार करके दी जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) १०४।

(ग) लगभग ४.२ करोड़ रुपये।

(घ) भारतीय फर्म को।

(ङ) नवंबर १९५७ से कोचों का दिया जाना शुरू होगा तथा अक्टूबर, १९५९ तक सब कोचें दे दी जायेंगी।

राष्ट्रीय चावल आयोग

*१०७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २८ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब राष्ट्रीय चावल आयोग बनाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आयोग के कृत्य क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

खाद्य की भेंट

*१०७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी एशियायी देशों को जनवरी, १९५५ से खाद्य की कोई भेंट दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को ; और

(ग) उसकी मात्रा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) नैपाल और कंबोडिया ।

(ग) १५००० टन ।

स्वतंत्र टेलीफोन प्रणाली

*१०७७. { **श्री हेडा** :
श्री पी० रामस्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई ऐसी टेलीफोन प्रणाली है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन डाक-तार विभाग से स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका अधिग्रहन करने में देरी के कारण क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) साधारणतः यह अनुज्ञप्ति-प्राप्त टेलीफोन प्रणाली निजी कंपनियों द्वारा लाभ के लिये नहीं, बल्कि विशुद्धतः अपने प्रशासनीय कामों के लिये चलायी जाती है । उनमें से अधिकांश ऐसे दूर के स्थानों पर हैं, जहां साधारण टेलीफोनों के विकास की कोई गुंजाइस नहीं है और डाक-तार विभाग द्वारा उनका अधिग्रहण बचतपर्ण न होगा ।

इनमें से केवल एक ही अनुज्ञप्ति-प्राप्त प्रणाली उस क्षेत्र के निजी लोगों को भी कनेक्शन देती है । सरकार इस प्रणाली का यथाशीघ्र अधिग्रहण करने का विचार पहले से ही कर रही है ।

चिकित्सा संबन्धी परीक्षायें

*१०७८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के चिकित्सा संबंधी स्कूलों और कालेजों द्वारा ली जाने वाली चिकित्सा संबंधी परीक्षाओं का प्रमापीकरण करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तटीय भाड़ा दरें

*१०८०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तटीय सम्मेलन ने सरकार के कहने पर तटीय भाड़े की दर में १० प्रतिशत की वृद्धि को स्थगित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में और क्या कार्यवाही की है, या करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). भारतीय तटीय सम्मेलन ने १ जून, १९५५ से तटीय भाड़ा दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, पर वह सरकार के कहने पर प्रस्तावित वृद्धि को स्थगित करने के लिये तैयार हो गया ।

बाद में जहाज मालिकों की परामर्श-समिति की कार्य संचालन-समिति की बैठक २२ जून, १९५५ को हुई और सम्मेलन की लाइनों ने प्रस्तावित वृद्धि के बारे में अपनी बात कही । उनका अभ्यावेदन अब सरकार के विचाराधीन है ।

पंजाब में मलेरिया नियंत्रण एकक

*१०८२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** २५ मार्च, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि पंजाब में मलेरिया नियंत्रण एकक का कार्यक्रम क्या है, और उस राज्य में वर्ष १९५५-५६ में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : वर्ष १९५५-५६ में सातों मलेरिया नियंत्रण एकक काम करते रहेंगे और पूरे राज्य में मलेरिया से गंभीर रूप में पीड़ित सभी क्षेत्रों को समेट लेंगे ।

पंजाब राज्य में मलेरिया-विरोधी कार्यक्रम में निम्नांकित राशि व्यय करने का विचार है :—

(१) पंजाब सरकार द्वारा— रु० ९,५३,१०० ।

(२) भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों मलेरिया नाशक औषधियों, अनिवार्य सामग्रियों, मोटर गाड़ियों आदि का प्रदान..... रु० ११,४५,४००।

पान

*१०८४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर पान की बिक्री पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम ;

(ग) इसका कारण क्या है ;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों पर किसी और वस्तु की बिक्री पर भी रोक लगायी गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५४**]

(ग) स्टेशनों की सफाई रखने के लिये ।

(घ) और (ङ). (१) शराब वाले पेय गोमांस और सुअर के मांस की बिक्री सभी स्टेशनों पर निषिद्ध है ।

(२) दक्षिण रेलवे के बिजली वाले उपनगरीय विभाग में चाय और फल ।

(३) उत्तर रेलवे के लखनऊ, इलाहाबाद और मुरादाबाद डिवीजनों में लस्सी और शर्बत ।

अखिल भारतीय सहकारी परिषद्

*१०८६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २४ नवंबर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सहकारी-परिषद् अब बनायी जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) परिषद् किन किन प्राधिकारों का कार्य-भार संभाल लेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

करारोपण जांच आयोग

*१०८८. **श्री मुरारका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान करारोपण जांच आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन की कंडिका ८, अध्याय १० (जिल्द १) पर सं० रा० अमरीका, जापान, टर्की आदि देशों की भांति यात्राओं के विभिन्न रूपों पर कर लगाने के बारे में की गई सिफारिश की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) खास प्रश्न सरकार के विचारधीन है।

कलकत्ता आसाम एयरलाइन

*१०९२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से आसाम के हवाई मार्ग पर इतने अधिक यात्री चलते हैं कि बहुत से यात्रियों को टिकट देने से इनकार करना पड़ता है ;

(ख) क्या जब वर्षा के कारण रेल-लाइन टूट जाती है, तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कलकत्ता आसाम वायुमार्ग पर और अधिक यात्री ले जा सकने वाले विमानों की व्यवस्था करना चाहती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं। आसाम क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित चर्याओं द्वारा यातायात की मांग की पर्याप्त रूप में पूर्ति कर दी जाती है।

(ख) और (ग). रेलवे लाइन टूटने के समय से यातायात में छिटपुट वृद्धि हो गई है, और बढ़ी हुई मांग की पूर्ति इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अतिरिक्त चर्याओं द्वारा और कुछ अनुसूचित चर्यायें चला कर की है। आसाम क्षेत्र में सवारियां ले जाने के लिये इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन अभी डकोटा विमानों को छोड़कर अधिक वहन-सामर्थ्य वाले वाइकिंग या स्टार मास्टर विमान नहीं दे सकता।

रेलवे लाइन

*१०९६. **श्री भीखा भाई** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक रेलवे लाइन रतलाम से बांसवाड़ा गलियाकोट आदि होती हुई उदयपुर तक बिछाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाशाभाई ओजार

*१०९७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री १० दिसम्बर १९५४

को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वश्री पाशाभाई पटेल एंड कंपनी लिमिटेड, बंबई द्वारा दिये गये औजारों में से किन किन की फिर से मरम्मत की गयी है; और

(ख) उनकी फिर मरम्मत कराने में कितना व्यय पड़ा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मौलबोर्डहल, डिस्कहैरोज पैन-ब्रेकर्स और डिस्कहल।

(ख) रु० ८३७०६।

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम १९५०

*११०१. **श्री मुहीउद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्ययाधिकरण) अधिनियम की धारा २२ और २३ के अन्तर्गत १ जुलाई, १९५५ को कितने मामले विचारार्थ पड़े हुए थे;

(ख) ये मामले कब से पड़े हुए हैं;

(ग) अध्यादेश निकलने के बाद से कितने मामले एक सदस्य वाली न्यायालय के पास निपटारे के लिये भेज दिये गये हैं; और

(घ) एक सदस्य वाली न्यायालय बेंच ने कितने मामले निपटाये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

अंतरिक्ष-शास्त्रीय यंत्र

*११०७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ सूत्र कार्य-क्रम और राष्ट्र मंडल सहयोग योजना के अंतर्गत विदेश भेजे गये किसी पदाधिकरी ने आवश्यक अंतरिक्ष-शास्त्रीय और भूकम्प-शास्त्रीय यंत्रों के निर्माण में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या वे कारखानों में काम कर रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली के कारखानों के प्रभारी और प्रोफैशनल असिस्टैंट व्यावसायिक सहायक को चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अंतरिक्ष-शास्त्रीय यन्त्रों की मरम्मत और संधारण में प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया था। उन्हें यन्त्रों के निर्माण में कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। सं० रा० अमरीका से लौटने के बाद वह नई दिल्ली के कारखाने में अपने पुराने स्थान पर वापिस आ गये हैं।

महेन्द्र घाट स्टेशन

*११०९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थान की कमी के कारण उत्तर-पूर्व रेलवे के महेन्द्र घाट स्टेशन पर बहुत भीड़भाड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां,

(ख) इस घाट पर २०-६-५५ से एक पैडल स्टीमर शालीमार के तैरते हुए स्टेशन के रूप में लंगर डाल देने से पर्याप्त सुधार हो गया है परन्तु फिर भी स्थिति को और सुधारने के लिए और अधिक भूमि ली जा रही है।

विमान यात्रियों का बीमा

*१११०. **श्री हेडा** : क्या संचार मंत्री १० सितम्बर १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के किराये में विमान बीमा भी सम्मिलित करने का कोई निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो बीमा की क्या मात्रा होगी; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस देरी का क्या कारण है ?

संचार उपमन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). विमान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों से विमान के किराये में अधिभार द्वारा अनिवार्य बीमे की सरकार अभी जांच कर रही है। भारतीय विमान वाहन अधिनियम १९२४ के उपबन्धों को आन्तरिक विमान वाहन पर लागू करने का वैकल्पिक उपाय विचाराधीन है।

अंशदायी स्वास्थ सेवा योजना

*१११९. **श्री गिडवानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सरकार ने कितने मूल्य की औषधियों का क्रय किया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): ९,००,५१७ रुपये ५ आने ११ पाई।

स्पेशल रेल-गाड़ियां

*१११२. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० जून, १९५५ के सूर्य ग्रहण के अवसर पर होशंगाबाद में नर्मदा नदी में स्नान के लिये हजारों व्यक्ति इकट्ठे हुए थे;

(ख) क्या इस तिथि पर, होशंगाबाद और आस पास के स्टेशनों से तथा उन स्टेशनों तक कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, अनुमान है कि ३५०० व्यक्ति रेल द्वारा होशंगाबाद आये थे सड़क से भी बड़ी संख्या में आये थे।

(ख) और (ग). अनुसूचित एक्स-प्रेस तथा यात्री गाड़ियों के प्रतिदिन लगभग १७५० यात्रियों को ले जाने से, होशंगाबाद से तथा तक यातायात में, कोई अत्यधिक रूकावट न आने के कारण अतिरिक्त गाड़ियां चलाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

रेल दुर्घटना

*१११३. **श्री कामरोलकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई १९५५ को उत्तर-पूर्व रेलवे के गाजीपुर तथा अंकुशपुर स्टेशन के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, या घाव आए थे; और

(ग) क्या इसमें किसी विध्वंसक कार्यवाही के होने का संदेह किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलवे पदाधिकारियों की, जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की है, समिति इस अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोयले से भरे हुए गाड़ी के दस डिब्बे पटरी से इसलिये उतर गये क्योंकि ड्राइवर गाड़ी का इतना नियंत्रण नहीं कर सका जिससे गाड़ी पटरी के उस भाग पर धीरे चलती, जहां जोड़ों को कसा जा रहा था तथा इसकी सुरक्षा के लिये लाल झंडी (गाड़ियों को खतरे का निशान) पटरी पर पर्याप्त दूरी पर लगाया गया था ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

*१११४. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया के बांडुंग में होने वाली तृतीय एशियाई प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिये, सरकार अभ्यर्थी भेजने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यर्थियों को छांटा जा चुका है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : क) और (ख). जी हां ।

एयर इन्डिया इन्टरनेशनल

*१११५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ के एयर इन्डिया इन्टरनेशनल के राजस्व और व्यय के आय-व्यय प्राक्कलन के सारांश में, जो सभा पटल पर १ अगस्त, १९५५ को रखा गया था, दिखाये गये दो लाख रुपये के अनुमानित लाभ का आधार क्या है; और

(ख) "वेतन और मजूरी" आदि शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपये की वृद्धि का कारण क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) २ लाख का आगणित लाभ आगणित व्यय के ऊपर आगणित आय के आधिक्य के कारण है । यह विगत अनुभव, प्रस्तावित चालन श्रेणी और इसके द्वारा पूर्वावधारित राजस्व पर आधारित है । वास्तविक अनुभव के प्रकाश में आगणन का चालू वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षण किया जा सकता है ।

(ख) "वेतन और मजूरी" आदि शीर्षक के अन्तर्गत जो वृद्धि हुई है उसका कारण है अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना जो चालन में ठोस बढ़ोतरी होने की वजह से करनी पड़ी है ।

रेल दुर्घटना

*१११६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिले में उत्तर पूर्व रेलवे के रुसेरा घाट रेलवे स्टेशन के समीप ६ अगस्त १९५५ को चलती गाड़ी के नीचे आ जाने से

बहुत से व्यक्ति मर गये तथा बहुत से घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो मृत तथा घायलों की क्या संख्या है;

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे;

(घ) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम हुये;

(च) क्या रेलवे प्रशासन से प्रतिकर के दावे किये गये हैं; और

(छ) यदि हां, तो अभी तक कितने दावे प्राप्त हुये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (छ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५]**

डाक के थैलों को खाली करने की मशीन

*१११७. **श्री गाडिलिंगम गौड़** : क्या **संचार** मंत्री ६ सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में लगाई गई डाक के थैलों को खाली करने की मशीन लाभदायक पाई गई है; और

(ख) इस मशीन पर अभी तक कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मशीन लगाई जा रही है।

(ख) मशीन को लगाने के पश्चात् पदाधिकारियों को इसके चलाने का प्रशिक्षण दिया जायगा।

गुड़

*१११८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में गुड़ का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पहली पंच वर्षीय योजना के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य से यह कितना अधिक या कम है;

(ग) गुड़ के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार के कदम उठाये गये;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पिछले दो व में राज्य सरकारों को कोई सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां तो किन राज्यों को अनुदान दिये गये और राज्यवार उसकी राशि क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ङ). सभा की टेबल पर एक विवरण रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५६]**

डाकघरों का निरीक्षण

*१११९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों के द्वितीय निरीक्षण की प्रणाली को जारी करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि द्वितीय निरीक्षण-प्रणाली पुनः प्रारम्भ कर दी जाये, जैसे ही सहायक निरीक्षकों का संवर्ग (केडर) बन जाय ।

वृक्षारोपण

*११२०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में रेलवे लाइन के साथ की भूमि पर वृक्ष लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग). इस प्रकार का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है । परन्तु कुछ राज्य सरकारों को स्टेशन की रेलवे भूमि तथा/अथवा रेलवे की पटरी के साथ की भूमि लकड़ी बांस तथा फलों आदि के वृक्ष लगाने की अनुमति दे दी गई है ।

जाली टिकट

*११२१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाली टिकट बनाने वालों के किसी दल का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह दल किस ज़ण्ड में कार्य कर रहा था; और

(ग) उनकी कार्यवाही को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां

(ख) पूर्वी खण्ड ।

(ग) दल के सदस्यों को पकड़ लिया गया है तथा मामले की अभी जांच की जा रही है । रेलवे ने भी एक विशेष कार्यालय जाली टिकटों के मामलों में कार्यवाही करने के लिये तथा अपराधियों और इस प्रकार के जाली कार्यों में लगे संदिग्ध कर्मचारियों पर ध्यान रख कर सुरक्षात्मक कार्यवाही के लिये बनाया है ।

नेपाल में विमान दुर्घटना

*११२२. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ अगस्त, १९५५ को नेपाल के पास भैरवा में इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का एक भारवाहक डकोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसके फलस्वरूप चालक की तत्काल मृत्यु हो गई , और

(ख) यदि हां तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय राजपथ-मध्य प्रदेश

*११२३. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६

की ऊपरी सतह की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६, की पानी वाली मैकेडेम सतह की दशा संतोषजनक नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

(ख) मध्य प्रदेश में, इस समस्त राष्ट्रीय राजपथ पर तारकोल डाल कर सुधारा जा रहा है।

गन्ना

५६४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने, भारत में गन्ने के उत्पादन मूल्य के घटाने की समस्या पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने गन्ने के उत्पादन मूल्य के घटाने की समस्या पर विचार नहीं किया है परन्तु समिति ने गन्ने की कृषि के विकास तथा गवेषणा की उन्नति के लिये कई कार्य किये हैं जिससे गन्ने की किस्म में सुधार हो जाये तथा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाये, इसी से उत्पादन के मूल्य भी घट जायेंगे।

समिति गन्ना बोने वाले विभिन्न राज्यों में गवेषणा योजनाओं को धन की सहायता दे रही है जिससे विभिन्न स्थानों पर, कृषि के लिये उपयुक्त किस्म को छांटा जाये तथा विकसित कृषि पद्धति की उन्नति हो। १९४८-४९ में गन्ने की कृषि के अत्यधिक विकास की योजना प्रारम्भ की गई थी तथा १९५५-५६ तक लगभग ७·५ लाख एकड़ क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। विकसित क्षेत्रों में वास्तविक रूप में उत्पादन की वृद्धि हुई है। इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का विचार इस उद्देश्य से है कि समस्त क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होने लगे। गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने गन्ने की खेती अधिक खाद देने का आन्दोलन प्रारंभ किया था तथा इस ऋतु में यह फिर चलाया जा रहा है। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

चीनी की मिलें

५६५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग के लिये विकास परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक दर्जन से अधिक चीनी के कारखाने बेकार पड़े हैं तथा लगभग बीस कारखाने अनुपयुक्त स्थानों पर स्थापित हैं;

(ख) यदि हां, तो विशषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उत्पादन का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) मामला अभी विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रति वर्ष २२.५ लाख टन ।

(घ) निम्न कार्यवाही के करने का विचार है :

(१) नवीन एक्कों की स्थापना से तथा वर्तमान एक्कों के पर्याप्त विस्तार से चीनी उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित सामर्थ्य को प्रति वर्ष २५ लाख टन तक बढ़ाना ।

(२) अच्छा बीज देकर, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करके, कारखाने के क्षेत्रों में सड़क निर्माण करके खाद तथा उर्वरक आदि का प्रयोग करके गन्ने की अधिक कृषि तथा विकास के द्वारा अधिक उत्पादन करके ।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

५६६. श्री रघुनाथ सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल की लाइनों पर प्वाइन्टों के ठीक से न लगाये जाने के दोष के कारण १९५४-५५ में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनायें हुई; और

(ख) किन रेलवे खण्डों में ऐसी दुर्घटनायें सब से अधिक और सबसे कम हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३२७ ।

(ख) सबसे अधिक -- पूर्व रेलवे
सबसे कम — पश्चिम रेलवे

रेलवे लाइनें

५६७. श्री एन० बी० चौधरी: क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व पश्चिमी बंगाल सरकार से, खानाकुल के द्वारा संत्रागाछी तथ विष्णुपुर को मिलाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण का कोई सुझाव मिला है; और

(ख) क्या इसी प्रकार का सुझ व सम्बन्धित जिलों के ।तिनिधियों की परिषद जिसके सभापति योजना आयोग के सदस्य डा० जे० सी० घोष थे, ने भी भेजा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने आरामबाग के द्वरा संत्रागाछी से विष्णुपुर तक रेलवे लाइन बनाने की सिफारिश की है ।

(ख) जी हां, परन्तु ए लाइन राध नगर तथा कमर प्र र के द्वारा ।

गुरदासपुर डाकघर

५६८. श्री डी० सी० शर्मा: क्या संचार ‍त्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) पंजाब के गुरदासपुर जिला में इस समय कुल कितने डाक घर चल रहे हैं;

(ख) वहां १९५४-५५ में कितने डाक घर प्रयोगात्मक आधार पर खोले गये; और

(ग) इसमें से इन डाक घरों के नाम क्या है जिन्हें स्थायी किया जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री रामबहादुर) : (क) १७२ ।

(ख) ५ ।

(ग) किसी डाक घर को तब स्थायी किया जाता है जब उसकी वार्षिक हानि २४० रुपये या इस से कम हो। शुरु में निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किन डाक घरों को स्थायी किया जायगा ।

डाक व तार कर्मचारी संघ

५६९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के अभिस्वीकृत व्यापार संघों की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री रामबहादुर) : एक विवरण जिसमें इन संघों के नामों तथा सदस्य संख्या का वर्णन है, संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७]**

अपराध

५७०. श्री इब्राहीम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ तथा सन् १९५४ में दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-कलकत्ता, बम्बई-मद्रास तथा मद्रास-कलकत्ता के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में हत्या की कितनी घटनाएं हुई थीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

	१९५३	१९५४
दिल्ली-बम्बई	१	कोई नहीं
दिल्ली-कलकत्ता	कोई नहीं	२
बम्बई-मद्रास	कोई नहीं	कोई नहीं
मद्रास-कलकत्ता	कोई नहीं	१

रेलवे क्वार्टर

५७१. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के हुबली जंक्शन पर इस समय तक कितने क्वार्टर बने हैं;

(ख) हूबली में इस समय उन रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं; और

(ग) क्या उन्हें कोई मकान का किराया भत्ता मिलता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,३३४ जिनमें से १३०७ में तो कर्मचारी रह रहे हैं तथा २७ में निवासियों के स्थान परिवर्तन के कारण निवास किया जाने वाला है ।

(ख) ५७०३ ।

(ग) १०० रुपये प्रतिमास या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उस दर से दिया जाता है जो श्रेणी (ग) क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों को मिलता है ।

रेल डिब्बे

५७२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) प्रथम अप्रैल, १९५५ को अपने काल से अधिक चल चुकने वाले रेल डिब्बों की संख्या कितनी है; और

(ख) १९५४-५५ में इन पुराने रेल डिब्बों के स्थान पर कितने नए रेल डिब्बे चलाए गए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रथम अप्रैल, १९५५ के दिन ७२७६ रेल डिब्बे अपने समय से अधिक चल चुके थे।

(ख) १९५४-५५ में पुराने रेल डिब्बों के स्थान पर ८९२ नए रेल डिब्बों को लगाया गया।

भू-संरक्षण योजनाएं

५७३. श्री भागवत झा आजाद : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) किसी एक मद पर व्यय की गई अधिकतम राशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आज तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशियां इस प्रकार से हैं :

ऋण—५१,९२,३७१ रुपये

अर्थ साहाय्य—२७,२२,५१० राज्य सरकारों की योजनाओं का सम्बन्ध मुख्यता समुद्र-तट पर बांध, रेगिस्तान में वृक्षारोपण तथा भूमि-कटाव विरोधी उपायों से है। योजना की अधिकतम कार्यान्वित ७५ प्रतिशत है तथा यह हैदराबाद, मद्रास और बम्बई में हुई है।

(ख) अधिकतम व्यय की राशि ७,२७,२४३ रुपये है जो केन्द्रीय सरकार की जोधपुर के मरुभूमि वृक्षारोपण गवेषणा केन्द्र सम्बन्धी योजना पर हुआ है।

कोढ

५७४. श्री भागवत झा आजाद : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कोढ़ के नियंत्रण के लिए अग्रगामी योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में अभी कितने अस्पताल चलाये जा रहे हैं ?

(ख) इन अस्पतालों में कुल कितने बिस्तर हैं; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत देश भर के सभी कुष्ठ रोगियों की गणना की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). भारत सरकार की Leprosy Control Scheme में अस्पताल खोलने का कोई सुझाव नहीं है। इस योजना में भाग लेने वाले राज्यों क लिए दो प्रकार के केन्द्र—चिकित्सा व अध्ययन केन्द्र और सहायक केन्द्र—स्वीकार किये गये हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

राज्यों के नाम	चिकित्सा व अध्ययन केन्द्र
१. मद्रास	१
२. मध्यप्रदेश	१
३. पश्चिम बंगाल	१
४. उत्तरप्रदेश	१
योग	४

राज्यों के नाम		सहायक केन्द्र
१.	मद्रास	२
२.	मध्यप्रदेश	४
३.	पश्चिम बंगाल	१
४.	उत्तर प्रदेश	१
५.	बिहार	८
६.	उड़ीसा	२
७.	बम्बई	१
८.	आन्ध्र	२
९.	आसाम	१
१०.	विन्ध्य प्रदेश	१
११.	सौराष्ट्र	१
१२.	ट्रावनकोर कोचीन	४
१३.	हैदराबाद	३
१४.	हिमाचल प्रदेश	१
१५.	मणिपुर	१
	योग	३३

चिकित्सा व अध्ययन केन्द्र में दो चिकित्सा यूनिट, एक सर्वे यूनिट, एक प्रयोगशाला यूनिट, एक Administrative यूनिट व एक बी० सी० जी० वैक्सीनेशन यूनिट हैं। सहायक केन्द्र में दो चिकित्सा यूनिट और एक Administrative यूनिट हैं। कोढ़ या उसके संसर्ग से होने वाली बीमारियों के सभी मरीज़ों का घर घर जा कर Sulphone द्वारा इलाज किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। क्योंकि यह स्कीम केवल अग्रगामी योजनाओं की है, इसलिए कुष्ठ रोगियों की पूरी गणना सम्भव नहीं।

टेलीफोन चालक

५७५. श्री गिडवानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५५ के दिन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शहरों में काम कर रहे टेलीफोन चालकों की क्रमशः कितनी संख्या थी;

(ख) उनमें कितने चालक स्थायी, अस्थायी तथा काम के अनुपात स पैसा पाने वाले हैं; और

(ग) क्या यह सत्य है कि काम के अनुपात से पैसा पाने वाले चालकों की छटनी हो रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

दिल्ली	... ...	५४२
बम्बई	... ...	३७०
कलकत्ता	... ...	१२१५
मद्रास	... ...	१७३
	कुल	२३००

(ख)

स्थायी	... ...	९४७
अस्थायी	... ...	११२१
	कुल	२०६८

शेष के २०२ कर्मचारी विभागीय नहीं हैं तथा दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं। काम के अनुपात से पैसे पाने वाले कोई टेलीफोन चालक नहीं हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के विचाराधीन प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आर० एम० एस० कर्मचारी

५७६. श्री गिडवानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अखिल भारतीय आर० एम० एस० (श्रेणी ३) कर्मचारी संघ के मद्रास में हुए सम्मेलन में भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों के वेतन को निश्चित करने, सेवा-वरिष्टता को तय करने आदि मामलों के सम्बन्ध में एक

न्याय निर्णायक की नियुक्ति की मांग की थी;

(ख) क्या सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने की भी मांग की है जैसा कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश थी; और

(ग) यदि ऐसा है तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). इन मांगों के बारे में सरकार को उक्त संघ से कोई पत्र नहीं मिला है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तरिक्ष-शास्त्रीय औज़ार

५७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) पूना और नई दिल्ली के कारखानों में काम की प्रगति क्या है ;

(ख) १९५२ से ले कर वहां अन्तरिक्ष-शास्त्रीय तथा भू-कम्प विज्ञान सम्बन्धी कितने औज़ार बनाए गए हैं; और

(ग) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के शेष काल में किन्हीं नए औज़ारों के बनाने का विचार किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पूना और नई दिल्ली के कारखाने सर्व प्रथम बनाए रखने और मुरम्मत के अभिप्राय से बनाए गए थे । इसके बाद वहां पर 'रेडियो सोन्डेस' के आम निर्माण का काम होने लगा तथा इसके लिए अपेक्षित उपकरणों और मशीनरी के लग जाने पर सम्बन्धित विभाग ने आए दिन के प्रयोग के लगभग सभी अन्तरिक्ष-शास्त्रीय औज़ारों का बनाना आरम्भ कर दिया । कारखानों में अब काफी अच्छे उपकरण लग चुके हैं तथा आए दिन की आवश्यकता वाले सभी अन्तरिक्ष-शास्त्रीय औजारों को बनाया जा रहा है ।

(ख) १-१-१९५२ से ३०-६-५५ तक बनाए गए औज़ारों की संख्या इस प्रकार से है :

नई दिल्ली	.....	८,२७५
पूना	.....	९,८४२

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष के काल में इन औज़ारों के बनाए जाने का विचार किया गया है;

पूना १. ट्रान्समिटर—हवाई अड्डों पर विमानों के धावन पथ (रनवेज़) पर दृश्यता के माप के **लिए ।**

२. केलोमीटर—
महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बादलों की ऊंचाई की निरन्तर जांच पड़ताल के लिए ।

नई दिल्ली १. ट्रान्समिटर—रेडियो द्वारा पवन सम्बन्धी निरीक्षण के लिए ।

२. ओप्टीकल थियोडोलिटिस-पाइलट बैलून निरीक्षण के लिए ।

गुड़ का उत्पादन

५७८. **पंडित डी० एन० तिवारी** :
श्री एल० इस्लामुद्दीन :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४-५५ की ऋतु

में भारत में कितना गुड़ तैयार हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : लगभग २८·२ लाख टन ।

परिवार आयोजन

५७९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रत्येक सब-डिवीज़नल नगर में परिवार आयोजन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस समय बिहार में कितने परिवार आयोजन केन्द्र काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी, नहीं ।

(ख) दस ।

खानों में दुर्घटनाएं

५८०. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री ३ मार्च १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की खानों प्रबन्धकों के विरुद्ध कितने अभियोग चलाये गए हैं और उनमें से कितने मामलों में अपराधी व्यक्तियों को दंड मिला है; और

(ख) क्या निम्न न्यायालयों के बारे में कोई अपील हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अब तक छः मामलों का निर्णय हुआ है, जिनमें से अपील के अन्दर एक मामले में दंड दिया गया है ।

(ख) जी, हां । उपरोक्त (क) के उत्तर में निर्देशित मामले में अपील हुई है । अन्य दो मामलों के बारे में अपील दर्ज करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

अनुज्ञप्तिहीन ट्रांसमिशन सेट

५८१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ जनवरी, १९५५ से पुलिस ने कितने अनुज्ञप्तिहीन ट्रांसमिशन सेट (पोषण यंत्र) पकड़े हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १०,) इस संख्या में पश्चिमी बंगाल, मनीपुर, कुर्ग, विलासपुर, पंजाब स्थित गुड़गांव ज़िला, बिहार का शाहबाद और मुज़फ्फरपुर ज़िले सम्मिलित नहीं हैं, जिन से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।)

(ख) ६, (इसमें ऊपर के अनुसार पश्चिमी बंगाल, मनीपुर, कुर्ग, विलासपुर, पंजाब का गुड़गांव ज़िला, और बिहार के शाहबाद और मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले सम्मिलित नहीं हैं ।)

(ग) पांच मामलों की जांच हो रही है । एक मामला न्यायालय में निलम्बित पड़ा है ।

गाड़ियों का ठीक समय पर आना-जाना

५८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में शोलापुर और बीजापुर के बीच गाड़ियों की गति को बढ़ाने

के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ; और

(ख) इस प्रकार का सुधार करने में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जब आर्डर देने पर 'वाई एल' श्रेणी के इंजिन आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेंगे तो रास्ते आदि की प्रचलित अवस्था के अनुसार गाड़ियां बीजापुर-होतगी सैक्शन पर ३५ मील प्रति घण्टा और होतगी-शोलापुर सैक्शन पर २७ मील प्रति घण्टा की गति से चलने की आशा की जाती है। और अधिक तेज गति के लिए जो काम पूरे हो चुके हैं या पूरे हो रहे हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(१) बीजापुर-होतगी सैक्शन पर ४१ १/४ पौण्ड पटरियों के स्थान पर ५० पौण्ड की पटरियां बिछा दी गई हैं। शोलापुर और होतगी के बीच केवल ६ मील पटरी बिछानी अभी शेष है।

(२) शोलापुर-बीजापुर सब-सेक्शन के पुल को और गाडग-बीजापुर सैक्शन में ऐसे तीन पुलों को मजबूत बनाना। इस काम में कुछ समय लगेगा।

(ख) बीजापुर-शोलापुर सैक्शन पर पटरी बिछाने और इस सैक्शन में एक बड़े पुल को मजबूत बनाने में अनुमानतः ५१·२६ लाख रुपये के लगभग व्यय होगा।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दी

५८३. श्री एन० राचय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४-५५ के अन्तर्गत दक्षिण रेलवे पर टिकट जांचने वालों को वर्दी नहीं दी गई थी; और

(ख) यदि नहीं दी गई थी, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५४-५ में दक्षिण रेलवे पर १०८४ टिकट बांटने वालों में से ३६६ को वर्दियां नहीं दी गई थीं।

(ख) इस रेलवे के कुछ सैक्शनों में सम्बद्ध व्यक्तियों के माप लेने में विलम्ब हो गया था। प्रशासन ऐसे विलम्ब की पुनरावृति को रोकने के लिए उपाय कर रहा है।

भर्ती

५८४. श्री एन० राचय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५५ तक की अवधि के अन्दर रेलवे कर्मशाला, मैसूर में कितने खलासी भर्ती किये गये थे; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग हैं।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो।

(ख) कोई नहीं।

रेलवे लाइन

५८६ श्री एल० एन० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासक ने समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दोहरी लाइन बिछाने की बजाय दरभंगा को सीधे मुजफ्फरपुर के साथ मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन का उपबन्ध करने में कोई सुझाव प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दोहरी लाइन बिछाने के अतिरिक्त ।

(ख) सुझाव विचाराधीन है ।

उपाहार गृह

५८७. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सहरसा जंकशन के लिये प्रस्तावित ए उपाहार गृह के चालू होने की कब तक आशा की जाती है; और

(ख) प्रस्ताव की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या मुख्य कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५५ के अन्त तक ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं ।

(१) मानसी और सहरसा के बीच नदी का टूट जाना, जिसके कारण स्थान तक सामान लाने-ले जाने में बाधा उत्पन्न हो गई ।

(२) कुछ तार के खम्भों और तारों के स्थानान्तरण करने में कठिनाइयां । स्थानान्तरण ९ अगस्त, १९५५ को ही पूरा हुआ था ।

सहरसा रेलवे स्टेशन

५८८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सहरसा जंकशन के ऊपर से पैदल चलने के लिए पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेल दुर्घटना

५८९. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ जुलाई, १९५५ को भैरोंगढ़ पर हुई दो मालगाड़ियों की टक्कर के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जाँच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है;

(ख) कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जो इस टक्कर के लिये जिम्मेदार हैं कोई सजा दी गई है; और

(घ) कितने व्यक्ति मरे और क्या वे स्थानीय लोग थे या रेल के कर्मचारी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खास-खास बातें ये हैं :—

१. सिगनल गिराने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लिया जाता है कि एक नियत दूरी तक लाइन साफ है या नहीं । इस नियम का पालन किये बिना ही १०३४ अप मालगाड़ी के लिए सिगनल गिरा दिया गया जिससे यह दुर्घटना हुई ।

२. इस दुर्घटना के लिए भैरोंगढ़ क स्टेशन मास्टर और १०३० अप मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड जिम्मेदार ठहराये गए हैं ।

(ख) इस दुर्घटना से रेलवे को जो नुकसान हुआ उसका अनुमान इस प्रकार है :—

इंजन	...	३,००० रुपये
डिब्बे	...	३१,५०० रुपये
रेलवे लाइन	...	५०० रुपये
कुल		३५,००० रुपये

(ग) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन-सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) ३ रेल–कर्मचारी—रतलाम के सहायक इंजीनियर और दो ट्राली वाले ।

काम दिलाऊ दफ्तर, नागपुर

५९०. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर :** क्या **श्रम** मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९५४ से मार्च, १९५५ तक नागपुर के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने बेकार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये;

(ख) कितने व्यक्तियों को काम दिया गया; और

(ग) उनमें हरिजन कितने थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस अवधि में ८९३० व्यक्तियों ने नियोजन केन्द्रों में नाम दर्ज कराये । इन नाम दर्ज कराने वालों में अधिकांश बेरोजगार व्यक्ति थे ।

(ख) ५८२ ।

(ग) २२४ हरिजनों को नौकरियां दिलाई गईं ।

मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक तथा क्षय रोग निरीक्षक

५९१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में इस समय मलेरिया निरीक्षक और क्षय रोग स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कितनी संख्या है; और अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ख) सरकार ने उनको क्या सुविधाये प्रदान की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तथा (ख). मनीपुर में मलेरिया निरीक्षक और क्षय रोग स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । मनीपुर के जितने व्यक्तियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया है अथवा यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा उन्हें जो सुविधायें दी गई हैं, उन का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५८]**

उत्तर ट्रंक रोड—आसाम

५९२. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने भराली के पूर्व में उत्तर ट्रंक रोड पर आसाम में उत्तर लखीमपुर तक अ फाल्त बिछाने के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राशि की मंजूरी दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंजिन, डिब्बे, आदि

५९३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के अन्दर छोटी लाइन के कितने रेलवे इंजिन प्राप्त किये जा चुके हैं; और

(ख) इन में से कितने इंजिन पूर्वोत्तर रेलवे के आसाम भाग को दिये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). १९५०-५१ से ले कर १९५४-५५ तक भारतीय रेलों पर छोटी लाइन के ८१ इंजिन प्राप्त हुए हैं इन में से २०६ इंजिन पूर्वोत्तर रेलवे को आवंटित किये गये हैं जिन में से ४९ इंजिन आसाम प्रदेश में चल रहे हैं।

त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी ऋण

५९४. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी ऋणों के लिये अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस वर्ष उन में से कितने को कृषि सम्बन्धी ऋण दिये गये हैं ; और

(ग) यदि किसी प्रार्थी को धन दिया गया है, तो इस की राशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र होने पर सभा-पटल पर रखी जाएगी।

निर्माण तथा भवन बनाने के उद्योग

५९५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१, १९५२-५३ और १९५४-५५ के अन्तर्गत दुर्घटनाओं के द्वारा निर्माण तथा भवन आदि बनाने के उद्योगों में काम करने वाले कितने मजदूरों की मृत्यु और चोटों की सूचना सरकार को मिली है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : १९५० से १९५३ तक की जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]** १९५४ सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

माल डिब्बों का आवंटन

५९६. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमक ढोने के लिए १९५३, १९५४ और १९५५ के दौरान अब तक मद्रास और आन्ध्र राज्यों को माल गाड़ी के कितने डिब्बों का आवंटन किया गया; और

(ख) इन दोनों राज्यों के सम्बन्ध में माल गाड़ी के डिब्बों के संभरण के लिए अभी कितने आवदन पत्र लम्बित हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०]**

सहकारिता का प्रशिक्षण

५९७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री ७ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्यम श्रेणी के सहकारी कर्मचारियों को सहकारिता का प्रशिक्षण देने के लिए शेष दो प्रादेशिक केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां स्थापित किया गया है या स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं, पर मामले पर सक्रिय विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसका अन्तिम निर्णय हो जायेगा ।

(ख) प्रस्तावित केन्द्रों में से एक उत्तर प्रदेश में मेरठ में और दूसरा मध्य प्रदेश में इन्दौर में स्थापित किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया केन्द्र

५९८. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में फाइलेरिया ज़ोरों से फैल रहा है ;

(ख) किन किन स्थानों पर फाइलेरिया केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान किस आधार पर चुने गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) हाल में ही उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि नीचे लिखे ज़िलों में फाइलेरिया हुआ है :

१. बलिया	८. जौनपुर
२. बस्ती	९. गाज़ीपुर
३. गोरखपुर	१०. बाराबंकी
४. आज़मगढ़	११. सुल्तानपुर
५ बनारस	१२. गौंडा
६. देवरिया	१३. फैज़ाबाद
७. बरैच	

(ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण योजना के मातहत उत्तरप्रदेश सरकार को एक नियंत्रण एकक और तीन सर्वेक्षण एकक दिये गये हैं । नियंत्रण दल बलिया ज़िले में, जहां बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई, है, काम करेगा ।

सर्वेक्षण दल (टीमों) का काम इस प्रकार होगा:

टीम नं० १ हैडक्वार्टर्स गाज़ीपुर ।	गाज़ीपुर, बनारस, आज़मगढ़ और देवरिया ।
टीम नं० २ हैडक्वार्टर्स बस्ती ।	बस्ती, गौंडा, गोरखपुर और बरैच ।
टीम नं० ३. हैडक्वार्टर्स जौनपुर ।	जौनपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर और बाराबंकी ।

(ग) राज्य के डाक्टरी (मैडिकल) व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकारों ने जगहों का चुनाव किया है ।

इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन

५९९. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९५५ से अब तक इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के विमान कितनी बार अपनी उड़ान के निश्चित समय के बाद उड़े ; और

(ख) प्रत्येक मामले में उसके क्या कारण थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) १-१-१९५५ से ३१-५-१९५५ की अवधि में कुल २०,८९८ उड़ानों में से ८९६ उड़ानों के मामले में ३० मिनट से अधिक का विलम्ब हुआ ।

(ख) मामलों के ब्योरों और विलम्ब के कारणों को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । [देखिए संख्या एस-२७१/५५]**

गाड़ियों का पटरी से उतरना

६००. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ महीनों में दक्षिण रेलवे पर बेज़वाड़ा और गुण्टूर के बीच गाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी दुर्घटनायें हुई :

(ख) कितने डिब्बों और इंजिनों को क्षति हुई ;

(ग) क्या टूटे-फूटे इंजनों और डिब्बों को मिस्त्रीखानों में पहुंचा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) फरवरी से जुलाई १९५५ तक की अवधि में पटरी से गाड़ी उतरने की दो दुर्घटनायें हुई ।

(ख) केवल एक इंजिन ।

(ग) उस इंजिन को दुर्घटनास्थल से १२-८-१९५५ को दोनाकोंडा पहुंचाया गया । मालगाड़ी के जिस डिब्बे में इंजिन लदा हुआ है वह हुबली रेलवे मिस्त्रीखाने में जगह खाली होने का इंतजार कर रहा है । उस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंजिनों की परिमाप पटरी पर ठीक प्रकार चलने के लिये ज्यादा है, इंजनों को ठीक तरह से चलाने के लिये विशेष प्रबंध किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऋण सुविधायें

६०१. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८ के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज़ लिप्टन लिमिटेड को ऋण पत्रों द्वारा भाड़े का भुगतान करने का सुविधा देने के पूर्व उन से प्रत्याभूति जमा करने की मांग क्यों नहीं की गई ;

(ख) किस तारीख से इस व्यापारिक संस्था ने ऋणपत्रों द्वारा रेलवे भाड़े का भुगतान करना शुरु किया था; और

(ग) किस तारीख को रेलवे ने उन से प्रत्याभूति जमा करने के लिये कहा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

पत्तन

६०२. **श्री सी० भट्ट** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से मार्च १९५५ तक भारत सरकार ने किन पत्तनों को बड़ा, माध्यमिक और छोटा घोषित किया है;

(ख) किन किन पत्तनों को प्रथम पंच वर्षीय योजना में विकसित किया जा रहा है और किन किन को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विकसित करने का विचार है; और

(ग) प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक पत्तन के लिये कुल कितने खर्च की व्यवस्था की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२ से मार्च १९५५

तक किसी पत्तन को बड़ा नहीं घोषित किया गया । वर्तमान विधि के अन्तर्गत माध्यमिक और छोटे पत्तनों के लिए भारत सरकार को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(ख) और (ग). पंच वर्षीय योजना की विकास योजनाओं की अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ६१]** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पत्तनों के विकास से संबन्ध प्रस्थापनायें अभी विचाराधीन हैं।

यात्रियों को सुविधायें

६०३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में मध्य रेलवे के बीना–कटनी सेक्सन पर––

(१) प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, फर्श और शेड का निर्माण करने ;

(२) नये ऊपरी पुल बनाने के लिये कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) उक्त काल में इन मदों पर सारी मध्य रेलवे में कुल कितनी राशि वयय की गई; और

(ग) इन मदों पर व्यय के स्वीकृत किये जाने से पूर्व सामान्यत: क्या कार्यवाही की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में मध्य रेलवे के बीना–कटनी सेक्शन पर प्लेट-फार्मों को ऊंचा करने, उन पर फर्श और छत लगाने के लिए २,६६ लाख रुपये तक की मंजूरी दी गयी थी । इन दो वर्षों में इस सेक्शन पर कोई नया ऊपरी पुल बनाने की मंजूरी नहीं दी गई थी ।

(ख) प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, उन पर फर्श और छत लगाने और ऊपरी पुल बनाने में जो खर्च हुआ उसके अलग-अलग आंकड़े इकट्ठे नही किये गये हैं । १९५३-५४ और १९५४-५५ में प्लेटफार्मो को बढ़ाने, ऊंचा करने, चौड़ा करने चोरस बनाने, उन पर फर्श लगाने, बैठने की जगहें बनाने, पेड़ लगाने आदि के काम पर जो कुल खर्च हुआ उसका ब्योरा इस प्रकार है :–

१९५३–५४	१९५४–५५
८,८३,८९९ रुपये	२१,१९,२६४ रुपये

नये ऊपरी पुल और भीतरी रास्ते बनाने, पहले के ऊपरी पुलों को बढ़ाने, सुधारने, और उन पर छत लगान के काम पर जो खर्च हुआ वह इस प्रकार है :–

१९५३–५४	१९५४–५५
८१,९९६ रुपये	८२,४६० रुपये

(ग) यात्रियों की सुविधा के कौन से काम अगले वर्ष के निर्माण कार्य-क्रम में शामिल किये जायेंगे इसका फैसला यात्री सुविधा-समिति करती है । काम चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अमुक वर्ष में कितना धन यात्री-सुविधा के लिए मिला है और किस स्टेसन पर कौनसा काम कितना जरूरी है और वह कितनी जल्दी हो जाना चाहिए ।

रेलवे लाइन के ऊपर से जाने के पुल

६०४. **श्री बोगावत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बम्बई राज्य में कुछ रेलवे फाटकों पर लाइन के ऊपर से जाने के पुल बनवाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) धोंड-मनमाड लाइन पर श्रीरामपुर और अहमदनगर में लाइन के ऊपर से जाने के पुल बनाने का काम कब प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां, कोलवाड़ा और कुर्ला के बीच तथा नासिक में काम शुरु हो गया है और असाखा में शुरु किया जाने वाला है ।

(ग) श्रीरामपुर में लाइन के ऊपर से जाने का पुल बनाने की बातचीत राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच चल रही है पर अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। अहमदनगर में लाइन के ऊपर से जाने का पुल बनाने की कोई प्रार्थना रेलवे प्रशासन के पास नहीं आई है।

लोक-सभा

बुधवार,
२४ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/X/23
Chamber Furnished

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही...)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

समवाय विधेयक—जारी

खण्ड २ से १०

अध्यक्ष महोदय : सभा समवाय विधेयक के खण्ड २ से १० पर अग्रेतर विचार प्रारम्भ करेगी। इन खण्डों के लिये जो पांच घंटे नियत किये गये थे, उस में से १¹/₂ घंटे का उपयोग किया जा चुका है, और ३¹/₂ घंटे शेष रह गये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : १¹/₂ घंटे से कम समय इन खण्डों पर विचार में लगा है।

अध्यक्ष महोदय : समय नियत करने में आनुषंगिक वाद-विवादों, औचित्य प्रश्नों और जांच सम्बन्धी प्रश्नों तथा स्पष्टीकरण आदि में जो समय लगता है, उस को भी इसी में सम्मिलित कर लिया जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आनुषंगिक होती हैं। यहां पर यह कहना ग़लत होगा कि प्रारम्भिक वाद-विषय में जो समय लगा उसे समय की गणना में से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): अध्यक्ष महोदय द्वारा जो समय लिया गया है उसे छोड़ देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहे तो उस समय का समायोजन कर सकती है। अब श्री चेटिट्यार, जो कल बोल रहे थे अपना भाषण पुनः आरम्भ कर सकते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : मैं कल सहकारियों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित संशोधनों का उल्लेख कर रहा था। प्रस्तावित संशोधन के विरुद्ध अत्यधिक आपत्ति उठाई गई है। यहां प्रश्न यह है कि इन संशोधनों का समवाय के कार्यसंचालन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि हम खण्ड ३५६, ३५८, ३५९, ३६०, ३६९ और ३७० पर विचार करें तो पता लगेगा कि उस में जिन बुराइयों का उल्लेख किया गया है वे समवायों के प्रशासन में बराबर रहे हैं। अब मैं उन की कुछ बुराइयों का निर्देश करना चाहूंगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

खण्ड ३५६ विक्रय अभिकर्ताओं के विषय में है। कितनी ही बार यह सिद्ध किया जा चुका है कि समवायों के प्रबन्ध अभिकर्ताओं से सम्बन्धित लोग तथा उन के भागीदार विक्रय अभिकरण स्थापित कर लेते हैं जिस के परिणामस्वरूप समवायों, अंशधारियों तथा आय-कर विभाग को हानि पहुंची है।

खण्ड ३५८ प्रबन्ध अभिकर्ता अथवा सहकारी के क्रय अभिकर्ता नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। हम जानते हैं कि यह चीज अनेक बुराईयों का सूत्र रही है।

खण्ड ३६० के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ठेके उन्हीं लोगों को दिये गये हैं जो प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्धी हैं अथवा भाई-भतीजावाद के आधार पर दिये गये हैं इसीलिये इतनी गड़बड़ी होती है। ठीक यही बात ऋण तथा प्रत्याभूतियों के लिये भी लागू होती है। अतः सहकारी सम्बन्धी इस खण्ड को सुदृढ़ बनाने के लिये समवाय विधि समिति ने एक मामला तैयार किया है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्थापित संशोधन संख्या २६० के विषय में एक मैं चेतावनी देना चाहता हूं। यह संशोधन उन समवायों में अवश्य लागू किया जाना चाहिये जिन में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्धी प्रबन्धक हैं किन्तु जिन में ऐसा नहीं है और प्रबन्धक वेतन भोगी, अर्हताप्राप्त और प्रविधिक व्यक्ति हैं, उन में ऐसी बुराइयां नहीं होने पाती हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे कि क्या प्रबन्धकों के सम्बन्धियों को सम्मिलित करना कहां तक उचित होगा। कुछ प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने मुझे स्पष्ट बताया कि जब तक आप उन के सम्बन्धियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तब तक यह चीज रोकी नहीं जा सकती। अतः इस सरकारी संशोधन का हमें समर्थन करना चाहिये।

अब मैं खण्ड २ के उप-खण्ड २(घ) को लेता हूं। हम प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक, निदेशक अथवा अन्य किसी के सम्बन्धी को वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं किन्तु केवल अनुसूची ७ के अधीन ही, वैसे नहीं। निदेशक की सहमति से किसी समवाय में वेतनभोगी पदाधिकारी के रूप में किसी सम्बन्धी की नियुक्ति की जाने पर कोई रोक नहीं है। प्रतिबन्ध केवल इस बात पर है कि सम्बन्धियों को विक्रय अभिकर्ता अथवा क्रय अभिकर्ता के रूप में काम में नहीं लाया जाना चाहिये और न उन्हें ऋण अथवा प्रत्याभूतियां ही दी जानी चाहियें। अतः यदि हम पहले की इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं तो इस प्रकार का संशोधन करना अत्यावश्यक होगा।

अब मैं एक दूसरा पहलू लूंगा। खण्ड २, उप-खण्ड (३) के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया है कि "निजी समवाय" के स्थान पर "५० से कम सदस्यों वाला समवाय होना चाहिये। इस का कारण यह है कि निजी समवाय ४९ सदस्यों तक वाला हो सकता है और सार्वजनिक समवाय ७ से अधिक वाला होगा जिस का तात्पर्य यह होगा कि ४९ सदस्यों वाला निजी समवाय बिल्कुल साफ छूट जायेगा और सम्बन्धियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ७ या ८ सदस्यो वाले सार्वजनिक समवाय पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा। अतः इस संशोधन का समर्थन किया जाना चाहिये।

खण्ड ६ के विषय में, जिस में संबंधियों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है इस में एक ही महाजन की सन्तानों को सम्बन्धी माना गया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो संशोधन सगे चचेरे भाई ('फर्स्ट कजिन') तक सीमित रखने क

के लिए रखा है हम उसका स्वागत करते हैं। यदि वे अविभक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं तो खण्ड ६ के अधीन वे सम्बन्धी नहीं समझे जायेंगे। अब मुझे पता चला है कि खण्ड ६ के निर्वचन में साले, बहनोई और दामाद भी आ जाते हैं इस कारण उस संशोधन को रखना आवश्यक नहीं है।

तत्पश्चात् खड ३ के उप-खंड (४४) के विषय में मुझे यह कहना है कि इस के विषय में भी संशोधन रखा जा चुका है और इस पर खण्ड ३७८ के साथ विचार किया जा सकता है। अतः इस समय इसे स्थगित किया जा सकता है।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड-सोरठ) : यों तो मेरे ६ संशोधन हैं किन्तु वास्तव में केवल दो ही हैं। संशोधन संख्या ३२५ सरकारी संशोधन संख्या २६० की केवल व्याख्या और स्पष्टीकरण करने वाला है। मेरा संशोधन अंशधारियों, प्रबन्धकों और सम्बन्धियों आदि को परिभाषा के द्वितीय भाग में जोड़ देने के सम्बन्ध में है। जिस का प्रभाव यह होगा कि यदि कोई निदेशक या प्रबन्धक या उस के सम्बन्धी अथवा भागीदार किसी अन्य निगम निकाय में ५० प्रतिशत मताधिकार रखें तो वह निगम निकाय प्रबन्ध अभिकर्ता सहकारी समझा जायेगा। अतः मेरा सशोधन संख्या ३२५ सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन संख्या २६० के सिद्धान्त को केवल लागू करने के लिये है।

मेरे अगले संशोधन संख्या ३२७ और ३२९ उप-खण्ड (३) (घ) के सम्बन्ध में हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि किसी निजी समवाय में ४९ सदस्य हैं और एक सार्वजनिक समवाय में २० सदस्य हैं तो सार्वजनिक समवाय होने के कारण उस पर उप-खण्ड ३(घ) का प्रभाव नहीं पड़ेगा जबकि निजी समवाय इस के अन्तर्गत आ जायेगा। अतः मेरा संशोधन केवल यह है कि जिन सार्वजनिक समवायों में ५० से कम सदस्य हों उन को निजी समवाय के आधार पर ही रखा जाये। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस समवाय में ५१ से कम सदस्य होंगे उस को निजी समवाय समझा जायेगा और उस के प्रत्येक सदस्य को प्रबन्ध अभिकर्ता का सहकारी।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस विधेयक में निजी समवाय की जो परिभाषा दी गई है वह इस संशोधन से बदल जायगी ?

श्री सी० सी० शाह : मेरे संशोधन से उस की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहो होने पाता क्योंकि प्रत्येक निगम-निकाय जिस में ५० से अधिक सदस्य नहीं हैं उस के प्रत्येक सदस्य को एक सहकारी समझा जायेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : चाहे वह सार्वजनिक लिमिटेड समवाय क्यों न हों ?

श्री सी० सी० शाह : हम केवल प्रबन्ध अभिकरण सार्थों की चर्चा कर रहे हैं। बहुत से प्रबन्ध-अभिकरण सार्थ ऐसे हैं जो नाम के लिये सार्वजनिक हैं, किन्तु वास्तव में है वे निजी समवाय जिसमें १५--२० सदस्य होते हैं जो एक ही परिवार के प्राणी होते हैं। वास्तव में जो भी व्यक्ति किसी ऐसे निजी अथवा सार्वजनिक समवाय का सदस्य बनता है, जो प्रबन्ध अभिकरण सार्थ होती है, तो वह ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ताओं को पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाले अंश में भागीदार बनाने के लिये करता है। इस पारिश्रमिक में भागीदार बन जाने के बाद उस अन्य किसी प्रकार के लाभादि की आशा नहीं करनी चाहिये। अतः उसे अपने ऊपर एक प्रकार का आत्म नियंत्रण लगाना होगा कि वह अन्य किसी भी प्रकार का लाभादि

[श्री सी० सी० शाह]

नहीं ग्रहण करेगा । मेरा निवेदन है कि सभी प्रबन्ध अभिकर्ताओं को इस सिद्धान्त का पालन करना चाहिये । मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि निजी प्रबन्ध अभिकरण समवाय के सदस्यों को क्रय अथवा विक्रय अभिकर्ता बन कर लाभ नहीं कमाना चाहिये ।

श्री तुलसीदास : वे सदस्य जो प्रबन्ध अभिकरण सार्थ से सम्बन्धित नहीं हैं, वे इस परिभाषा से सहकारी हो जाते हैं ।

श्री सी० सी० शाह : इस में कुछ समझ की गड़बड़ी है । मैं ने तो केवल निजी समवाय के सदस्य का उल्लेख किया था उसके सम्बन्धियों का नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : संशोधन संख्या ३२७ के अनुसार श्री सी० सी० शाह ये शब्द रखना चाहते हैं : "या पचास से अनधिक सदस्य वाला नगम निकाय" । मैं देखता हूं कि उप-खण्ड (ग) में, जहां प्रबन्ध अभिकर्ता निगम-निकाय होता है, सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है । तो क्या श्री सी० सी० शाह वाला मामला इस में नहीं आ जाता है ?

श्री सी० सी० शाह : उप-खण्ड (ग) में निगम-निकाय के अन्दर कोई भी निजी अथवा सार्वजनिक समवाय आ जाता है जिस की सदस्यता ५० से कम अथवा अधिक हो किन्तु उप-खण्ड (घ) में सामान्य श्रेणी से एक श्रेणी विशेष का उल्लेख किया गया है और केवल इसी में सदस्यों की सीमित संख्या लागू होती है ।

श्री एस० एस० मोरे : उप-खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में अलग अलग वर्गों का उल्लेख किया गया है । अतः मेरा निवेदन यह है कि उप-खण्ड (ग) पर्याप्त व्यापक है जिस में श्री सी० सी० शाह जिस मामले की कल्पना कर रहे हैं, वह भी आ जायगा । यदि हम सीमित सदस्यता वाले किसी अन्य निगम-निकाय को रख देते हैं तो उससे उप-खण्ड (ग) सीमित हो जायगा और वह केवल ५० से अधिक सदस्यों वाले निगम निकाय में लागू होगा । अतः एक ही चीज एक ही प्रकार के दो संशोधनों में न आजाये इस कारण मैं श्री सी० सी० शाह से इस का स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री सी० सी० शाह: यदि श्री एस० एस० मोरे अपना कुशल मस्तिष्क लगायेंगे तो उन को यह कठिनाई हल हो जायेगी उप-खण्ड (ग) में निगम-निकाय के सदस्यों की नहीं अपितु प्रबन्धकों, निदेशकों, संबंधियों और भागीदारों का उल्लेख किया गया है और उप-खण्ड (घ) द्वारा उप-खण्ड (ग) में ही कुछ और वृद्धि की गई है ।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री तुलसीदास को आपत्तियों का उत्तर दूंगा । उन्होंने 'सम्बन्धियों' के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति की, किन्तु परिभाषा के अन्य भागों पर नहीं । यदि हम उन की इस बात को मान लेते हैं तो उस का परिणाम यह होगा कि किसी भी निदेशक का भागीदार तो नहीं वरन उस का पुत्र क्रय अथवा विक्रय अभिकर्ता बन सकेगा ।

श्री तुलसीदास : यदि पुत्र पिता से अलग रहता है, तो इस में क्या आपत्ति है ?

श्री के० के० बसु : वह केवल यह चाहते हैं कि दोनों में वित्तीय संबंध नहीं होना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : तब हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों अलग हैं या नहीं । इसके अतिरिक्त आय-कर बचाने के लिए एक ही

मकान में रहने वाले पिता पुत्र अलग-अलग दिखाये जाते हैं। यदि मेरे मित्र का उद्देश्य यही है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की सम्बन्धियों से नाम से लाभ उठाने दिया जाये, तो फिर 'सहकारी' की परिभाषा करने से कोई लाभ नहीं।

मेरी समझ में नहीं आता कि 'सम्बन्धी' को इस में सम्मिलित कर देने से क्या कठिनाई उपस्थित हो जायेगी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने सम्बन्धियों पर विश्वास कर सकता हूं, अपरिचितों पर नहीं। मैं कहता हूं कि व्यापार में कुछ अपरिचितों पर सम्बन्धियों से भी अधिक विश्वास करना पड़ेगा।

श्री तुलसीदास : जैसा आप समझते हैं यह बात नहीं है।

श्री सी० सी० शाह: मैं ने खण्ड २३८ से २४२ तक की पूर्ण जांच की है और वे समवाय के कार्यों की जांच के सम्बन्ध में हैं। जांच करने के लिये नियुक्त किये गये निरीक्षक को किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के सहकारी के कार्य का निरीक्षण करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी और केंद्रीय सरकार को देखना पड़ेगा कि ऐसा करना आवश्यक है। मूल विधेयक में यह व्यवस्था नहीं थी। यह तो बाद में निरीक्षक अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके इसलिये बढ़ाई गई है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि खण्ड २३८ से कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी और अन्य खण्ड तो केवल आनुषंगिक हैं।

तत्पश्चात् प्रबन्धक और उस के संबंधियों को सम्मिलित करने पर आपत्ति प्रकट की गई है। इस सम्बन्ध में मैं विधेयक में प्रबन्धक की जो परिभाषा की गई है उसी से हमारा तात्पर्य है। हम तो प्रबन्धक उसे समझते जो वास्तव में प्रबन्ध निदेशक हो और जिस के हाथ में सम्पूर्ण अथवा सारतः सम्पूर्ण समवाय का प्रबन्ध हो। हम शुद्ध लाभ में से ५ प्रतिशत जो उसे देंगे इस से प्रबन्धक की स्थिति और भी ऊंची हो जाती है। अतः कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि प्रबंधक जिसे इतने अधिकार प्राप्त हों और जिसे प्रबन्ध अभिकर्ता के कुल पारिश्रमिक का आधा भाग मिलता हो, प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध अभिकर्ता से भी अधिक प्रभावशाली हो जाये। अतः यदि आप विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी रखना चाहते हैं तो प्रबन्धक और सम्बन्धियों को इस में सम्मिलित करना आवश्यक है।

श्री तुलसीदास : क्या बीमा कम्पनियों या बैंकों के प्रबन्धकों को इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ?

श्री सी० सी० शाह : यदि यह उन के विशेष अधिनियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, तो यह उन पर लागू होगा। अतः मेरा निवेदन है कि प्रबन्धक को इस कारण सम्मिलित किया जाना है। मेरे विचार में 'सम्बन्धी' शब्द को सम्मिलित करना ठीक है। मैं बहुत से प्रबन्ध अभिकर्ताओं को जानता हूं जो यह अनुभव करते हैं कि यदि 'सम्बन्धी शब्द को सम्मिलित न किया गया तो, उपबन्धों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

हमें यह भी सोचना चाहिये कि हमारे लिये 'सहकारी' शब्द की इस प्रकार परिभाषा करना क्यों आवश्यक हो गया है ? इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान भाभा समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ १०३ की ओर दिलाता हूं। 'सहकारी' शब्द की परिभाषा १९५१ में संशोधित किये गये अधिनियम में भी है। किन्तु हमें अनुभव से मालूम हुआ है कि यह परिभाषा अपर्याप्त है चूंकि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसलिये यह नई परिभाषा देना आवश्यक

[श्री सी० सी० शाह]

हो गया है। किन्तु मुझे डर है कि कुछ लोग इस परिभाषा से भी कुछ हद तक बच जायेंगे। विरोधी पक्ष के अन्य सदस्यों ने इसे और अधिक कड़ा बनाने के लिये संशोधन दिये हैं। उदाहरणतया सरकार ने यह उपबन्ध किया है कि जिन मामलों में ५० प्रतिशत मताधिकार इन लोगों के हाथ में हों, तो यह परिभाषा लागू होगी। श्री के० के० बसु इसे कुछ मामलों में ३३ प्रतिशत या २५ प्रतिशत करना चाहते हैं। किन्तु सरकार ने इस मामले में उदारता दिखाई है और इसे ५० प्रतिशत रखा है।

अन्य संशोधनों के द्वारा 'सम्बन्धी' की परिभाषा बताने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु सरकार इस हद तक नहीं जाना चाहती क्योंकि वह यह भी नहीं चाहती कि कारोबार, करना ही असम्भव हो जाये।

इस उपबन्ध का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता सिवाय उस लाभ के जिस की कि अधिनियम के द्वारा स्पष्ट और उचित रूप से अनुमति दी गई है, अपने पद के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई और लाभ उठाने का प्रयत्न न करे। हम ने प्रबन्ध अभिकर्ता को ११ प्रतिशत पारिश्रमिक दिया है जिसे कि बिल्कुल उदार उपबन्ध कहा जा सकता है। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को पांच साल तक परखा जायेगा और यह परख इन उपबन्धों के कारण अच्छी तरह हो सकेगी। मैं सब संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : मैं 'ऋण-पत्र' शब्द की परिभाषा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री तुलसीदास ने इस परिभाषा की आलोचना की है और कहा है कि उन समवायों को कठिनाई होगी जोकि अल्पकालीन ऋण लेना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सौदे को भी ऋण-पत्र समझा जायेगा। उन्होंने कहा है कि इस से बीमा कम्पनियों को भी कठिनाई होगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन की शंका बिल्कुल निराधार है यह याद रखना चाहिये कि 'ऋण-पत्र' को ठीक ठीक परिभाषित नहीं किया जा सकता। किन्तु ऋण-पत्र के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन के कारण इस में और अन्य लिखतों में भेद किया जा सकता है। ये पामर ने अपनी पुस्तक 'कम्पनी प्रीसीडेन्ट्स", भाग ३, पृष्ठ ३ में बताये हैं। इस दृष्टिकोण से देखते हुए अल्प-कालीन ऋण को या किसी एक सौदे को 'ऋण-पत्र' नहीं कहा जा सकता। मिः गावर ने भी, जिन्हें समवाय विधि के सम्बन्ध में माना हुआ विद्वान् समझा जाता है, अपनी पुस्तक में इस बात का समर्थन किया है।

श्री तुलसीदास की दूसरी आपत्ति बीमा कम्पनियों द्वारा विनियोग के बारे में थी और इस सम्बन्ध में उन्होंने धारा २७क का उल्लेख किया है। मेरे उत्तर के तीन पहलू हैं। पहला यह है कि इस विधेयक में 'ऋण-पत्र' की जो परिभाषा दी गई है, वह केवल इसी अधिनियम की धाराओं पर लागू होगी और इस से 'ऋण-पत्र' शब्द के अर्थ को, जो किसी अधिनियम में आता हो, सीमित नहीं किया जा सकता।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं उप-खण्ड (ज) के बारे में है। इस के अनुसार अनुमोदित विनियोगों में से एक विनियोग वह 'ऋण-पत्र' होंगे जो चल भार से प्राप्त किये गये हों। यदि ऐसा न हो, तो भी यह संगत नहीं होगा। अतः मेरे मित्र की दोनों आपत्तियां निराधार हैं। 'ऋण-पत्र' की परिभाषा जैसा कि यह अधिनियम में दी गई है, हमें स्वीकार करनी चाहिये। यह ब्रिटिश

अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुरूप है, जिस से कि किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं ने कल श्री तुलसीदास का भाषण बड़े ध्यान से सुना था और मझ हर्ष है कि गैर-सरकारी क्षेत्र अपने उत्तरदायित्वों को अनुभव कर रहा है । इतनी बड़ी समवाय विधि का जिस की ६०० धारायें और १२ अनुसूचियां हैं मुख्य उद्देश्य ही यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उचित आधार पर लाया जाये। भाभा समिति इसलिये नियुक्त की गई थी कि वर्तमान समवाय विधि की त्रुटियां दूर की जायें । इस समिति ने सिफारिश की थी कि प्रबन्ध अभिकर्ता के सहकारी की परिभाषा की जानी चाहिये । उस ने साथ ही यह भी कहा है कि समवाय विधि बनाने और प्रतिबन्ध लगाने का कोई लाभ नहीं, जब तक कि इसे प्रभावोत्पादक न बनाया जाये । क्या केवल यह कहने से कि भागीदार सहकारी है, यह प्रभावोत्पादक बन जाती है ? आप बेटे को सम्मिलित करते हैं किन्तु भागीदारों को नहीं । यह कितनी विसंगत बात है । क्या केवल बेटे, बाप या पोते को सम्मिलित करना उचित है ? यदि हम भाभा समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो हमें इन प्रतिबन्धों को प्रभावोत्पादक भी बनाना होगा । श्री देशमुख ने केवल इतना किया है कि एक नया खंड --खंड ६— रख दिया है जिस में 'सम्बन्धी' की परिभाषा दी गई है । मेरे विचार में यह परिभाषा अधिक व्यापक होनी चाहिये थी । इस के लिये कुछ दोष विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले का है और कुछ हमारा भी है । मैं मानता हूं कि इस परिभाषा में से 'सम्बन्धी' की कुछ श्रेणियां निकाली जा सकती हैं । परन्तु भाभा समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ २२६ पर यह कहा गया है कि एक नया खंड जोड़ा जाना चाहिये। नया खंड रखने का कारण यह है कि समवाय विधि के प्रवर्त्तन से यह पता चला है कि जब तक कि उपबन्धों में आमूल परिवर्तन न हों और उन्हें सख्ती से लागू न किया जाये, तब तक तो जो कदाचार सामने आया है उसे दूर नहीं किया जा सकेगा। मैं आप का ध्यान धारा ३५६ की ओर दिलाता हूं । आप जानते हैं कि अधिकतर कदाचार इस बात से पैदा हुआ है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने कुछ व्यक्तियों को विक्रय अभिकर्ता नियुक्त किया है । इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आई हैं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है । इसलिये हम इसे कड़ा बना रहे हैं। हम ने उपबन्ध किया है कि यदि विक्रय भारत में हो, तो कोई प्रबन्ध अभिकर्ता या सहकारी पारिश्रमिक या कमीशन नहीं ले सकेगा । यदि आप भारत से बाहर जायें, तो कुछ परिस्थितियों में ले सकते हैं ।

खंड ३५८ को देखिये । बंगाल में अंशधारियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस शक्ति का बहुत दुरुपयोग किया गया है और बेटों, भतीजों, दामादों आदि को क्रय अभिकर्ता नियुक्त किया गया है । यदि आप अनुभव करते हैं कि किसी प्रबन्ध अभिकर्ता या सहकारी को किसी समवाय के लिये क्रय या विक्रय अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो क्या यह कहना उचित है कि भागीदारों को और सहकारियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा किन्तु बेटों, भतीजों या अन्य सम्बन्धियों को सम्मिलित किया जायेगा ? आप को ऐसे उपबन्ध बनाने चाहियें जिस से कि यह कदाचार रोका जा सके । मेरे विचार में जब तक कि सम्बन्धी को भी इसी श्रेणी में न रखा जाय, आप ने इसे नहीं रोक सकेंगे । वास्तव में समवाय

[श्री एन० सी० चटर्जी]

विधि में खंड ६ की, जिस में 'सम्बन्धी' को परिभाषित किया है, कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई हिन्दू विधि या मुस्लिम विधि नहीं है। हम यह इसलिये चाहते हैं कि किसी सम्बन्धी को क्रय या विक्रय अभिकर्ता बनने या रुपया कमाने के लिये विशेष सुविधायें दिये जाने से रोका जाय। यदि संसद् यह अनुभव करती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सहकारियों को परिभाषित किया जाये, ताकि कुछ भागीदार या अन्य लोग जिन का समवाय में कुछ हित है क्रय या विक्रय अभिकर्ता न बन सकें, तो यह भी आवश्यक है कि सम्बन्धियों पर भी यही अनर्हता लागू हो। मेरे विचार में ऐसा करने से व्यापारियों के लिये उचित रूप से कार्य करना असम्भव नहीं हो जायेगा। मैं जानता हूं कि कुछ मामलों में कठिनाई अवश्य होगी किन्तु इस का कारण वास्तव में यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि आप को खंड ३५६ या ३५८ रखने ही हैं तो आप को सम्बन्धियों को कुछ परिवर्तनों के साथ अवश्य सम्मिलित करना पड़ेगा जैसाकि श्री सी० डी० देशमुख ने सुझाव दिया है।

खंड ५ के, जिस में 'चूक करने वाले पदाधिकारी' की परिभाषा दी गई है, दूसरे भाग में "जान बूझ कर और अपनी इच्छा से" ("नोइंगली एण्ड विलफुली") शब्द रखे गये हैं; किन्तु इस के पहले भाग में ये शब्द नहीं हैं। यह असंगति दूर होनी चाहिये और परिभाषा वैसी होनी चाहिये जैसी कि ब्रिटेन के अधिनियम में है।

ब्रिटेन के अधिनियम की धारा ४४० में इस प्रकार की परिभाषा के लिये "अपनी इच्छा से" और "जान बूझ कर" शब्दों को आवश्यक बताया गया है। मेरा कहना यह है कि ऐसे ही किया जाना चाहिये। ब्रिटेन के चांसरी न्यायालयों का कहना है कि ऐसा करना ठीक रहता है क्योंकि कई बार कर्मचारी निदेशकों के कहने के अनुसार कोई काम करते हैं। जब तक उन्हों ने अपनी इच्छा से और साथ ही जान बूझ कर यह काम न किया हो उन्हें दण्ड देना उचित नहीं होगा।

श्री सी० सी० शाह : संयुक्त समिति में इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया था और "जान बूझ कर" शब्द पहले भाग में नहीं रखे गये और दूसरे भाग में रखे गये हैं। पहला भाग पदाधिकारी के अपने काम के समबन्ध में है जबकि उसे पता हो कि वह दोषी है। इस भाग का उद्देश्य उस के द्वारा अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की जाने के लिये उसे दण्ड देना है। दूसरा भाग उन कामों के सम्बन्ध में है जो करते तो दूसरे हैं परन्तु जिन की अनुमति वह पदाधिकारी देता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : एक औचित्य प्रश्न है। ये दोनों सदस्य संयुक्त समिति में थे। क्या यह उन का निजी मामला है कि वे आपस में फैसला कर लें?

उपाध्यक्ष महोदय : यह औचित्य प्रश्न कैसे हुआ? संयुक्त समिति में जो कुछ हुआ वह नहीं बताया जा रहा है। माननीय सदस्य तो उपबन्ध के दो भागों का परस्पर अन्तर बता रहे हैं। ये इन दोनों सदस्यों की आपसी बातचीत नहीं है। हम भी उसे सुन रहे है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि सम्भव है कि संयुक्त समिति में इन दोनों में परस्पर इस प्रश्न पर बात हुई हो, परन्तु इस का यह मतलब नहीं है कि श्री चटर्जी अपने विचार सभा के सामने नहीं रख सकते।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में श्री शाह की और मेरी बातचीत हुई थी, परन्तु हमें यह बतानें की आवश्यकता नहीं कि संयुक्त समिति में क्या हुआ था ।

मैं यह कह रहा हूं कि ब्रिटेन के अधिनियम की धारा ४५० की उपधारा (२) में दोषी पदाधिकारी की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि 'ऐसा पदाधिकारी जो जान बझकर और अपनी इछा से कोई काम होने दे।" मेरा सुझाव यह है कि यह परिभाषा काफी है। ब्रिटेन के न्यायाधीशों नें भी कहा है कि कुछ मामलों में जहां परित्राण की आवश्यकता है यह परिभाषा परिमाण का काम देती है । हमारे अधिनियम में भी दण्ड सम्बन्धी इतने उपबन्ध हैं कि हमें उन को बढ़ाना नहीं चाहिये। इसलिये मेरा कहना है कि उपरोक्त परिभाषा काफी है ।

श्री शाह ने खण्ड २ में जो संमोधन (संख्या ३२७) रखा है, उस के सम्बन्ध में में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्री शाह इस खण्ड के उपखण्ड ३(घ) में निम्नलिखित शब्द जोड़ना चाहते हैं :

> "या ५० से अनधिक सदस्य वाला कोई निगम निकाय" ।

आप जानते हैं कि किसी निजी कम्पनी में ४५ या ५० व्यक्ति हो सकते हैं। वे सभी सहकारी होंगे और उन पर समवाय विधि के सारे प्रतिबन्ध लागू होंगे । अब श्री शाह सार्वजनिक कम्पनियों पर भी वही प्रतिबन्ध लागू करवाना चाहते हैं । संयुक्त समिति का ऐसा अभिप्राय नहीं था और मेरा सुझाव है कि यह आवश्यक नहीं है ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : ५० सदस्यों वाली सार्वजनिक कम्पनी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मुझे मालूम है। मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक कम्पनियों के कितने ही सदस्य हो सकते हैं ; आप उन सभी को क्यों इस खण्ड में लाना चाहते हैं? निजी कम्पनी और सार्वजनिक कम्पनी में मुख्य भेद सदस्यों की संख्या का नहीं वरन किसी और को अंश देने के अधिकार पर प्रतिबन्ध का है। जब तक यह प्रतिबन्धन हो । कोई कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी ही होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बेच सकने का अधिकार हो सकता है। परन्तु शायद उन्होंने अंशों को हथिया रखा हो और उसे बेचना न चाहते हों । तो यह निजी कम्पनी सी बन जायेगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आप यह संख्या ५० रखिये परन्तु कुछ ही समय में यह उपबन्ध प्रभावहीन हो जायगा। मेरी कम्पनी म ४० सदस्य होंगे तो मैं यह उपबन्ध पास हो जाने पर उन की संख्या ६० कर दूंगा । तो मेरा कहना यह है कि संख्या का उल्लेख करना ही काफी नहीं है । मैंनें इस सम्बन्ध में श्री शाह के साथ बातचीत की है परन्तु जहां तक मझे मालूम है, यह प्रश्न संयुक्त समिति के सामने नहीं आया। मुझे याद है कि इस प्रकार के उपबन्ध आयकर अधिनियम में किये गये हैं । १९४९ के वित्त अधिनियम और १९५० के वित्त अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक कम्पनी के अधिकांश अंश केवल ६ आदमियों के हाथ में ह तो उस निजी कम्पनी समझा जा सकता है । परन्तु मेरा विचार है कि यह उपबन्ध केवल इस कारण से करना ठीक नहीं है कि किसी कम्पनी के सदस्यों की संख्या ५० है। खैर मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करें ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

मैं आशा करता हूं कि प्रश्न केवल इस प्रकार की छोटी मोटी आलोचना करने का नहीं है । प्रश्न यह है कि हम विशेष प्रयोजन से यह कानून बना रहे हैं । मैं उन में से हूं जिन्हें इस विधेयक के पास होने पर समवाय विधि के ईमानदारी से लागू होने का विश्वास है । साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि यदि अंशधारी और जनता चौकन्नी रहे तो व्यापार ईमानदारी से चलाया जा सकता है । हम आशा करते हैं कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के गैर सरकारी क्षेत्र को पूरा स्थान दिया गया है तो वह भी कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्यों का ध्यान रखेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सहयोग से काम करेंगे ।

श्री अशोक मेहता : मैं खण्ड २, ३ और ५ के सम्बन्ध में संक्षप में कुछ कहना चाहता हूं । खण्ड २ पर काफी बहस हुई है और श्री सी० सी० शाह और श्री तुलसीदास ने बड़े विद्वत्तापूर्ण भाषण दिये हैं । श्री तुलसीदास ने वित्त मंत्री द्वारा रखे गये संशोधनों का बड़ी योग्यता से समर्थन किया है । उनका भाषण सुन कर मुझे विश्वास हो गया कि ये संशोधन अवश्य होने चाहियें।

मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि विधेयक के प्रारूप में कुछ त्रुटियां रह गई हैं और वे उन्हें दूर करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि त्रुटि नहीं रही है । "सम्बन्धी" शब्द की परिभाषा पहले अनुसूची ७ में थी और अब इसे खण्ड २ का अंग बना दिया गया ह ।

व्यापार संथाओं म सम्बन्धियों का जो योगदानहै उसे अब महसूस किया जा रहा है और इसी के फलस्वरूप ये परिवर्तन किये गये हैं । श्री चटज बताया है कि व्यक्तिगत प्रबन्ध अभिकर्ताओं की सहकारियों की परिभाषा में सात श्रेणियां विधेयक में रखी गई थीं, अब उन में वित्त मंत्री द्वारा रखे गये संशोधनों के अनुसार चार और श्रेणियां सम्मिलित की जा रही हैं ।

इसी प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता साथों के सहकारियों की आठ श्रेणियां मूल विधेयक में थीं । अब उन की संख्या १२ कर दी गई है । निगम निकायों के रूप में जो प्रबन्ध अभिकरण हैं—आप जानते ही हैं कि देश में अधिकतर प्रबन्ध अभिकरण ऐसे ही हैं—उन के सहकारियों की १४ श्रेणियां मूल विधेयक में हैं । माननीय वित्त मंत्री के संशोधन के अनुसार उन की संख्या में २९ की वृद्धि हो जायगी । इसलिये श्री चटर्जी का यह कहना ठीक है कि बहुत से लोगों को इन उपबन्धों के अधीन लाया जा रहा है । परन्तु मैं चाहता हूं कि ऐसा ही किया जाय ।

निगम निकायों के रूप में जो प्रबन्ध अभिकरण हैं, उन के सहकारियों की ४३ श्रेणियां होंगी । यदि संशोधन रख कर ऐसा न किया जाता तो उस का अर्थ यह होता कि इन की २९ श्रेणियां इन उपबन्धों से बच जातीं । हमें देखना यह है कि न केवल अधिक से अधिक लोगों पर ये उपबन्ध लागू किये जायें बल्कि जिन पर ये लागू होते हैं उन पर भी प्रभावीरूप से लागू हों ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने सभा का ध्यान भाभा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ २५ और २२७ की ओर दिलाया है । मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि सहकारियों पर भी इस विधि को लागू करने का उद्देश्य यह है कि इस विधेयक में कोई त्रुटियां न रह जायें । मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास ने मुझे इन त्रुटियों को समझने में सहायता दी है । उन्होंने कहा कि इन संशोधनों को स्वीकार करने में यह खतरा है कि अवसर की समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा

और व्यवसाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। उन्होंने इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद १६ और १९ का हवाला दिया है। मैं संविधान सम्बन्धी कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूं परन्तु यह कह सकता हूं कि श्री तुलसीदास ने जो निर्वचन किया है वह हमारे संविधान के स्वरूप के प्रतिकूल है। संविधान में कहा गया है कि ऐसे लोगों को समान अवसर मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये जिन्हें कोई अवसर नहीं मिलता है। श्री तुलसीदास चाहते हैं कि अवसर कुछ विशेष लोगों को ही मिले। कल उन्होंने कहा था कि क्रय विक्रय का काम बाहर वालों के हाथ में चला जाय तो यह बात कम्पनी के हित में नहीं होगी। वे केवल यही नहीं चाहते कि क्रय विक्रय उन के अपने सम्बन्धियों द्वारा हो बल्कि यह भी कहते हैं कि ऐसा होना कम्पनी के हित में भी है।

श्री तुलसीदास : मैं ने कहा था 'यदि वे इस योग्य हों, तो'।

श्री अशोक मेहता : योग्य हों तब भी हमारे संविधान का मूल उद्देश्य यही है कि धन सभी में बंटे और सभी को अवसर मिले। और साथ ही धन कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो जाय। मैं उन की इस चेतावनी से सहमत हूं कि राजनीतिक अत्याचार की सम्भावना है परन्तु मैं उन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैसे वालों का अत्याचार उन लोगों के अत्याचार से अच्छा है जिन के हाथ में सत्ता है। मेरा कहना है कि कुछ ही लोगों के हाथ में धन या अवसर या सत्ता का होना खतरनाक है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि कहीं ढेर होगा तो उस के पास ही गढ़ा भी होगा। इसलिये मैं सत्ता या धन के केन्द्रण के विरुद्ध हूं परन्तु श्री तुलसीदास चाहते हैं कि कुछ लोगों को ही अवसर मिलें।

श्री तुलसी दास : नहीं, उन पर तो प्रतिबन्ध लग गया।

श्री अशोक मेहता : उन पर तो प्रतिबन्ध लगेगा ही क्योंकि पिछले अनुभव से यह प्रमाणित हो गया है कि निहित स्वार्थों वाले लोगों के पास धन होने के कारण उन का जो प्रभाव होता है उसे वे अपने मित्रों, सम्बन्धियों और सहकारियों को लाभ पहुंचाने के लिये बरतते हैं और अन्य लोगों को बिल्कुल ही अवसर नहीं देते। वस्तुतः इस देश में भाषा के कारण तनातनी बढ़ गई है क्योंकि मारवाड़ियों और गुजरातियों ने इस प्रकार के गुट्ट बना रखे हैं। इन गुट्टों को तोड़ना होगा। श्री तुलसीदास ने जो दलीलें दी हैं उन से प्रमाणित हो गया है कि वे उन लोगों में से हैं जो अपने विचार कभी नहीं बदलते। उन के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वित्त मंत्री और श्री सी० सी० शाह ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें करने की वाकई बड़ी आवश्यकता है।

सहकारियों और सम्बन्धियों की परिभाषा १८ खण्डों पर लागू होती है। श्री सी० सी० शाह पहले ही बता चके हैं कि कुछ मामलों में सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी और कुछ में कम्पनी के सभी अंशधारियों की बैठक में विशेष संकल्प पास करना पड़ेगा। इस का उद्देश्य यह है कि अंशधारियों को पता रहे कि क्या हो रहा है। श्री तुलसीदास ने निरीक्षण सम्बन्धी खण्डों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिन के अधीन सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। क्रय विक्रय और अन्य बातों के सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि अंशधारियों को विशेष संकल्प द्वारा जानकारी दी जाय।

जहां तक क्रय विक्रम का सम्बन्ध है, प्रबन्ध अभिकर्ता का काम सभी प्रकार के

[श्री अशोक मेहता]

प्रबन्ध करना है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि प्रबन्ध के काम को कई भागों में क्यों बांटा जा रहा है।

मैं श्री के० के० बसु के संशोधन संख्या ३२२ और ३२४ का समर्थन करना चाहता हूं। मैं ने देखा है कि देश के प्रमुख प्रबन्ध अभिकरण टाटा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटिड ने भाभा समिति के सामने अपने साक्ष्य में जो कुछ कहा था उस से मालूम होता है कि टाटा वालों का विचार है कि जिस के पास ३० प्रतिशत अंश हों वह सारी कम्पनी को अपने हाथ में रख सकता है। इसलिये ५० प्रतिशत कह देना काफ़ी नहीं है। मेरा विचार है कि श्री बसु ने ठीक ही कहा है कि व्यावहारिक रूप से ३३ प्रतिशत ही होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री टाटा वालों का साक्ष्य पढ़ें और यदि वे चाहते हैं कि इस मामले को व्यावहारिक दृष्टि-कोण से निबटाया जाय तो उन्हें श्री बसु के संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें।

मैं श्री बसु के एक अन्य संशोधन संख्या ३४४ का भी समर्थन करना चाहता हूं। जैसा कि वित्त मंत्री न कहा था, सचिव और कोषाध्यक्ष इसलिये नियुक्त किये जायेंगे ताकि व्यापार प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर के आने वाले सुयोग्य युवक, इंजीनियर और कारीगर इकट्ठे हो कर व्यापार का प्रबन्ध कर सकें। यदि हम चाहते हैं कि योग्य व्यक्तियों और अंशधारियों और वित्त का प्रबन्ध करने वालों में मेल हो तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार की एक प्रबन्ध फर्म बनाई जाय। निगम निकायों के अंश तो एक से दूसरे को दिये जा सकते हैं। विधेयक के खण्ड ३४५ में कुछ परिमाणों का उपबन्ध तो है परन्तु वे काफी नहीं हैं। इसलिये श्री बसु ने अपने संशोधन संख्या ३४४ द्वारा परिभाषा वाले खण्ड से जिन शब्दों के हटाये जाने का सुझाव दिया है, वे हटा दिये जाने चाहियें।

अब मैं आप का ध्यान खण्ड ३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस में कम्पनी की परिभाषा दी गई है। भाभा समिति ने कम्पनी शब्द की परिभाषा नहीं की थी परन्तु यह आशा प्रकट की थी कि सरकार इस कमी को पूरा कर देगी। समिति ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझा था कि कुछ देशों की समवाय विधि में कम्पनी के लिये कानूनी तौर पर यह बात ज़रूरी रखी गई है कि उस में एक या अधिक निदेशक उस देश के राष्ट्रजन हों जहां कम्पनी बनी है और पंजी-बद्ध हुई है।

फिर उस में न्यूयार्क राज्य में की साधारण निगम विधि में से कुछ उदाहरण दिये गये हैं। समिति ने कहा है कि इस विषय पर वह कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि इस का विदेशी पूंजी और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति से निकट सम्बन्ध है। समिति ने कहा है कि उसे इस नीति की उपलक्षणाओं के सम्बन्ध म भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का अवसर नहीं मिला है। अब भारत सरकार के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस विषय पर प्रकाश डालें। जहां तक विदेशी समवायों का सम्बन्ध है, हम समवाय की परिभाषा क्या रख रहे हैं? इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया या नहीं।

अन्त में मैं उस आलोचना के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में की गई है जो वास्तव में दोषी

हैं और जो नहीं हैं। दो वर्ग मान गये हैं—एक उन व्यक्तियों का जो चूक आदि के दोषी हैं और दूसरा उन का जो दूसरों को अनुमति देते हैं। इस सम्बन्ध में श्री सी० सी० शाह द्वारा ठीक ही कहा गया है। अतः मैं वित्त मंत्री द्वारा तथा श्री सी० सी० शाह द्वारा रखे गये संशोधनों का समर्थन करता हूं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह श्री के० के० बसु द्वारा रखे गये संशोधन संख्या ३२२, ३२४ और ३४४ के स्वीकार किये जाने पर विचार करें।

श्री तुलसीदास : श्री गुरुपादस्वामी के संशोधनों के बारे में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे एक बात कहनी है कि वह सज्जन भी इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं जो संयुक्त समिति के सदस्य थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब से पहले उन लोगों को अवसर दूंगा जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं थे। उस के बाद उन लोगों को अवसर दूंगा जो संयुक्त समिति के सदस्य थे और जिन्होंने अपने संशोधन दिये थे। इन के पश्चात् उन लोगों को अवसर दिया जायेगा जो समिति के सदस्य थे परन्तु जिन्होंने अब संशोधन दिये हैं। और उस के बाद उन लोगों को अवसर मिलेगा जो संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का समर्थन करते हुए यह बतायेंगे कि इन संशोधनों को क्यों न स्वीकार किया जाय।

श्री बसु को वक्तव्य देने के लिये मैं बुला चुका हूं।

श्री के० के० बसु : मैं संशोधन विशेषतया सम्बन्धियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में हैं। भाभा समिति के प्रतिवेदन या संयुक्त समिति के पास भेजे गये ज्ञापनों को देखने से पता लग सकता है कि सम्बन्धी लोग किस हद तक शरारत करते हैं। इसीलिये मैं ने अपने संशोधनों में सम्बन्धियों को शामिल करने की बात कही है।

मैं श्री सी० सी० शाह के संशोधन से सहमत हूं कि ५० सदस्यों तक के सम्मिलित संगठन को सहकारियों की सूची में जोड़ लिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह भी चाहता हूं कि सदस्यों के साथ सम्बन्धियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये। हम जानते हैं कि प्रबन्ध अभिकरण व्यापारिक संस्थाओं में गैर-सरकारी समवाय भी लगभग वैसे ही हैं। इन का काम भी साझे वाली व्यापारिक संस्थाओं की ही भांति चलता है। अतः यदि हम सरकारी समवायों में 'सम्बन्धियों' को सम्मिलित कर रहे हैं तो ग़ैर-सरकारी लिमिटेड समवाय के लिये भी वही उपबन्ध लागू कर देना चाहिये। संशोधन संख्या ३२६ में इसी कारण मैं ने यह मांग की है कि उसे किसी ग़ैर-सरकारी समवाय के सदस्यों तक ही सीमित न रखा जाय बल्कि सदस्यों के सम्बन्धियों को भी उस में सम्मिलित कर लिया जाय।

मैं श्री सी० सी० शाह के इस संशोधन से सहमत हूं जिस में उन्होंने सदस्यों की संख्या ५० निश्चित कर दी है। दोनों प्रकार के समवायों के सामान्य कार्यसंचालन में कोई बहुत अन्तर नहीं है। अतः ऐसे सरकारी लिमिटेड समवाय को ग़ैर-सरकारी लिमिटेड समवाय के स्तर पर लाना आवश्यक है। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से सरकारी लिमिटेड समवाय हैं जो प्रबन्ध अभिकरण हैं और जिन के सदस्यों की संख्या २५ या ३० से अधिक नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह गैर-सरकारी लिमिटेड समवायों के मामले में हमारा संशोधन स्वीकार करें।

श्री सी० डी० देशमुख : सरकारी या ग़ैर-सरकारी ?

श्री के० के० बसु : गैर-सरकारी ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप का संशोधन ३२६ किसी सम्मिलित संस्था के बारे में है ?

श्री के० के० बसु : मझे खेद है । मेरा संशोधन ३२८ है। अपने संशोधन ३२८ में मैं ने उन प्रबन्ध अभिकरण वाली व्यापारिक संस्थाओं को लिया है जो सम्मिलित संस्थायें हैं पर उन सम्मिलित संस्थाओं के बारे में भी जहां प्रबन्ध अभिकरण वाली व्यापारिक संस्थायें या उन से सम्बन्धित कोई व्यक्ति निदेशक बोर्ड का सदस्य है, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाय । मान लीजिये किसी प्रबन्ध अभिकरण समवाय में कोई लेखापाल काफी असर डाल कर किसी अन्य समवाय का निदेशक बन जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों को भी सम्मिलित कर लिया जाय । प्रबन्ध अभिकरण संस्थाओं के कार्यों पर ध्यान रख कर उन की भ्रष्टाचारात्मक कार्यवाहियों को रोकने का काम सरकार का है । अपने संशोधन ३२६ में मैंने यह सुझाव दिया है कि जहां प्रबन्ध अभिकरण संस्था, सम्मिलित संस्था को निदेशक नाम निर्देशित करने का अधिकार है, वहां उसे भी एक सहकारी के रूप में समझा जाय ।

सेक्रेटरी और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में भी, खण्ड (ग) के सम्बन्ध में, मैं एक संशोधन पेश कर चुका हूं। श्री तुलसीदास किलाचन्द ने एक आपत्ति की है कि यह संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (छ) के विरुद्ध है। इस प्रकार तो यह समवाय विधेयक ही संविधान के विरुद्ध है।

एक और संशोधन में मैंने कहा है कि किसी समवाय की बड़ी बैठक में आधे मतों से निर्णय किये जाने, के स्थान पर चौथाई मत से निर्णय हो । भाभा समिति ने भी चौथाई की ही सिफारिश की थी ।

श्री सी० डी० देशमुख : केवल निदेशक को यह अधिकार हो । एक श्रेणी के लिये एक चौथाई ।

श्री के० के० बसु : जी हां, हम ने ५० प्रतिशत रखा है पर मैं ३३ प्रतिशत चाहता हूं ।

बात यह है कि सम्मिलित संस्था के पास इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह अन्य संगठनों का नियंत्रण कर सके । आज जिस संस्था के पास ३० या ३३ प्रतिशत अंश होत हैं वह व्यापार पर या सम्मिलित संस्था पर नियंत्रण रख सकती है अतः आधे के स्थान पर चौथाई कर दिया जाना चाहिये ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि इन संगठनों को ऐसे अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होंगी जिन्हें उस सम्बन्ध में काफी अनुभव हो और जिनका वित्तीय स्वार्थ प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं से कम हो । उनके मामले में, मैं आधे के बजाय चौथाई या २५ प्रतिशत रखना चाहता हूं क्योंकि सेक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में यह काफी है ।

मेरे संशोधन संख्या ३४४ और ३४३ में भी इसी बात पर जोर दिया गया है । मैंने सेक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों के सम्बन्ध में बताया है कि वे कोई व्यापारिक संस्थायें हों क्योंकि यदि आप माननीय मंत्री की यह बात सोचेंगे कि कुछ समय बाद अनुभवी नवयुवक ही सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष बनेंगे तो अगर इसे एक सम्मिलित संस्था बनाया

जाय तो कठिनाई होगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो किसी सम्मिलित संस्था में बहुत अधिक अंश रखता है, मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष की संस्था में किसी को भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते ह।

श्री सी० डी० देशमख : सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं।

श्री के० के० बसु : पर सम्मिलित संस्था में उस का तारतम्य बना रहता है। एक, दो या तीन व्यक्तियों के मरने से भी वह टूटता नहीं। अतः यदि हम सेक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों को प्रस्थापना को मानते हैं तो उसे एक संस्था होनी चाहिये जैसे विशेषज्ञों की संस्था, लेखापालों की संस्था, आदि।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री अशोक मेहता ने इस बात की ओर संकेत किया कि विदेशी व्यापारिक संस्थाओं के निदेशकों में एक भारतीय राष्ट्रीय भी होना चाहिये। क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी पूंजी आवे, पर हमें सावधान रहना चाहिये कि वह हमारे देश के समवायों पर हावी न हो जायें। इसलिये यह उपबन्ध आवश्यक है।

खण्ड ४ के सम्बन्ध में हमारा संशोधन संख्या ३५० है। उस में, "सम्पूर्ण संगठन पर नियंत्रण करता है" के स्थान पर मैं ने बताया है कि "एक तिहाई सदस्यों को चुनने या उन का नाम निर्देश करने का अधिकार हो" रखना चाहता हूं। क्योंकि इस से केवल उन मामलों को ही अधिकार होगा जिन में निदेशक बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों (निदेशों) को चुनने का अधिकार होगा।

खण्ड ५ के सम्बन्ध में, मैं इस प्रकार की बुराइयों को रोकना चाहता हूं कि उत्तरार्द्ध इच्छापूर्वक' शब्द को निकाल दिया जाय और पूर्वार्द्ध में "या ऐसे कामों को रोकने के लिये कोई समझदारी का काम नहीं किया" जोड़ दिया जाय।

मैं माननीय मंत्री के 'सगे चचेरे भाई' सम्बन्धी संशोधन का विरोध करता हूं। हां, यदि इस अधिनियम के कामों में आगे कठिनाई पड़ेगी तो हम उस समय संशोधन कर लेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वंशजों और सम्बन्धियों को वही रोज़गार करने से मना करने का उपबन्ध कर के कुछ ठीक किया गया है परन्तु यदि देखा जाये तो यह सब इस कारण करना पड़ा कि व्यापारी लोग बेईमानी और चालाकी से बहुत अनुचित लाभ उठाते थे। पर हमें सब को बेईमान नहीं समझना चाहिये, और न सभी लोगों को अपने पूर्वजों का रोज़गार करना ही पड़ता है। फिर संविधान के अनुसार भी हम किसी पर किसी रोजगार करने का प्रतिबन्ध भी नहीं लगा सकते। अतः एक ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि लोग अनुचित लाभ भी न उठाने पायें और साथ ही खण्ड ६ में जो सभी सम्बन्धियों को वर्जित कर दिया गया है वह भी ठीक नहीं।

खण्ड ५ में "पदाधिकारी जिस ने ग़लती की है" के सम्बन्ध में "इच्छा से" या 'जान-बूझ कर' शब्दों को पूर्वार्द्ध से निकालने की बात कही गई है। मैं इस का कोई औचित्य नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पूर्वार्द्ध में इन शब्दों का होना आवश्यक है।

जब कोई व्यक्ति जानबूझ कर कोई काम करता है तो उसका अर्थ यही होता है कि उस ने इच्छापूर्वक वह कार्य किया है। अतः जान बूझ कर और इच्छापूर्वक दोनों साथ साथ आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ज़रूरी नहीं हो सकता है कि वह उस काम के परिणाम

[उपाध्यक्ष महोदय]

से तटस्थ रहना चाहता हो। किसी काम का परिणाम जानने के लिये कुछ अधिक सावधानी चाहिये। यह भी हो सकता है कि वह काम बिना किसी द्वेषभाव के लापरवाही से किया गया हो। किन्तु यदि वह इस प्रकार का कार्य करता है--भले ही उस की लापरवाही हो—वह अपराधी है।

श्री यू० एम० त्रिवदी: 'जान बूझ कर' का अभिप्राय है परिणामों की अवहेलना करना। यहां को शब्दावली के अनुसार "जान बूझ कर इस अपराध का अपराधी" का यही अभिप्राय है कि उस ने जानबूझ कर बुराई की है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य को एक मामले में दूसरे की अपेक्षा अधिक ध्यान देने में कोई आपत्ति है? इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि दोनों मामलों में विभेद किया जाय। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है और वह कहते हैं कि दोनों को एक समान ही समझा जाय।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: मेरे कथन का यही तात्पर्य है। दोनों मामलों को एक ही तरह निपटाना चाहिये। यदि आप किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने, कार्य न करने अथवा कार्य का उल्लंघन या विरोध करने के लिये दोषी ठहराते हैं तो 'स्वेच्छा से' के साथ ही 'जान बूझ कर' भी होना चाहिये क्योंकि बिना इस शब्द को जोड़े हुए अपराधी मनोवृत्ति सिद्ध नहीं होती है।

तत्पश्चात् वित्त मंत्री द्वारा संशोधन संख्या २८६ रखा गया है जो नये उपखंड (६) को जोड़ना चाहता है। इस का आशय विदेशी समवायों को कुछ रियायतें देना है। यद्यपि भाभा समिति ने विदेशी समवायों से कुछ सख्ती करके की सफारिश की है तथापि हम ने उक्त सिफारिश की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमें चाहिये कि अमेरिका इत्यादि अन्य देशों की भांति ऐसी विधि निर्मित करें कि समवाय के प्रबन्ध निदेशकों में से एक तिहाई भारतीय नागरिक हों।

अब मैं सम्बन्धियों और सहकारियों के प्रश्न पर आता हूं। मेरे विचार से अभी ऐसा समय आने में बहुत विलम्ब है जबकि मंत्री कोषाध्यक्ष, व प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आवश्यकता न रहेगी। तथा इस प्रकार की विधि बनानी होगी कि समवायों का प्रबन्ध प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हाथों में न रहे। मैं इस से तो सहमत हूं किन्तु इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रबन्ध अभिकरणों को रहने तो दिया जाय लेकिन उन पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगायें जायें। इसीलिये मैं ने सहकारी तथा सम्बन्धी की परिभाषा के लिये संशोधन संख्या १३ और १४ रखे थे।

अब मैं खंड ८ के संशोधन को लेता हूं। खंड ८ में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह घोषित कर सकती है कि किसी समवाय का कोई संस्थापन यदि वही कार्य अथवा अधिकांशतः वही कार्य कर रहा हो जो मुख्य कार्यालय करता है, तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये शाखा कार्यालय नहीं माना जायेगा। मेरे संशोधन का आशय यह है कि समवाय को कारण दर्शाने के लिये कम-से-कम सात दिन पूर्व सूचना दी जाय और जब तक समवाय अपनी बात स्पष्ट न कर सके तब तक घोषणा न की जाय। क्योंकि मेरे विचार से इस प्रकार का एकपक्षीय न्याय न्याय-सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि निर्णय करने के पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति की बात सुनना आवश्यक है। मेरी समझ में नहीं आया कि बिना किसी अपीलीय अधिकारी के पास मामला

गये हुए केन्द्रीय सरकार को इतना अधिकार कैसे दिया जा रहा ;

श्री के० के० बसु : क्या नियमों में ऐसा उपबन्ध नहीं किया जा सकता जिस से कि पूर्व सूचना दना आवश्यक हो ?

श्री सी० डी० देशमुख : साधारणतः समवाय के कहने पर ही ऐसा होगा । उस समय एसे प्रशासनिक अनदेश देने आसान होंगे कि निर्णय करने के पूर्व समवाय की बात भी सुन ली जाय ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं वित्त मंत्री जी का आशय समझ गया हूं लेकिन इस के लिये खंड की भाषा में फेरबदल करने होगा । अब मैं न्यायालयों के क्षत्र के प्रश्न को लेता हूं। खण्ड १० उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों को क्षेत्र प्रदान करता है । जहां उच्च न्यायालयों को उन के क्षत्रों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है, इस में कोई कठिनता नहीं है किन्तु जहां जिला न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किये गये हैं ; वहां उनके द्वारा इन मामलों को अपने अधीन छोटे न्यायालयों में स्थानान्तरित करने से कठिनाई पैदा हो सकती है । मेरे संशोधन संख्या १६ का आशय इस प्रकार का एक नया उपबन्ध जोड़ने का है कि जिला न्यायालय उन्हें अधिकार होने पर भी, ऐसे मामले किन्हीं अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित नहीं कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उत्तराधिकार, सरक्षण इत्यादि के मामले में भी जिला न्यायालय अपने क्षेत्र में अदल- दल कर सकते है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभेद किया गया है । यथा: यदि 'अभिहित व्यक्ति' का उपबन्ध होता है तो स्थानान्तरण नहीं हो सकता ; किन्तु यदि यह अधिकार न्यायालय को मिला रहता है तो व्यवहार न्यायालय अधिनियम के अनूसार स्थानान्तरण हो सकता है ।

खंड १० में, मैं उपखंड ४ की कोई उपयोगता नहीं दखता जिस के अनूसार क्षेत्र के बाहर (गलत) न्यायालय के कार्यवाही होने पर, वह कार्यवाही अमान्य नहीं मानी जायेगी । मेरे विचार से ऐसा आदेश अमान्य माना जाना चाहिये, क्योंकि यह कार्यवाही एक ऐसे न्यायालय द्वारा की गई है जो कि क्षेत्र के बाहर है और जिसे ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस उपबन्ध पर विचार करें क्योंकि ऐसा अधिकार देना अनुचित है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं ने समवाय विधि न्यायालयों में वकालत नहीं की है इसलिये मैं इस विधयक पर बहुत संकोच एवं संयम से बोलूंगा । मेरा निवेदन है कि सम्बन्धियो की संख्या में वृद्धि की जाय । सम्बन्धी की परिभाषा खंड २ के उपखंड ४१ में दी गई है। यद्यपि श्री तुलसीदास ने इस में से कुछ मदों को हटाने को कहा है तथापि मैं इस में वृद्धि करना चाहूंगा ; जिस से कि वर्गहीन समाज की स्थापना से पहिले वर्गहीन समवाय की स्थापपना सम्भव हो सके ।

दूसरी कठिनाई यह है कि यदि उद्योग के नियंत्रण तथा विनियमन में संशोधित अनुच्छेद ३१ मिला दिया जाय तो उस का यह परिणाम निकलेगा कि यदि किसी समवाय का काय व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगा तो उसे सरकार ले सकती है और किसी भी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती है । क्या सहकारी की परिभाषा इस मामले में भी लागू होगी ? इस सम्बन्ध में मुझे बहुत

[श्री एस० एस० मोरे]

आशंका है। इसलिए मैं वित्त मंत्री तथा विधि-कार्य मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया इस मामले पर गौर करें कि क्या 'सहकारी' की परिभाषा उक्त मामले में भी लागू हो सकती है।

जहां तक श्री शाह के संशोधन संख्या ३२७ और ३३५ का सम्बन्ध है, उन का अभिप्राय खंड २ के उपखंड (३)(घ) को अर्हता देने का है। मैं उन का ध्यान उसी खंड के उप-खंड (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार से उपखंड (ग) से ही अपेक्षित प्रयोजन सिद्ध हो सकता है।

श्री शाह ने उपखंड (ग) की इस प्रकार व्याख्या की है कि सदस्य खंड के अधिकार के बाहर हैं। इसलिय उन्होंने इस का इस प्रकार संशोधन करना चाहा है कि सार्वजनिक समवाय के सदस्य भी इस के अन्तर्गत आ जायें। इसके यह तात्पर्य होंगे कि ५० सदस्यों से कम वाले समवाय को अर्हता प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार बड़े समवाय लाभ में रहेंगे। अतः वित्त मंत्री जी को चाहिये कि इस असंगति को दूर करें।

अब मैं खंड ५ को लेता हूं। श्री चटर्जी ने इस बात का समर्थन किया है कि इस खंड में 'जानबूझकर' शब्द रख दिया जाय। अन्य देशों के अंशधारी सुयोग्य व्यक्ति होते हैं। वे अपने अधिकारों से अवगत होते हैं। लेकिन यहां सरकार को उन के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करना पड़ता है। अतः मेरे विचार से संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित खंड बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि इस का प्रभाव ब्रिटिश अधिनियम की धारा ४० से अधिक व्यापक होगा।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री बसु द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करूंगा। उन के संशोधन संख्या ३२४ और ३३० परस्पर विरोध कंशोधी सशोन। व एक और तो प्रबन्ध अभिकर्ताओं में और दूसरी ओर मंत्रियों तथा कोषाध्यक्षों के बीच विभेद करना चाहो हैं। किन्तु यह बात सभी पर लागू होनी चाहिए।

समवाय के गठन के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता और श्री बसु ने समवायों के निदेशकों का राष्ट्रीयकरण सुझाया था। भाभा समिति ने भी इस विशष बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, यद्यपि उस में पूंजोपतियों के प्रतिनिधियों का बहुमत था। सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने चाहियें। इस प्रश्न पर हमारा सरकार से विरोधी पक्ष के रूप में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो शोषण करने वाले पूंजीपतियों तथा उन के चंगुल से देश को बचाने वालों के बीच में हैं; और जब अमेरिका तथा स्विटजरलैण्ड जैसे देशों में यह विधि मान्य है तो हमें भी यह विधि अपनानी चाहियें। हमें विदेशी पूंजी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उस पर सरकार तथा जनता का प्रतिबन्ध होना चाहिये।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : पहिली दृष्टि में माननीय वित्त मंत्री तथा श्री शाह के संशोधन गैर सरकारी क्षेत्र के लिये कठोर प्रतीत होते हैं; किन्तु श्री तुलसीदास की बात से यह स्पष्ट हो गया कि गैर सरकारी क्षेत्र में लोग कैसे हथकंडे खेला करते हैं। निःसंदेह गैर-सरकारी क्षेत्रों को इन्हीं बातों से विवश होकर यह संशोधन रखने पड़े हैं। इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि सरकार को गलतियां निकालने के पूर्व वे अपनी व्यवस्था ठीक करें।

जहां तक खण्ड ५ का सम्बन्ध है 'स्वेच्छा से' शब्द पर पर्याप्त वैध विवाद हो चुका है। यदि मैं इस का आशय ठीक

समझा हूं तो प्रबन्ध अभिकर्ता ही स्वेच्छा से ऐसी बुराइयां या जालसाजी करने की अनुमति देते हैं । इसलिये मेरे विचार से 'स्वेच्छा से' शब्द रहना चाहिये ।

अब मैं श्री के० के० बसु का संशोधन संख्या ३५१ लेता हूं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहिले भाग में तो 'स्वेच्छा से' शब्द रहना चाहिये किन्तु दूसरे भाग में से इसे हटा देना चाहिये ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : मैं प्रस्तुत विधेयक के खंड ७ पर ही बोलना चाहता हूं । उक्त खंड का शीर्षक है—उन व्यक्तियों का निर्वचन जिन के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशकों को काम करने की आदत है । जिस माननीय सदस्य ने कल बहुत समय तक बोला उस ने इस खण्ड पर आपत्ति की । उन्होंने यह भी कहा कि इस खण्ड को विधेयक में से क़तई तौर पर निकाल दिया जाय । और यदि ऐसी बात हुई तो उस का क्या परिणाम होगा ? मैं इसी बात पर पहले विचार करूंगा । अब यदि इस खण्ड को हटा दिया जाता है तो परिणाम यह होगा कि समवाय को परामर्श देने वाले कई व्यावसायिक व्यक्ति कुछ एक बातों पर परामर्श तो देंगे और यदि निर्देशक उन के अनुसार काम करें तो वे व्यावसायिक व्यक्ति भी इस चक्र में फंस जायेंगे । इन ही व्यावसायिक व्यक्तियों को मुक्ति देने के लिये यहां यह खण्ड ७ रखा गया है । माननीय सदस्य की जो आपत्ति है, उस में इस से अधिक सारवान बात कही गई है । उन्होंने कहा है कि इस खण्ड के रहने पर व्यावहारिक रूप में उन व्यक्तियों को ढूंढ निकालना बहुत कठिन होगा जिन के अनुदेशों पर निदेशक चलते हैं । उन का कहना है कि व्यावहारिक रूप में किसी भी व्यक्ति को इस बात की तसल्ली करने में कठिनाई होगी कि किसी समवाय में निदेशकों का कोई बोर्ड किसी विशेष व्यक्ति के अनुदेशों पर चल रहा है या नहीं अथवा वह निदेशक बोर्ड किसी अन्य व्यक्ति के अनुदेश पर चलने का आदी है या नहीं। इंगलैंड में भी इस मामले पर बहुत चर्चा हुई । वस्तुतः प्रस्तुत उपबन्ध इंगलैंड में प्रचलित धारा ४५५ की उपधारा २ का ही एक प्रतिरूप है । वहां जिन दो कारणों से इस उपबन्ध के रख जाने की आवश्यकता हुई वे इस प्रकार थे कि निदेशक ऐसे हैं जो स्वयं अंशधारी नहीं । वास्तविक अंशधारी कम्पनी से बाहर के व्यक्ति हैं । वे निदेशकों का मात्रनामनिर्देशन करते हैं । सत्ता, वस्तुतः, और किसी के पास है । निदेशक तो अंशधारियों द्वारा नामनिर्देशित होते हैं और इन अंशधारियों की इच्छानुसार काम करते हैं जो समवाय के बोर्ड में न हो कर बाहर रहते हैं । ये निदेशक जो इस प्रकार के अंशधारियों के नाये पुतले होते हैं, उन की इच्छानुसार चलते हैं, और जब भी किसी दायित्व की बात आती है तो अंशधारी, जिन के पास सत्ता होती है, भाग खड़े होते हैंजबकि उन के पुतले ये निदेशक फंस जाते हैं । इसी बात से बचन के लिये कोहेन समिति और बाद में भाभा समिति न यह सिफारिश की थी कि इन लोगों को भी साथ में मिलाया जाय —— और यही बात हम ने मान ली । दूसरे, यह बात कि नामनिर्देशन करने वाले अंश धारियों के कारण यह बात भी हो सकती है ।

एक और बात भी है कि जब किसी समवाय के निदेशक किसी दूसरे व्यक्ति के अनुदेश या निदेश के अनुसार काम करते हैं तो वे इसलिये पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होते क्योंकि वे और किसी के परामर्श से काम करते हैं । हमारे इस विधेयक में कहा गया है कि वे केवल छः स्थितियों में उत्तर-दायी होंगे । यदि आप खण्डों को देखने की

[श्री मुरारका]

कृपा करें तो आप को मालूम हो जायेगा कि इस उपखण्ड को सम्मिलित करने का यही औचित्य है । वे खण्ड हैं—१६१, २९४, ३०२, ३०६, ३६९ और ५३५ ।

खण्ड १६१ इस बात के लिये उपबन्ध करता है कि वार्षिक आय का ब्योरा न देने की स्थिति में दण्ड दिया जाय । यदि निदेशक वार्षिक आय का ब्योरा न देसकें तो स्वभावतः वह अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होना चाहिये न कि ये लोग ।

खण्ड २९४ निदेशक को ऋण देने की व्यवस्था निषिद्ध करता है । यदि ऋण निषिद्ध किया जाता है, किन्तु यदि निदेशक औरों के पुतले हैं और समवाय के वास्तविक स्वामियों या अंशधारियों को ऋण दिया जाता है, तब भी इस धारा का उद्देश्य विफल होगा । अतःएव यह अनभव किया गया है कि इन लोगों को भी कम्पनी से ऋण लेने का निषेध किया जाय क्योंकि यथार्थ में वे ही निदेशक हैं यद्यपि विधि अनुसार निदेशक कुछ और व्यक्ति हैं। तो यही विचार है कि इन निदेशकों को ऋण नहीं मिलना चाहिये ।

खन्ड ३०२—निदेशकों, प्रबन्धकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, आदि—विशेषतः उन व्यक्तियों का जो निदेशक हों—का पंजी में इस बात का ब्योरा देना कि वे कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, आदि-आदि । ऐसो स्थिति में भी, यदि शक्ति या सत्ता और किसी के पास हो तो उस का, जो समवाय का वास्तविक मालिक है, पता आदि भी दिया जाना चाहिये ।

खण्ड ३०६ में इस बात की उपेक्षा की गई है कि निदेशकों के अंशों का भी ब्योरा दिया जाय । निदेशकों के अंश नाम मात्र के होंगे । अतः उन व्यक्तियों के, जो संविदा करने और समवाय पर नियंत्रण करने की सत्ता रखते हों अंश, आदि भी लिखत में आने चाहियें ताकि सरकार को इस बात का पता चले कि वास्तव में समवाय के मालिक या स्वामी कौन हैं ।

खण्ड ३६९ और ३०२ प्रबन्ध अभिकर्ताओं को ऋण देने के सम्बन्ध में हैं । यहा भी वही सिद्धान्त लागू होता है ।

खण्ड ५०५ उस समवाय के पदाधिकारियों द्वारा किये गये मात्र अपराधों के सम्बन्ध में है, जिस का परिसमापन हो रहा हो ।

यही छः खण्ड हैं जहां समवाय विधि में "वे व्यक्ति जिन के निदेशों या अनुदेशों के अनसार निदेशकों को काम करने की आदत है" वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है। अतःएव माननीय सदस्य द्वारा कल की गई यह आपत्ति कि यह एक अस्पष्ट खण्ड है और इस से व्यवहार में बाधा पड़ेगी ठोस तर्कों पर आधारित नहीं । इस आपत्ति का निराधार होने का यह भी कारण है कि छः खण्डों में से स्वयं सरकार तीन खण्डों के सम्बन्ध में कहेगी :—यही वह व्यक्ति है जिस के अनुदेश म आप कार्य कर रहे हैं । अन्य स्थितियों में बाहर के किसी व्यक्ति को यह जानने में बहुत कठिनाई होगी कि कोई विशेष निदेशक किस के अनदेश में काम कर रहा है जबकि स्वयं निदेशकों को इस बात का पूरा पूरा पता होगा। मैं यह समझ नहीं सका हूं कि इस में क्या व्यावहरिक कठिनाई है । इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस खण्ड को यथावत रखा जाय । इसे विधेयक में से निकालने का कोई भी कारण नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे संशोधनों के विरुद्ध जो दलीलें दी गई हैं उन में से बहुत सी का उत्तर तो स्वयं सदस्यों ने भी न केवल इस ओर बैठने वाले बल्कि सामने बैठे सदस्यों ने--दे दिया है। मैं उसी उत्तर की पुष्टि करूंगा। । मुझ श्री अशोक मेहता का यह कथन विशेष रूप से पसन्द आया कि उन्हें श्री तुलसीदास के भाषण से यह विश्वास हो गया कि मैं ने जो संशोधन रखे हैं वे ठीक हैं क्योंकि श्री तुलसीदास के भाषण से यह स्पष्ट होता था कि इस प्रश्न पर व्यापारियों का साधारणतया क्या रवैया है।

श्री त्रिवेदी ने जनसाधारण की ईमानदारी की धारणा की बात की है। इस के उत्तर में मैं केवल यही कह सकता हूं कि यहां हमारा वास्ता जनसाधारण से नहीं है। ये व्यक्ति योग्यता में असाधारण हैं और साथ ही उन का जीवन भी असाधारण है और बहुत से मामलों में इस सम्बन्ध में कदाचारों के बहुत से प्रमाण भी हमारे सामने हैं। इसलिये यह ठीक नहीं है कि हम उन की ओर से आंखें बन्द कर लें और सर्व साधारण की ईमानदारी में यह थोथा विश्वास रखें। जैसाकि एक अन्य वक्ता ने कहा था, हमारा वास्ता बयनामीदारों से है जो सभी स्थानों पर मिलते हैं। जब आप किसी चीज़ को बन्द करते हैं तो ऐसे चालाक लोग भी हैं जो किसी और के नाम पर वही काम करते हैं। हम बयनामीदार सभी जगह मिलते हैं और हमें जो इतनी लम्बी चौड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, यह उन्हीं को रोकने के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यही दलील क्यों नहीं देते कि ये सब महानुभावि लोगों के पैसे से खेलते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उसी की बात करने लगा था।

मैं ने "नेपोटिज्म" (भाई-भतीजावाद) शब्द की परिभाषा 'कन्साइज़ आक्सफोर्ड डिक्शनरी' में देखी। निस्सन्देह इस का अर्थ है किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अपने सम्बन्धियों का पोषण। इस के बाद इस शब्द कोष में प्रकोष्टों में यह दिया हुआ है: .....से—मैं नाम नहीं लूंगा, वे बहुत बड़े व्यक्ति थे—प्रारम्भ हुआ, जिन के अनौरस पुत्र भतीजे कहलाते थे। तो यह शब्द ऐसे प्रारम्भ हुआ और यह सब इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्बन्धियों से स्नेह होता है।

हम महसूस करते हैं कि द्वन्द्व इस बात पर होगा कि कोई व्यक्ति किस का पक्ष लेगा। मैं श्री त्रिवेदी के साथ यहां तक तो सहमत हूं कि हमें साधारण व्यक्तियों की, जिन में व्यापारी भी सम्मिलित हैं, ईमानदारी पर सन्देह नहीं करना चाहिये परन्तु हमें मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। जिस दुर्बलता के कारण भाई भतीजावाद प्रारम्भ हुआ वह दूसरी दिशाओं में भी दिखाई देती है और अपने सम्बन्धियों के दोषों की अवहेलना की प्रवृत्ति सभी में रहती है। मराठी में कहावत है : "आपल्या तो सोन्या दूसरा ते कारंट" अर्थात अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है और दूसरे के बच्चे को देख कर सभी "छिः छिः" करते हैं। अपने "प्यारे बच्चे" पर पूरा भरोसा करने की जो भावना है, हम उसी से इन कम्पनियों को चाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, सम्भव है कि अपनों पर भरोसा रखना व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा हो परन्तु हम इस बात का निर्णय करने का काम प्रबन्ध अभिकर्ता पर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वह इस बात का ठीक निर्णय कर सकेगा कि कोई ठेका उस "प्यारे बच्चे" को मिलना चाहिये या नहीं। चाहे वह पूर्णतया स्वतंत्र

[श्री सी० डी० देशमुख]

ही हो । जैसाकि श्री तुलसीदास ने कहा, सम्भव है कि उस का कोई वित्तीय सम्बन्ध न हो । चाहे वह अपने पिता से लड़ चुका हो और सम्पत्ति का बटवारा हो गया हो । जो भी हो, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन में जन कार्यों में रत व्यक्तियों, या जैसाकि आप ने कहा, व्यापार में लगे व्यक्तियों को इन बातों का निर्णय करने का काम नहीं सौंपा जाना चाहिये । इस आधार पर एक बहुत बड़े देश में एक सचिव ने पद-त्याग कर दिया क्योंकि उस के पास कुछ अंश थे जो उसे अपना पद सम्भालने से पहले किसी और के नाम करने थे । और पदग्रहण करने के कुछ ही समय बाद पता चला कि उस ने ये अंश अपने बेटे के नाम कर दिये थे । इस बात को बुरा समझा गया और उसे त्यागपत्र देना पड़ा । मेरे विचार में पदत्याग का यह बहुत अच्छा कारण था । इसीलिये चाहे सरकार हो या उस के मंत्री, यह बड़ा अच्छा नियम है कि कोई अपने सम्बन्धियों के उपयुक्त होने या न होने के सम्बन्ध में फैसला न करे और न ही अपने आस पास के लोगों के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय करे जोकि सरकारी कर्मचारियों के बारे में बहुधा होता है । बल्कि माननीय सदस्य को इस बात पर खुश होना चाहिये कि हम ने इतने अधिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं जितने कि श्री मोरे कहते हैं । सरकार के सदस्यों पर हम लोगों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई भरोसा नहीं करते हैं । हम ने लोक सेवा आयोग बना दिया है क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति, मंत्रियों के बारे में कह लीजिये, यह रहती है कि उसे केवल उन्हीं लोगों की योग्यता या गुणों का पता चलता है जो उस के आस पास होते हैं । इस में सन्देह नहीं कि उन में से हुत से अच्छे होते हैं—अवश्य ही अच्छे होते हैं—परन्तु यदि उन्हीं को लिया जाये तो यह समाज के प्रति न्याय नहीं होगा क्योंकि उतने ही अच्छे आदमी वहां भी हो सकते हैं । इसलिये हमें और भी खोज करनी चाहिये और ऐसे व्यक्ति ढूंढने चाहियें जो कम्पनी के दृष्टिकोण से सब से अच्छे हों । इसलिये मेरे विचार में इस प्रतिबन्ध का रखना महत्व-पूर्ण है । परन्तु इस की भी कोई सीमा होनी चाहिये । हम न्याय करना चाहते हैं । दूसरे शब्दों में हम इस सम्बन्ध में कोरी सैद्धान्तिक बातें नहीं करना चाहते । सम्भव है कि कहीं यह प्रमाण मिले कि किसी अवि-भक्त परिवार में चचेरे माई अलग हो गए हैं तो उस दशा में यह धारणा ठीक नहीं होगी कि उनके साथ नरमी बर्ती गई है । इसलिए हम ने ईमानदारी से यह सुझाव रखा है कि उन्हें इस श्रेणी से अलग कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : 'कज़िन' (चचेरे या मौसेर भाई) शब्द तो हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख: उस में संशो-धन किया गया है माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार प्रकट किये हैं । इस संशोधन से भी यह प्रकट होता है कि हम इस सम्बन्ध में सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहते हैं और कोई गड़बड़झाला नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि श्री मोरे निस-सन्देह यही चाहते थे कि हम एक सर्वग्राही उपबन्ध करें । वे तो "वसुधैव कुटुम्बम" में विश्वास रखते हैं और बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : हमारी विचार धारा का निचोड़ यही है ।

श्री सी० डा० देशमुख: वे सभी के प्रति अपने प्रेमभाव का परिचय दे रहे हैं । और उसे इस विधेयक की चर्चा मे ला रहे हैं परन्तु उन्हों ने अपनी जाति के

प्रति इस प्रेमभाव का प्रदर्शन नहीं किया। दूसरे शब्दों में वे अपनी जाति की क्षमता के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं उस में उन्हें भविष्य का ध्यान नहीं है। मैं कहता हूं यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में सभी जातियों और सभी राज्यों के लोग व्यापार के रहस्यों को समझने लगेंगे और व्यापार उन्हीं लोगों के हाथ में नहीं रहेगा जिन के हाथ में परम्परा स चला आया है। यदि किसी हद तक इस विधेयक के कारण और लोग व्यापार में हाथ डालें तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसलिये इस विधेयक के उपबन्धों पर केवल इसी दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी जातियां कौन कौन से व्यापार में लगी हुई हैं। इस सम्भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी लोग भी व्यापार में आ सकते हैं। संविधानीय प्रश्न को छोड़कर इस प्रश्न पर मैंने और दसरे सदस्यों ने जो कुछ कहा है इस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

मेरी समझ में नहीं आता कि संविधान का प्रश्न कसे उठता है क्योंकि हम जिन कार्यवाहीयों को अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का समझते हैं उन पर या सरकारी कर्मचारियों पर सभी युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है। मेरे विचार में सभा इन दोनों के मामले में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है और हमारी राय है कि हम यही कर रहे हैं। इसलिये मेरा विचार है कि हम न तो संविधान की भाषा के विरुद्ध जा रहे हैं और न उस की भावना का उल्लघंन कर रहे हैं।

जहां तक उस व्याख्या विशेष का सम्बन्ध है वह मूल विधेयक में भी थी। यह अजीब सी बात लगती है परन्तु इस से क्षेत्र कुछ विस्तृत अवश्य हो जाता है। अर्थात्, जब कोई व्यक्ति सहकारी है, तो वह मतदान के आधार पर सहकारी हो सकता है परन्तु पारस्परिकता के आधार पर दूसरा व्यक्ति भी सहकारी होता है और सम्भव है कि वह परिस्थिति न हो। इन में से कुछ विषमताओं का होना अनिवार्य है परन्तु हम इस साला-बहनोई ढंग की सहकारिता को ऐसे ही रहने नहीं देना चाहते। यदि मैं कहता हूं कि कोई मेरा बहनोई है तो दूसरी बात भी है; यानी उसका साला भी है और बात वही रहती है। इसलिए हमने सोचा कि यह व्याख्या जरूरी है।

श्री के० के० बसु ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है उन के बारे में मेरा विचार यह है कि उन्हों ने जो कुछ कहा है उस में कुछ सार अवश्य है। यदि हमारा उद्देश्य यह है कि प्रबन्ध अभिकर्ता या कम्पनी पर प्रभाव डाल सकने वाले किसी आदमी को ठेका न मिले तो हमें उस आदमी को रोकने का प्रबन्ध करना चाहिये जिस के हाथ में नियंत्रण है। अर्थात् यह व्यवस्था वहां शुरू होगी जहां नियंत्रण करना सम्भव हो जायेगा। यदि हम सीमा ७५ प्रतिशत निश्चित कर दें तो आप कहेंगे कि यह बहुत अधिक है और इसके अन्तर्गत लगभग सभी बच जायेंगे। आप चाहे पचास और परिभाषायें कर लें परन्तु सभी सम्भव सहकारी और सम्बन्धी उस ७५ प्रतिशत को सीमा के अन्तर्गत शरण पा लेंगे। यह ठीक है ५१ प्रतिशत का बहुमत पूर्ण बहुमत होगा। परन्तु हमें यहां के और अन्य देशों के अनुभव से यह पता है कि किसी बात का निर्णय पूर्ण बहुमत से ही नहीं हुआ करता। जब हम कहते हैं कि किसी बात का निर्णय बहु-

[श्री सी० डी० देशमख]

मत से हुआ तो आंकड़ो के दृष्टिकोण से चाहे हम ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत बहुमत से ही निर्णय कर रहे हों या यदि आज हम निर्णय करें तो सम्भव है कि १० प्रतिशत या उस से भी कम बहुमत से निर्णय हो। इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है--मैं यह वाक्य पूरा करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं ने कहा, हम भाषा समिति के मूल सुझाव से, जान बूझ कर और अपनी इच्छा से अधिक दूर नहीं हटना चाहते क्योंकि वह सुझाव निदेशक के बारे में ही था। अब हम ने निदेशक, उस के भागीदार और दूसरे कई लोगों को भी शामिल कर लिया है। इसलिये हम ने सोचा कि एक चौथाई के स्थान में वे ५१ प्रतिशत मत ले सकते हैं परन्तु हमारा सम्बन्ध तो प्रभावी शक्ति के प्रयोग से है। इसलिये श्री के० के० बसु ने जो बीच का रास्ता बताया है मुझे वह स्वीकार है। मैं उन के संशोधन संख्या ३२२ और ३२४ को स्वीकार कर लूंगा।

मैं उन के संशोधन संख्या ३३० को उस के वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। वे उस में 'एक चौथाई' के स्थान में, 'एक तिहाई' कर दें तो अच्छा रहेगा। तब मैं संशोधन संख्या ३२२ और ३२४ को उन के वर्तमान रूप में और संशोधन संख्या ३२० को संशोधित रूप में स्वीकार कर लूंगा। इस से मैं इस आरोप का भी खंडन कर सकता हूं कि श्री सी० सी० शाह मेरे स्थान में काम कर रहे हैं। अब शायद मैं यह कह सकता हूं कि श्री के० के० बसु भी मेरे स्थान में काम कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : तब आप को समाजवादी ढांचा ही नहीं साम्यवादी ढांचा भी बनाना पड़ेगा।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो ठीक है।

श्री के० के० बसु : ऐसा न कहिये मुझे आप के स्थान में काम करना पड़े तो यह बात मेरे विरुद्ध जायगी।

श्री सी० डी० देशमुख : होता यह है कि हम कुछ संशोधन रखते हैं। कई बार माननीय सदस्य सभा में उन पर विचार प्रकट करते हैं। कुछ अन्य माननीय सदस्य मेरे पास आते हैं और कहते हैं—"क्या आप को विश्वास है कि अमुक बात सम्मिलित कर ली गई है ?"

श्री के० के० बसु : आप संशोधन संख्या ३३४ को भी स्वीकार कर सकते हैं। वहां भी यही बात है। यह सचिव और प्रबन्धक पर लागू होती है।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां कहीं 'एक चौथाई' कहा गया है, वहां मैं 'एक तिहाई' मानने को तैयार हूं। जैसाकि मैं कह रहा था बजाय इस के कि सभा का समय लिया जाये, कोई भी माननीय सदस्य मुझसे अलग मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि संशोधन में अमुक चीज़ नहीं आई है। यदि जो कुछ मुझे कहना है वह मैं कह चुका हूंगा तो मैं उन से कह दूंगा आप संशोधन की सूचना दे दीजिये। अतः श्री एस० एस० मोरे इस से कोई निष्कर्ष न निकालें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह मेरी इस बात पर कोई विशेष ध्यान न दें।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

जहां तक खंड २ का सम्बन्ध है, उपखंड (ख) और निगम निकाय आदि के विषय में कुछ चर्चा हुई थी। इसे आप जिस तरह चाहे रखें, कुछ विचालिता अवश्य रहेगी।

यदि हम इसे निगम निकाय रखते, जिस में ५० से कम सदस्य हों, तो स्थिति यह हो जाती कि निजी सीमित समवाय में, जिस में ४९ सदस्य हों, वह खंड लागू हो जाता। फिर, उस निजी सीमित समवाय के लिये हमारा विकल्प यह रह जाता कि वह अपने आप को एक सार्वजनिक सीमित समवाय में परिणत करले और इस प्रकार उस खंड के प्रवर्तन से बच जायें। दूसरी तरफ, मैं यह भी मानता हूं, यदि कोई व्यक्ति उस उपबन्ध विशेष के प्रवर्तन से बचना चाहे तो वह कुछ सदस्य और बढ़ा कर ऐसा कर सकता है। दोनों ही तरफ कोई न कोई कमी है।

परन्तु मैं समझता हूं कि यह उन प्रबन्ध अभिकरणों के सम्बन्ध में है जो निगम निकाय हैं। यहां हमारा वास्ता केवल उन प्रबन्ध अभिकरणों से है जो निगम निकाय हैं सब प्रबन्ध अभिकरणों से नहीं। वैसे तो ऐसे भी प्रबन्ध अभिकरण हैं जिन में सदस्यों की संख्या हजारों में है। मेरा ख्याल है कि प्रबन्ध अभिकरणों में से अधिकांश ५० अथवा इससे कम सदस्य वाले निगम निकाय हैं। यही कारण है कि हम ऐसे निजी सीमित समवायों और निगम निकायों के लिये, जिन में ५० से कम सदस्य हों, उपबन्ध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैंने अधिकांश बातों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कौन कौन से संशोधन स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : कल मैं ने अपने भाषण में उन की संख्या बताई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो मैं ने नोट कर ली है।

श्री सी० डी० देशमुख : और आज मैं संशोधन संख्या ३२२ और ३२४, और ३३० और ३३४, यदि, 'एक चौथाई' के स्थान पर 'एक तिहाई' रख दिया जाय, स्वीकार कर रहा हूं।

इस विषय पर बस मुझे इतना ही कहना है। मुझे यकीन है कि इसकी सामान्य भावना सभा को स्वीकार्य है।

अब हम "जान बूझ कर और अपनी इच्छा से" ("नोइंगली एण्ड विलफुली") शब्दों पर आते हैं .....

श्री अशोक मेहता : विदेशी समवायों में भारतीय निदेशकों के बारे में क्या रहा ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, यह तो नीति का प्रश्न है। यह नीति हमारी विदेशी विनियोग सम्बन्धी नीति से सम्बद्ध है। यह ऐसा विषय है जिस पर कई अवसरों पर हमारा सामने बैठे सदस्यों से मतभेद रहा है और मैंने प्रायः यह सुझाव दिया है कि किसी न किसी समय सारे प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये ताकि सरकार अपनी नीति को नये सिरे से घोषित कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह समझा जाता है कि ऐसी किसी कम्पनी का एक भी निदेशक भारतीय नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं। आंकड़ों से पता चलेगा कि लगभग प्रत्येक उल्लेखनीय समवाय में पहले ही एक भारतीय निदेशक है। दूसरे शब्दों में, कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा विधान बनाय बिना ही हो रहे हैं। विदेशी समवायों में विदेशियों के स्थान पर भारतीय कर्मचारी रखे जाने के प्रश्न को ही लीजिये। कुछ देशों में ऐसी विधियां हैं जिन के अनुसार विदेशी समवायों के लिये यह अनिवार्य है कि वे एक निश्चित अनुपात में भर्ती वहीं के नागरिकों में से करें। परन्तु हमारे देश में उस प्रकार की विधियां नहीं हैं और न ही उन की कोई आवश्यकता है। इसी प्रकार

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक नियंत्रण का सम्बन्ध है, कुछ देशों में विदेशी समवायों को किसी निगम में ४९ प्रतिशत से अधिक अंश लेने की इजाजत नहीं होती । हमें तेल शोधक कारखानों में अपने लिये केवल १५ या २० प्रतिशत अश रख कर ही संतुष्ट होना पड़ा । कहने का अभिप्राय यह है कि हम स्थिति को देखते हुए जो आवश्यक प्रतीत होता है वही करते हैं । हम देखते हैं कि इस पर भी परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसे ढंग से हो रहे हैं जिस से विदेशी पूंजी लगाने वाले लोगों को किसी प्रकार की आशंका नहीं होती । इस से आर्थिक 'अहिंसा' की नीति ही प्रकट होती है जिस का कि मैंने पहले उल्लेख किया था । मुझे यकीन है कि बाद में यह सिद्ध हो जायेगा कि सरकार ने इस नीति का अनुसरण कर के ठीक ही किया । अतएव यदि सदस्यगण धैर्यता रखें तो वे देखेंगे कि आज के विधान द्वारा जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं वह स्वतः ही हो जायेगा और विदेशी पूंजी के, एक सीमित मात्रा में, लगाये जाने पर भी रोक नहीं लगानी पड़ेगी ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इस का तात्पर्य यह है कि 'अहिंसा' की नीति केवल विदेशियों के सम्बन्ध में है और भारतीयों के सम्बन्ध में 'हिंसा' की नीति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो उन का अपना ख्याल है । मैं उनसे तर्क नहीं कर सकता ।

जहां तक "जान बूझ कर और अपनी इच्छा से" ("नोइंगली एण्ड विलफुली") शब्दों का सम्बन्ध है, इन शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया जाता । जहां तक हमारे विधि-मंत्रणादाताओं को विदित है, ये शब्द केवल यहां और इंगलिस्तान के अधिनियमों में भी, शायद एक दो जगह, प्रयुक्त किये गये हैं । यह कहा जा सकता है कि 'जान बूझ कर' ('नोइंगली') में 'अपनी इच्छा से' ('विलफुली') की सभी बातें आ जाती हैं । दूसरी ओर, यह भी कहा जा सकता है कि 'अपनी इच्छा से' ('विलफुली') में कोई ऐसी बात भी है जो 'जान बूझ कर' ('नोइंगली') में नहीं आती । हम दूसरे निर्वचन के आधार पर ही चल रहे हैं अर्थात यह मान रहे हैं कि 'जान बूझ कर और अपनी इच्छा से' ('नोइंगली एण्ड विलफुली') शब्दों से कुछ अधिक अर्थ निकलता है । दूसरे शब्दों में 'अपनी इच्छा से' ('विलफुली') का एक दूसरा मतलब निकलता है । मैं एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये किंगजवे पर एक बोर्ड लगा है कि रफ़्तार ३० मील प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये । एक ड्राइवर है, जो ३० मील से अधिक रफ़्तार पर जा रहा है । सम्भव है उस की कार की ब्रेकें काम नहीं कर रही हों और वह इसे रोक नहीं सकता । वह जानता है कि वह विधि का उल्लंघन कर रहा है । अतः वह जान बूझ कर ('नोइंगली') ऐसा कर रहा है । इस के विपरीत एक और तेज़ ड्राइवर है, जोकि एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह कहता है, "मैं देखूंगा कि पुलिस मेरी कार कैसे रोकती है"। तो इस मामले में वह जानबूझ कर और अपनी इच्छा से ("नोइंगली एण्ड विलफुली") इस नियम का उल्लंघन कर रहा है जबकि पहला व्यक्ति केवल जान बूझ कर ("नोइंगली") कर रहा था । एक तीसरी श्रेणी भी हो सकती है, जिस में आप से यह जानने की आशा भी नहीं की जाती कि आप विधि का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं । विधि का उल्लंघन करते ही आप को दंड मिल जाता है । उदाहरणतया यदि आप अपना पांव आग पर रखें, तो इस का जलना अनिवार्य है । यह कहने का

प्रश्न ही नहीं है कि 'मुझे मालूम नहीं था कि यह आग है' । यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर ("नोइंगली") अपना पांव आग पर रखेगा, इसे जला बैठेगा अतः इन में भेद है और हम इस भेद के आधार पर चल रहे हैं । "जानबूझ कर और अपनी इच्छा से" ("नोइंगली एण्ड विलफुली") का अर्थ "जान बूझ कर" ("नोइंगली") से कुछ अधिक है ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि यदि हमें इंग्लिस्तान की विधि का अनुसरण करना है, तो पूरी तरह अनसरण क्यों नहीं करते । उत्तर स्पष्ट है । इंग्लिस्तान की विधि में केवल एक श्रेणी के व्यक्ति हैं : 'जो भी जानबूझ कर और अपनी इच्छा से' ("नोइंगली एण्ड विलफुली") प्राधिकृत करता है या अनुमति देता है ..." इत्यादि; किन्तु हम ने एक भेद रखा है : एक व्यक्ति जो एक कार्य करता है, एक व्यक्ति जो प्राधिकृत करता है । इंग्लिस्तान की विधि में उपबन्ध भिन्न है । हम यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो एक कार्य करता है, जानता है कि वह ऐसा कर रहा है, तो यह पर्याप्त है ; उस का बुरा इरादा सिद्ध करने का भार हम पर नहीं होना चाहिये । आप जानते हैं कि आप एक बुरा काम कर रहे हैं न केवल आप जानते हैं कि आप बरा काम कर रहे हैं, बल्कि आप बुरा काम करना चाहते हैं । अतः यदि कोई चूक करने वाला पदाधिकारी कोई कार्य करता है, और जान बूझ कर करता है, तो हमारे लिये यह काफ़ी है । अब हम उस व्यक्ति को लेते हैं जो बहुत से समवायों का निर्देशक है । कोई आदमी उस के पास आ कर कहता है 'क्या आप इस पर हस्ताक्षर करने की कृपा करेंगे ? यह बिल्कुल ठीक है' । निदेशक कहता है, 'मैं इस पर हस्ताक्षर कर देता हूं' । वह हस्ताक्षर जान बझ कर ('नोइंगली') करता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि वह किस प्रकार के सौदे को अधिकृत कर रहा है । अतः हम ने कुछ उदारता दिखाई है । हम कहते हैं कि हमारे लिये यह सिद्ध करना आवश्यक होना चाहिये कि वह न केवल जानबूझ कर ('नोइंगली') अधिकृत करता है बल्कि अपनी इच्छा से ("विलफुली") भी करता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि पहले भाग में भी "अपनी इच्छा से" ("विल-फुली") रखा जाय । अन्य सदस्य चाहते हैं कि "अपनी इच्छा से" ("विलफुली") दोनों में नहीं होना चाहिय । यदि हम श्री एन० सी० चटर्जी की बात मानें तो मं दूसरे भाग से "अपनी इच्छा से" ("विलफुली") हटाने के लिय तैयार हूं, ताकि केवल "जान बूझ कर" ("नोइंगली") रह जाय । किन्तु इस से अधिकृत करने वाले व्यक्ति को कठिनाई होगी इसलिये मैं सिफ़ारिश करता हूं कि खंड को वैसे ही रहने दिया जाये ।

ऋण पत्रों के बारे में, श्री एन० पी० नथवानी ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है । इस में अल्पकालीन ऋण के लिये प्रत्येक सौदे को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं है । ऋण पत्र अवश्य चल आस्तियों पर ऋण होता है किन्तु यह सौदों की कड़ी में से एक होता है ; अन्तर यही है । अतः यदि बन्ध आदि भी ऋण की तरह हैं, तो इन्हें भी ऋणपत्र समझा जायेगा । मेरे विचार में श्री तुलसीदास को कोई शंका नहीं होनी चाहिये ।

मेरे संशोधन संख्या २८६ के बारे में एक छोटी सी बात है । इसे स्पष्ट करते हुए मैंने कहा था कि हम यह नहीं चाहते कि एक समवाय जो हर प्रकार से एक सहायक समवाय है, सहायक समझे जाने से केवल इसलिये बच जाये कि कुछ प्रविधिक शर्तों

[श्री सी० डी० देशमुख]

को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि मूल समवाय में मतदान की विधि कुछ भिन्न है । अतः हमारा अभिप्राय उन्हें लाभ पहुंचान का नहीं था लिक यह था कि 'सहायक' की परिभाषा के अन्तर्गत उन समवायों को भी लाया जाये जो हमारी परिभाषा की शर्तें पूरी नहीं करते बल्कि उन की अपनी विधि में दी गई परिभाषा की शर्त पूरी करते हैं । उस समवाय को भी सहायक समझा जायगा ; संशोधन संख्या २८६ का उद्देश्य यही था ।

अब मैं श्री त्रिवेदी के संशोधन को लेता हूं । मेरे विचार में संशोधन संख्या १७ ही ऐसा एक संशोधन है, जिसे मुझे स्वीकार करना चाहिये । इस उपखंड को रखने का कारण केवल यह है कि यह पुराने अधिनियम में था । मझे आश्चर्य है कि यह पुराने अधिनियम में १९३६ से चला आ रहा है । यह असाधारण मालूम होता है कि ऐसे न्यायालयों का उल्लेख कर देने के बाद, जिन में ये मुकदमे चलाये जायेंगे, आप यह कह कर कि यदि ये किसी अन्य न्यायालय में भी चले जायें, तो कोई बात नहीं, इसे निरर्थक बना देते हैं । यह एक असाधारण उपबन्ध है । मेरे विचार में इस में यह शर्त थी कि यह उच्च न्यायालय या ज़िला न्यायालय जैसा एक ही प्रकार का न्यायालय होगा किन्तु भिन्न स्थान पर ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह भिन्न इलाके का था ।

श्री सी० डी० देशमुख : दिल्ली जिला न्यायालय की बजाय यह कोई और जिला न्यायालय जैसा कि अलीगढ़ जिला न्यायालय है हो सकता है । किन्तु इस में यह स्पष्ट नहीं किया गया । इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं है । सुझाव दिया गया है कि यह तब लागू हो जबकि गलत क्षेत्राधिकार के बारे में कोई आपत्ति न उठाई गई हो ; किन्तु मैं समझता हूं कि यह भार किसी पक्ष पर नहीं डालना चाहिये । जब हम कहते हैं कि यह मुकदमा एक विशिष्ट न्यायालय में चलेगा तो यह दूसरे न्यायालय में क्यों जाने दिया जाये । इसलिये मैं श्री त्रिवेदी का संशोधन संख्या १७ स्वीकार करता हूं, जिस के फल स्वरूप खंड १० का उपखंड (४) निकाल दिया जायेगा ।

अन्तिम बात की चर्चा श्री मुरारका कर चुके हैं । उन्हों ने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि यह क्यों जोड़ना चाहिये । मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है ।

श्री सी० सी० शाह : आप सचिवों और कोषाध्यक्षों सम्बन्धी संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहते थे ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां मुझे इस का उत्तर देना चाहिये । मैंने कहा था कि नई किस्म के सचिवों और कोषाध्यक्षों के पैदा होने की संभावना है । श्री बसु का तर्क इसी आधार पर है । हमारे नवयुवक इस प्रकार का निकाय क्यों नहीं बनाते । मैं ने एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं को सचिवों और कोषाध्यक्षों में परिवर्तित देखना चाहते हैं । प्रबन्ध अभिकर्ता बनने की बजाय वे पारिश्रमिक को १० प्रतिशत से ७½ प्रतिशत कर देना स्वीकार करते हैं और दो निदेशकों को नामनिर्देशित करने का अधिकार भी वापस देने के लिये तैयार हैं । मेरे विचार में प्रबन्ध की ऐसी प्रणाली में, जोकि ईमानदारी की है और समवाय के हितों के विरुद्ध नहीं है, हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होना चाहिय । बहुत से ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता होंगे जो ७½ प्रतिशत लेन के लिये तैयार हैं और जो सचिव और कोषाध्यक्ष बनना चाहते हैं । मैं उन्हें अवसर देना चाहता हूं । इस अध्याय में यह उपबंध

रखने का उद्देश्य यह था कि समाज के सब भागों को औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यवाहियों में अधिक भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। उन के संशोधन को स्वीकार न करने के लिये मेरा यही कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : चचेरे भाई के सम्बन्ध में जो संशोधन है, उस को छोड़ कर, अब मैं माननीय वित्त मंत्री के संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : यह संख्या २८७ है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन का भी कोई संशोधन होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा संशोधन संख्या २८७ है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस संशोधन का भी कोई संशोधन है ?

श्री एस० एस० मोरे : नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख : हम सगे चचेरे भाई (फर्स्ट कज़िन) की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में उल्लेख नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : खंड ६ सगे चचेरे भाइयों के सम्बन्ध में है। मैं खंड ६(५) के बारे में कह रहा हूं। हम ने सगे चचेरे भाई की परिभाषा दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, उपखण्ड (३), पंक्ति २९ में "Partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात "or relative" [अथवा संबंधी] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, उपखण्ड (३), पंक्ति ३० में, "Such individual" [ऐसे व्यक्ति] शब्दों के पश्चात "Partner or relative" [भागीदार अथवा सम्बन्धी] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १, उपखण्ड (३), पंक्ति ३३ में "any such partner" [ऐसे कोई भागीदार] शब्दों के पश्चात "relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति ३ में, "Manager" [प्रबन्धक] शब्द के पश्चात "and" [तथा] शब्द रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति १० में, "any such" [ऐसा कोई] शब्द हटा दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति १० में, "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात् "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति १० और ११ में, "and any such" [और ऐसा कोई] शब्द हटा दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति ११ में, "firm or firms" [फर्म या फर्मों] शब्दों के पश्चात् "and private company or companies" [और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति ११ और १२ में, "and any relative of such individual" [और ऐसे व्यक्ति का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति १६ में, "partner"[भागीदार] शब्द के पश्चात् "or relative" [या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति १७ और १८ में "any such member" [ऐसा कोई सदस्य] शब्दों के पश्चात् "partner or relative" [भागीदार या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति २१ में, "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात् "relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ३२ में "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ३३ में, "and other firm or firms" [और अन्य फर्म या फर्मों] शब्दों के स्थान पर "other firm or firms and private company or companies" [अन्य फर्म या फर्मों और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखंड (३), पंक्ति ३३ और ३४ में, "and any relative of any such member" [और ऐसे किसी सदस्य का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, उपखण्ड (३), पंक्ति ३४ में, "thereof" [उस का] शब्द के पश्चात् "any partner or relative of any such director or manager; any firm in which such director, manager, partner or relative, is a partner;" ["ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बन्धी ; कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार या सम्बन्धी , भागीदार है"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति १६ में, "partner" [भागीदार] के पश्चात्

"or relative" [अथवा सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति १८ में, "any such member" [ऐसा कोई सदस्य] शब्दों के पश्चात् "partner or relative" [भागीदार या सम्बन्धी] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति २१ में, "partner" [भागीदार] शब्द के पश्चात् "relative" [सम्बन्धी] शब्द रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखंड (४), पंक्ति ३१ में "partner or partners" [भागीदार या भागीदारों] शब्दों के पश्चात् "relative or relatives" [सम्बन्धी या सम्बन्धियों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति ३१ और ३२ में, "and other firm or firms" [और अन्य फर्म या फर्मों] शब्दों के स्थान पर "other firm or firms and private company or companies" [अन्य फर्म या फर्मों और निजी समवाय या समवायों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति ३२ और ३३ में, "and any relative of any such member" [और ऐसे किसी सदस्य का कोई सम्बन्धी] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ ३, उपखण्ड (४), पंक्ति ४३ में, "holding company thereof" [उस का सूत्रधारी समवाय] शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जायें :

"any partner or relative of any such director or manager; any firm in which such director, Manager, Partner or relative is a partner;"

[ऐसे किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या सम्बन्धी ; कोई फर्म जिस में ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, भागीदार, या सम्बन्धी, भागीदार है ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ ४, उपखण्ड (१५),

(१) पंक्ति ३६ में, "notice" [सूचना] शब्द के पश्चात् "Requisition" [अधिग्रहण आदेश] शब्द रखा जाय और "and" [तथा] शब्द हटा दिया जाय ।

(२) पंक्ति ३७ में "and registers" [और पंजियां] शब्दों के पश्चात् "whether issued, sent or kept in pursuance of this are any other Act or otherwise" [चाहे वे इस या किसी अन्य अधिनियम के अनुसरण में या अन्यथा निकाली भेजी, या रखी गई हों] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ·

पृष्ठ ६, उपखण्ड (३०), पंक्ति ६ में, "६१६, ६१७, ६१८" ये अंक हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति ४१ और ४२, उपखण्ड (४०) में, "or an Assistant Registrar" [या सहायक पंजीयक] शब्दों के स्थान पर "an Additional, a Joint, a Deputy or an Assistant Registrar" [अतिरिक्त, संयुक्त, उप अथवा सहायक पजीयक] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ । वित्त मंत्री का और कोई संशोधन शेष नहीं है । मैं अब पहले श्री बसु के संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ५ में, "one-half" [आधा] के स्थान पर "one third" [एक तिहाई] शब्द रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड २, पंक्ति २६ में, "one-half" [आधा] के स्थान पर "one third" [एक तिहाई] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० के० बसु : मेरे संशोधन संख्या ३३० और ३३४ में "one-fourth" [एक चौथाई] के स्थान पर "one third" [एक तिहाई] होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है ।

मैं दोनों संशोधनों को इस परिवर्तन के साथ मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २६ में "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-third" [एक तिहाई] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ४४ और ४५ में "one-half" [आधा] के स्थान पर "one-third" [एक तिहाई] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ३२५, ३२७, ३२९, ३३३, ३३५, और ३३७ को, और श्री बसु के संशोधनों मे, जो अभी स्वीकृत हुए हैं, उत्पन्न होने वाले आनुषंगिक संशोधनों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं । श्री सी० सी० शाह के संशोधन संख्या ३२५ और ३३३ का भाग (२) तो क्रमशः सरकारी संशोधन संख्या ३२५ और ३३३ जैसा ही है । अतः मैं केवल भाग (१) और (३) को ही मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २,

(१) पंक्ति ३८ में, "any subsidiary" [कोई सहायक] के पूर्व "(१)" रखा जाये, और

(२) पंक्ति ४५ से ५४ के स्थान पर ये शब्द रखे जायें —

"(ii) any other body corporate at any general meeting of which not less then one half of the total voting power in regard to any matter may be excercised or controlled by any one or more of the following namely, the body corporate and the companies and other persons, specified in pargraph (i) above; and

["(२) कोई अन्य निगम निकाय जिस के साधारण अधिवेशन में किसी विषय के बारे में कुल मतदान संख्या के आधे से अन्यून का प्रयोग या नियंत्रण निम्नलिखित में

से कोई एक या अनेक कर सकें, अर्थात् निगम निकाय और उपरोक्त कण्डिका (१) में उल्लिखित समवाय या अन्य व्यक्ति ; और"]।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २ और ३ में, "private company" [निजी समवाय] के पश्चात् "or a body corporate having not more than fifty members" [या एक निगम निकाय जिस में पचास से अधिक सदस्य न हों] शब्द जोड़े जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

पृष्ठ ३, पंक्ति ६ के अन्त में "or body corporate" [या निगम निकाय] शब्द जोड़े जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ में,

(१) पंक्ति ३७ में "any subsidiary" [कोई सहायक] के पूर्व "(१)" रखा जाय; और

(२) पंक्ति ४२ में "any" (कोई) शब्द से पूर्व "(२)" रखा जाय और पंक्ति ४३ से ५१ के स्थान पर ये शब्द रखे जायें—

"other body corporate at any general meeting of which not less than one-third of the total voting power in regard to any matter may be exercised or controlled by any one or more of following, namely, the body corporate and the companies and other persons specified in paragraph (i) above; and".

["अन्य निगम निकाय जिस के साधारण अधिवेशन में किसी विषय के बारे में कुल मतदान संख्या के आधे से अनधिक का प्रयोग या नियंत्रण निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक कर सकें, अर्थात् निगम निकाय और उपरोक्त कण्डिका (१) में उल्लिखित समवाय या अन्य व्यक्ति ; और"]।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ ४, पंक्ति ३ के अन्त में, ये शब्द जोड़ दिये जायें

"or a body corporate having more than 50 members"

[या एक निगम निकाय जिस में ५० से अधिक सदस्य न हों]।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ६ के अन्त में, " or body corporate" [अथवा निगम निकाय] शब्द जोड़ दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० के० बसु : मैं संशोधन संख्या पर आग्रह नहीं करता क्योंकि वह वित्त मंत्री के अन्य संशोधनों में आ जाता है। कृपया संशोधन सख्या ३२८ और ३३६ पर एक साथ मत ले लीजिये।

दोनों संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

श्री के० के० बसु : संशोधन संख्या ३४३ और ३४४ पर जो "body corporate" [निगम-निकाय] शब्दों को हटाने के बारे में थे, एक साथ मत ले लिया जाय।

श्री सी० सी० शाह : खंड ३७८ पर एक सारवान् संशोधन संख्या २३६ है और श्री बसु के संशोधन उस के आनुषंगिक हैं। अतः इन संशोधनों को लम्बित रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २ स्थगित रहेगा परन्तु मैं संशोधन संख्या ३४३ और

[उपाध्यक्ष महोदय]

३४४ को छोड़ कर जो खंड ३७८ तक पहुंचने तक स्थगित रहेगा और संशोधन संख्या ३२३ को भी छोड़ कर जिस पर श्री बसु आग्रह नहीं करते, अन्य सब संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

इस के पश्चात उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए :—

संशोधन संख्या ६३, ६४, १३, १४७, १४८, ३२६, १४९, ३३१, ३५०, ३३२, ९१, १५१, १५२, ६५, ९२, ९३, २९, ६६, १५३ और १४ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ के उपखण्ड (३) (४), (१५), (३०) और (४०), संशोधित रूप में, और उपखण्ड (१) तथा (२) (५) से (१४), (१६) से (२९), (३१) से (३९), (४१) से (४३) और (४५) से (५०) विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उक्त उपखंड विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ३ को लेता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८, उपखण्ड १ (ii) (च), पंक्ति २ और ३ में, "in a Part B State at any time before the first day of April, 1951 [एक अप्रैल १९५२ से किसी भी समय पूर्व भाग ख राज्य में] इन शब्दों और अंकों के स्थान पर "in the merged territories or in a Part B State or any part thereof, before the extension thereto of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913)" [विलीन प्रदेशों में अथवा किसी भाग 'ख' राज्य या उस के किसी भाग में, उन पर भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का ७) लागू किये जाने से पहले] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ९४ भी संख्या ३० जैसा ही है अतः वह भी अस्वीकृत समझा जाता है ।

प्रश्न यह :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड ४ को लेता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, नई उपधारा ६, पंक्ति ८ के पश्चात्, यह उपखण्ड जोड़ा जाये—

"(6) In the case of a body corporate which is incorporated in a country outside India, a subsidiary or holding company of the body corporate under the law of such country shall be deemed to be a subsidiary or holding company of the body corporate within the meaning and for the purposes of this Act also, whether the requirements of this section are fulfilled or not."

["(६) ऐसे निगम-निकाय के विषय में जो भारत के बाहर किसी देश में निगमित

हो, ऐसे देश की विधि के अधीन उस निगम-निकाय का सहायक या सूत्रधारी समवाय इस अधिनियम के भी प्रयोजनों के लिये और अर्थ के अन्तर्गत उस निगम-निकाय का सहायक या सूत्रधारी समवाय समझा जायगा, चाहे इस धारा की शर्तें पूरी हों या न हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के बाद उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५० और ९५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५४ और ३५२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए । अन्य सशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड ६ को लेता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति २९ में, "grand-parent" (महाजनक) शब्द के पश्चात् ये शब्द रखे जायें —

"Provided the cousins are members of a Hindu Joint family whether governed by the Mitakshra, the Dayabagha. the Marumakhatha-yam. the Aliyasanthana or any other syst:m of law."

["यदि वे चचेरे भाई हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हों, चाहे उन पर मिताक्षरा, दायभाग, मरुमखतयम, आलिया संतान या अन्य कोई भी विधि लागू हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ९६ और १५५ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

खंड ६ संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ पर संशोधन संख्या १५ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ९ पर संशोधन संख्या ६८ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १० पर संशोधन संख्या १६ और ६९ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११ में पंक्ति ४० और ४१ को हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खड ११ से ६७ तक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन खंड ११ से ६७ तक की चर्चा करेगा जिन के लिये २॥ घंटे दिये गये हैं । माननीय सदस्य इन के सम्बन्ध में जो सशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन की संख्यायें वे सचिव को दे दें ।

श्री सी० डी० देशमख : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । इन की संख्याएं ये हैं : २८८—खंड २२, २८९—नया खंड

[श्री सी० डी० देशमुख]

२३क, २९०—खंड ४३, २९१—खंड ४८, २९२—खंड ५०, ३१४—खंड १५, और ३१५—खंड २९ ।

संशोधन संख्या २८८ के बारे में, हम ने कहा है, "समवाय और प्रत्येक पदाधिकारी" हो सकता है चूंकि समवाय के पदाधिकारी की हो और समवाय की न हो । ऐसे मामले में पदाधिकारी को दंड देने की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, जैसा कि विधेयक में विभिन्न स्थानों पर किया गया है ।

संशोधन संख्या २८९, खंड १३ में, जैसा कि इसे संयुक्त समिति ने संशोधित किया है, यह उपबन्ध है कि निजी सीमित समवाय के नाम में केवल 'सीमित' शब्द नहीं बल्कि 'निजी सीमित' शब्द सम्मिलित होने चाहियें । सुझाव दिया गया है कि खंड २२ में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना, वर्तमान निजी समवायों को अपने नाम में 'निजी' शब्द सम्मिलित करने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये । सरकार इस सुझाव को युक्तियुक्त समझती है और नये खंड २३क के द्वारा इसे क्रियान्वित किया गया है । खंड २४ (७) में भी इस प्रकार का उपबन्ध किया गया है, जिसके अनुसार वे समवाय जो अब पूर्त समवाय नहीं रहे अपने नामों के साथ 'सीमित' या 'निजी सीमति' लगा सकते हैं ।

अब मैं खंड ४३ के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या २९० पर आता हूं । ५०० रुपये का जुर्माना कम प्रतीत होता है । इंगलैंड में प्रतिदिन ५० पौंड के जुर्माने की व्यवस्था है । यह संशोधन उपखंड को इंग्लिश अधिनियम के अनुरूप बनाता है । वर्तमान भारतीय अधिनियम में ५०० रुपये जुर्माने की व्यवस्था है किन्तु यह गलती से ऐसा हो गया प्रतीत होता है ।

खंड ४८ का संशोधन संख्या २९१ केवल प्रारूप के सम्बन्ध में है । "अंश या प्रतिभूतियां" ("शेयर्स आर सीक्योरिटीज़") शब्द खंड की पंक्ति २३, २६, ३०, ३५ और ३-९ में भी आते हैं, इसलिए पंक्ति २० में "अंश या अन्य प्रतिभूतियां" ("शेयर्स आर अदर सीक्योरिटीज़") के स्थान पर "अंश या प्रतिभूतियां" ("शेयर्स और सीक्योरिटीज़") अधिक वांछनीय है । इस संशोधन द्वारा "अन्य" ("अदर") शब्द हटाया जा रहा है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

अब मैं संशोधन २९२ को लेता हूं जिस में खंड ५० में संशोधन किये जाने की अपेक्षा है । रजिस्ट्रार को कुछ मामलों में, उदाहरणतया अभियोग चलाने से पहले, समवाय के निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है । कुछ रजिस्ट्रार यह चाहते हैं कि खंड ५० को बढ़ा दिया जाये ताकि समवाय के पदाधिकारियों को सूचना दी जा सके । यह संशोधन ऐसा करने के लिये है ।

संशोधन संख्या ३१४ जिस में खंड १५ में संशोधन करने की अपेक्षा है, का उद्देश्य यह है कि यदि आवश्यकता हो, तो पहचान करने वाले गवाहों तक पहुंचा जा सके । इस का सुझाव एक रजिस्ट्रार ने दिया है और हमारे विचार में इस से स्थिति में सुधार होगा ।

खंड २९ के संशोधन संख्या ३१५ का भी यही उद्देश्य है ।

जिन खंडों पर अब विचार किया जा रहा है उन के सम्बन्ध में मेरे संशोधन यही हैं ।

श्री तुलसीदास : विचाराधीन खण्डों पर मेरे संशोधन ये हैं : १५७, १५८, १५९,

१६०, १६१, १६३, १६४ तथा १६५—और ये खण्ड ७० तक हैं। मैं संशोधन संख्या १५६ को प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि माननीय मंत्री संशोधन संख्या २८६ प्रस्तुत कर रहे हैं जो मेरे संशोधन के प्रायः समान है। मेरा संशोधन प्रक्रियात्मक विनियमन से सम्बन्धित है।

इस के बाद मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे अन्य संशोधन पर विचार करें। अब मैं संशोधन संख्या १५७ के सम्बन्ध में कहूगा जो खण्ड ३२ के बारे में है। खण्ड ३२ के अन्तर्गत प्रबन्धक अभिकरण समझौते को किसी पंजीयक के पास पंजीबद्ध कराना आवश्यक होगा। इस प्रकार का उपबन्ध वर्तमान अधिनियम में नहीं है यद्यपि भाभा समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध विधेयक में होना चाहिये। इस उपबन्ध को उस समय रखा गया जबकि विधेयक संयुक्त समिति के पास था। पार्षद अन्तर्नियम तथा ज्ञापन को दाखिल करने का कार्य किसी समवाय की प्रथम अवस्था होती है। बाद में जब विवरण पत्रिका जारी की जाती है तब लोगों को अंश खरीदने का निमंत्रण दिया जाता है। विधेयक की अनुसूची २ के अधीन विवरण पत्रिका में प्रबन्ध अभिकरण के समझौते के बारे में सभी ब्यौरा दिया जाना आवश्यक होगा। इस जानकारी दिये जाने के बारे में खण्डों में पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं। किन्तु इस के बाद ऐसे प्रस्थापित समझौतों की विधि में कोई मान्यता नहीं है। अतः इस कार्यप्रणाली से गलत धारणायें उत्पन्न हो सकती हैं। प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा अस्थायी क़रार आदि गोपनीय होते ह और उन को समय से पहले बता देना समवाय के हितों के लिये हानिकारक हो सकता है। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकरण समझौतों के पंजीयन तथा ज्ञात कराये जाने सम्बन्धी उपबन्ध को न रखा जाये

श्रीमान्, आप जानते हैं कि जब कोई समझौता पूर्ण हो जाता है तभी वह एक वैध दस्तावेज़ होता है। इसलिये इस बात से कोई लाभ नहीं कि इस से पहले ही उसे विज्ञापित किया जाये क्योंकि ऐसा करने से केवल गलत धारणायें फैलने का ही भय रहता है। ऐसा खण्ड १९१३ के अधिनियम में भी नहीं था और न ही यह १९५१ के संशोधन अधिनियम में था।

मूल विधेयक में भी यह उपबन्ध नहीं था —इसे केवल संयुक्त समिति ने रखा है। इस से केवल अनावश्यक कठिनाइयां ही उठ खड़ी होंगी अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरा यह संशोधन स्वीकार करेंगे।

इस के बाद संशोधन संख्या १५८ तथा १५९ इस के आनुषंगिक संशोधन हैं। मुझे आशा है कि यदि मेरा संशोधन संख्या १५७ स्वीकार किया गया तो इन्हें भी स्वीकार किया जायगा।

इस के बाद मेरा संशोधन संख्या १६० है जो खण्ड ४३ के सम्बन्ध में है। यह सशोधन वैसा ही है जैसा कि मेरा संशोधन संख्या १६१ खण्ड ६४ पर तथा संशोधन संख्या १६५ खण्ड ६९ पर है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि समवाय विधि समिति ने विवरण पत्रिका में समस्त तत्सम्बन्धी तथ्यों के दिये जाने के बारे में विस्तृत सिफारिशें की हैं। समिति ने माना है कि कई बातों में उन की सिफारिशें इंगलिश अधिनियम से भी अधिक व्यापक हैं। इस पर विस्तृत चर्चा मैं तब करूगा जब खंड ४३ की अनुसूची पर चर्चा होगी। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं विवरण-पत्रिका में सम्पूर्ण ब्यौरे के दिये जाने का उपबन्ध कर देने के बाद,

[श्री तुलसीदास]

कोई ऐसी बातें नहीं रहतीं जिन से यह समझा जाय कि उन से गलत धारणा फैलेगी।

उपखंड २(क) तथा २(ख) के अनुसार विवरण पत्रिका निर्धारित आकार प्रकार की होगी। इस प्रकार का कोई भी उपबन्ध इंग्लिश अधिनियम में नहीं है। इंगलैंड के अधिनियम की धारा ४६ में यह उपबन्ध है कि विवरण पत्रिका में दिया गया कोई विवरण गलत माना जायगा यदि वह उस प्रसंग में गलत धारणा उत्पन्न करने वाला हो। इसी प्रकार का एक उपबन्ध इस विधेयक के खण्ड ४३ के उपखंड ५(क) में है। उपखंड ५(ख) के लिये कोई न्यायिक आधार नहीं हैं। यह उपबन्ध व्यर्थ है तथा इस से नये उपक्रमियों में भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिये इस उपखण्ड ५(ख) को हटा कर विधि को इंग्लैण्ड में प्रचलित अधिनियम के समान किया जाये। वास्तव में हमारी अनुसूची में निश्चित शब्दावलि दी हुई है और उस के अनुसार फार्म भरने के बाद छोड़ देने के लिये रह ही क्या जाता है? इस से अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई जानकारी गोपनीय नहीं रह सकती—इस का परिणाम यह हो सकता है कि नये समवायों को कठिनाइयां होगी—वास्तव में विवरण पत्रिका का प्रयोजन लोगों को अंश खरीदने के लिये आकर्षित करना ही तो है।

अब मैं एक विशेष मामले के सम्बन्ध मे माननीय मंत्री को सूचित करना चाहता हूं। मान लीजिये कोई एक नया समवाय बनाया जाता है और बाद में उस में परिस्थितियों के अनुसार कतिपय परिवर्तन करने पड़ते हैं—तो यदि यह परिवर्तन किये जाते हैं वह इस उपबन्ध के अन्तर्गत इसे विलोपन समझा जायेगा। मैं एक समवाय का उदाहरण देता हूं जिस के निदेशक बोर्ड का प्रधान मैं हूं। यदि यह उपबन्ध पहले से ही होता तो इस समवाय को बहुत हानि उठानी पड़ती। किसी समवाय को स्थापित करते समय अनेकों बातों को देखना पड़ता है। जब समवाय काम करने लगता है तो कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं और इस सम्बन्ध में पहले कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिये उपखण्ड ५ (ख) का कोई लाभ नहीं है।

अब मैं खण्ड ६८ सम्बन्धी संशोधन संख्या १६३ तथा १६४ के बारे में कहना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या विधेयक में उपबन्धित अवधि न्यूनतम अंशपूंजी एकत्र करने के लिये पर्याप्त है अथवा नहीं? अब तक हमारे पास १८० दिन का समय था —भाभा समिति ने ९० दिन की सिफारिश की थी—संयुक्त समिति ने इसे १२० दिन कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि चार मास की यह अवधि पर्याप्त नहीं है—विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में रुपया इकट्ठा करना आसान नहीं होता है और यह सम्भव नहीं है कि इस अवधि में अंशपूंजी इकट्ठी हो जाये। किसी समवाय को स्थापित करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता होती है। सीमेन्ट फैक्टरी के लिये एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति एक सीमेंट कारखाना लगाना चाहता था वह पांच मास में भी रुपया एकत्र करने में असफल रहा और अन्ततोगत्वा बम्बई सरकार से रुपये की प्रार्थना करनी पड़ी। इसलिये हमें १८० दिन का समय ही रखना चाहिये १२० दिन का समय बहुत कम है।

मेरे सारे संशोधन यही हैं और यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी हैं। हमें प्रक्रिया इस प्रकार की रखनी चाहिये जिस से कि समवायों

का स्वस्थ विकास हो न कि उन के सामन अनावश्यक कठिनाइयां आती रहें ।

श्री यू० एम० त्रिवदी : मैं बारी बारी से अपने संशोधनों पर कहूंगा । मेरा पहला संशोधन खंड ११ के बारे में है। खंड ११ में एक उपबन्ध है कि बैंकिंग कार्य करने के लिये १० व्यक्तियों वाला कोई समवाय अथवा संस्था उस समय तक नहीं बन सकेगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य भारतीय विधि के अनुसार समवाय के रूप में पंजीबद्ध न हो।

इस के बाद उपखण्ड (२) में लिखा है कि २० व्यक्तियों वाली कोई संस्था अथवा समवाय किसी अन्य व्यापारिक प्रयोजन के लिये उस समय तक नहीं बनेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध न कराया जाये अथवा उसे किसी अन्य भारतीय विधि के अनुसार न बनाया गया हो ।

श्री एम० सी० शाह : आप के संशोधन की क्रम संख्या क्या है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं संशोधन संख्या १८ पर बोल रहा हूं । खंड ११ के उपखंड (५) में एक उपबन्ध है कि कोई व्यक्ति जो कि किसी ऐसी संस्था अथवा समवाय का सदस्य है, जोकि इस धारा का उल्लंघन करने वाली है उसे एक हजार रुपये के जुर्माने तक का दण्ड दिया जा सकता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोग चलाना सरकार के सुझाव पर आधारित रहेगा । मैं यह चाहता हूं कि जब कोई अवैध समवाय लोगों से रुपया लेना चाहे तो ऐसे समवायों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई उपबन्ध होना चाहिये । यदि भागीदारी इस अधिनियम कीधा रा १६९ के अधीन पंजीबद्ध न कराई गई हो तो ऐसे समवाय को दावा करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । इस से पर्याप्त लोग जो ऐसे समवायो के साथ क़रार कर रहे हैं, इस धोके से बच जायेंगे । कई बार लोगों को शब्द 'लिमिटेड' से धोखा हो जाता है और वह उस समवाय से क़रार कर लेते हैं ।

जब हम ने यह नीति बना ली है कि ऐसे समवायों को विधिवत समवाय नहीं समझा जायेगा और ऐसे समवाय वालों को अपराधी समझा जायेगा तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन न दिया जाये बल्कि इन्हें दण्ड दिया जाये । इसलिये यह उपबन्ध होना चाहिये कि उन्हें शेष रकम वसूल करने के लिये दावा दायर करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

इस के बाद खण्ड १३ पर मेरा संशोधन संख्या १९ है । इस में केवल मैं यही चाहता हूं कि "पंजीबद्ध" शब्द के बाद यह रखा जाय कि "ऐसी पूंजी किसी मामले में भी २५,००० रुपये से कम न हो ।" लिमिटेड संस्थाओं के निर्माण पर कोई सीमा रखी जानी चाहिये । इसी प्रकार से इंग्लेंण्ड स्थित हमारे प्रधान प्रदेष्टा को धोखा हो चुका है । जब किसी समवाय के साथ लिमिटेड शब्द लगा हुआ होता है तो लोग उसे साधारण सस्थाओं से बड़ा ही समझते हैं—इसलिय आवश्यक है कि ऐसा कोई उपबन्ध हो जिस से कि लोगों को संरक्षण मिलता रहे । न्यूनतम पूंजो की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । मेरा संशोधन संख्या १९ इसी प्रयोजन के लिये है । इंग्लेंण्ड में एक व्यक्ति को जोकि एक ऐसी समवाय का सदस्य था जिस में केवल दो पौंड की पूंजी थी—इसी आधार पर कि वह एक लिमिटेड समवाय का निदेशक था, १७,००० पौंड पहले ही दे दिये गये थे परन्तु यह समवाय था एकदम धोखा । इसीलिये मैं कहता हूं कि अंश जारी करने की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाये : प्रत्येक अंश

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

की कीमत १० रुपये से कम नहीं होनी चाहिये ।

मेरा संशोधन संख्या २० भी खण्ड १३ पर ही है। यदि एक अंश की कीमत एक रुपया रखी गई तो इस से हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और लोगों को सरलता से धोखा दिया जा सकेगा । इसलिये अंश की कम से कम कीमत १० रुपये हो और कम से कम पूंजी २५,००० रुपये हो। इसे १० रुपये के अंशों में विभाजित किया जाय । यदि एक रुपया कीमत हुई तो यह हास्यास्पद होगी ।

खंड २० के सम्बन्ध में मेरा जो संशोधन है उस के सिद्धान्त की ओर मैं निर्देश करता हूं। उक्त खंड में शब्द 'अवांछनीय' प्रयुक्त किया गया है । निवारक निरोध अधिनियम के कार्यकरण से हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिलाधीश को अप्रसन्न कर देता है या सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस का अकृपा भाजन बन जाता है, वह अवांछनीय व्यक्ति हो जाता है । अतः यह शब्द बहुत ही संदिग्ध है, इस की स्पष्ट व्याख्या या परिभाषा की जानी चाहिये । कार्यपालिका अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता से जनता को बचाने के लिये इस शब्द की परिभाषा दी जानी आवश्यक है । मेरा सुझाव है कि इस शब्द को बदल दिया जाये और कोई ऐसा शब्द रखा जाये जिस से यह न ज्ञात होता हो कि वह कोई सरकारी समवाय है या सत्तारूढ़ दल से उस का कोई सम्बन्ध है । अतः हमें लोगों को व्यक्तिवाचक नाम रखने से रोकना नहीं चाहिये ।

अब मैं अपने संशोधन संख्या २२ को लेता हूं । इस खड में यह कहा गया है कि कोई समवाय किसी संकल्प विशेष के द्वारा तथा लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन में अपना नाम बदल सकता है ।

मेरा संशोधन यह है कि नाम का यह परिवर्तन पंजीयक द्वारा विधिवत् पंजीबद्ध किया जाना चाहिये, और जब तक इस प्रकार पंजीयन न हो जाये तब तक उक्त समवाय उस नाम को प्रयुक्त करने का अधिकारी नहीं होगा । केवल संकल्प पारित करने से किसी समवाय को नाम में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी । यह एक सुरक्षात्मक प्रकार का उपबन्ध है ।

इस के पश्चात् मैं खड २४ के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या २३ को लेता हूं । इस के द्वारा मैं उप-खंड १० के पश्चात् एक नवीन उपखंड जोड़ना चाहता हूं । मेरा संशोधन यह है कि इस धारा के अन्तर्गत इस प्रकार पंजीबद्ध की गई संस्थायें भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी अधिनियम द्वारा आरोपित किसी भी दायित्व का विषय नहीं होंगे ! इस समय भारत के अनेक भागों में ऐसी विधियां हैं जिन के द्वारा पूर्त प्रन्यासों तथा धार्मिक प्रन्यासों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है । बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में ऐसी विधियां हैं । मेरा निवेदन यह है कि जब यह विधि पूर्त प्रन्यासों के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करती है, जबकि शब्द 'लिमिटेड इस उपबन्ध के अनुसार विलोपित कर दिया जाता है, जबकि कोई पूर्त प्रन्यास समवाय विधि के अन्तर्गत विधिवत पंजीबद्ध है, यदि उस के निदेशक समवाय विधि के अनुसार नियुक्त किये गये हैं, जबकि उस का विधिवत लेखा परीक्षण होता है तो फिर इन राज्य विधियों की क्या अग्रेतर आवश्यकता है । इसीलिये मेरा निवेदन है कि राज्य विधान सभाओं को उन पूर्त प्रन्यासों के विषय में, जोकि समवाय विधि के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं, कोई अग्रेतर प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति न दी जाय । पंजीबद्ध होने के नाते उन की गति-

विधियों पर तो स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है । उन पर अग्रेतर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है । साथ ही उन से कोई अग्रेतर धन लिये जाने की आवश्यकता भी नहीं है । उदाहरण के लिये बम्बई सरकार ने यह उपबन्ध किया है कि कुछ सेवायें करने के बदले वह संग्रहीत पूर्त राशि का पांच प्रतिशत वसूल करेगी । मैं नहीं चाहता कि समवाय विधि में ऐसा उपबन्ध किये जाने के पश्चात् ऐसी वस्तुस्थिति रहे ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं खंड ३२ (१) (ग) का विरोध करता हूं । इस खंड में यह उपबन्ध है कि क़रार को ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों के सहित पंजीयक के समक्ष पंजीयन के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये । मेरा निवेदन यह है कि इस स्थिति में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं तथा तथा-कथित समवाय प्रवर्त्तकों के मध्य हुआ क़रार पूर्ण नहीं होगा । यह भी संभव है कि समवाय के पंजीबद्ध होने के पश्चात उसे बदल भी दिया जाय । खंड ३३ कहता है कि इसके पश्चात उक्त समवाय एक निगमित संस्था के रूप में कार्य करने लगेगा । अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे क़रार को, जो पंजीयन के समय संभव है पूर्ण प्रलेख न हो, पंजीयन के लिये प्रस्तुत किये जाने के लिये कहना उचित न होगा । इसके विपरीत, अन्तिम रूप दिये जाने पर उसे प्रस्तुत करने को कहना अधिक वांछनीय होगा ।

श्री तुलसीदास ने समस्त उप-खण्ड (ग) के विलोपन का संशोधन दिया है । मैं उस का विरोध करता हूं । केवल विलोपन ही पर्याप्त नहीं होगा । मुझे विवेक शून्य प्रवर्त्तकों से कोई सहानुभूति नहीं है, परन्तु वास्तविक प्रवर्त्तकों की राह में रोड़े अटकाना भी तो वांछनीय नहीं है । यह भी तो संभव है कि जब समवाय एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करने लगे तो उक्त निगमित निकाय मूल क़रार के उपबन्धों को बदल दे । बाद को किये गये सभी परिवर्तन प्रलेख को अन्तिम रूप दिये जाने, हस्ताक्षरित होनेत था मुहर लगने के पश्चात निगमित किये जायेंगे । इसलिये अन्तिम प्रलेख को रिकार्ड में रखना अधिक वांछनीय है न कि किसी अपूर्ण प्रलेख को जैसा कि उप-खंड में उपबन्धित है ।

सभापति महोदय : अब समवाय विधेयक के खंड ११ से ६७ पर संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे ।

खंड ११ पर श्री यू० एम० त्रिवेदी ने संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत किया । खंड १३ पर श्री यु० एम० त्रिवेदी ने संशोधन संख्या १९ और २० प्रस्तुत किये ।

खंड १५

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ १३, पंक्ति ३६ में,

"shall attest the signature" (हस्ताक्षर का साक्षांकरण करेगा) शब्दों के पश्चात् " and shall likewise add his address, description and occupation if any" [और उसी प्रकार अपना पता, विवरण तथा व्यवसाय यदि कोई हो, तो लिखेगा] शब्द रखे जायें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने खंड २० पर संशोधन संख्या २१ और खंड २१ पर संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत किये ।

खंड २२

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १६, पंक्ति ३२ में, "it shall be punishable" [वह दण्डनीय होगा] शब्दों के स्थान पर " the company and every officer who is in default" [समवाय और प्रत्येक पदाधिकारी जो चूक करे, दण्डनीय होगा] शब्द रखे जायें ।

नया खंड २३ क

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १६, पंक्ति ४७ के पश्चात, खंड २३ के पश्चात् निम्न नया खंड २३क रखा जाय—

"23A Change of name of existing private limited companies.— (1) In the case of a company which was a private limited company immediately before the commencement of this Act, the Registrar shall enter the 'Private' before the word 'limited' in the name of the company upon rhe register and shall also made the necessary alterations in the certificate of incorporation issued to the company and in its memorandum of association.

(2) Sub-section (3) of section 23 shall apply to a change of name under sub-section (1), as it applies to a change of name under section 21".

[**"२३क वर्तमान निजी सीमित समवायों का नाम परिवर्तन.** --(१) ऐसे समवाय के विषय में जो इस अधिनियम के आरम्भ से तुरन्त पूर्व निजी सीमित समवाय था, पंजीयक पंजी में समवाय के नाम में 'सीमित' से पूर्व 'निजी' शब्द रख देगा और समवाय को दिये गये निगमन के प्रमाण-पत्र में तथा संथा के सीमा नियमों में आवश्यक परिवर्तन भी कर देगा ।

(२) धारा २३ की उपधारा (३) भी उपधारा (१) के अधीन किये गये नाम परिवर्तन पर लागू होगी जैसे कि वह धारा २१ के अधीन किये गये नाम परिवर्तन पर लागू होती है ।"]

खंड २४ पर श्री यू० एम० त्रिवेदी ने संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत किया ।

खंड २९

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १९, पंक्ति ३४ और ३५ में "shall attest the signature" [हस्ताक्षर का साक्षांकरण करेगा] शब्दों के पश्चात् "and shall likewise add his address, description and occupation if any" [और उसी प्रकार अपना पता, विवरण तथा व्यवसाय यदि कोई हो, तो लिखेगा] शब्द रखें जायें ।

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये—

खंड संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
३२	श्री तुलसीदास	१५७
३८	श्री तुलसीदास	१५८ और १५९
३९	श्री यू० एम० त्रिवेदी	७०

खंड ४३

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २४, उपखंड (३), पंक्ति २५ और २६ में, " five

hundred rupees" [पांच सौ रुपये] शब्दों के पश्चात् "for everyday during which the default continues" [प्रत्येक दिन के लिये जब तक चूक जारी रहे] शब्द रखे जायें ।

इसके बाद निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये—

खंड संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
४३	श्री यू० एम० त्रिवेदी	७१
४३	श्री तुलसीदास	१६०
४४	श्री यू० एम० त्रिवेदी	७२
४५	श्री के० के० बसु	३७२
४६	श्री यू० एम० त्रिवेदी	७३

खंड ४८

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २६, उपखंड (४), पंक्ति २० में, "Securities" [प्रतिभूतियां] शब्द से पहले "other" [अन्य] शब्द हटा दिया जाय ।

खंड ५०

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २७, पंक्ति ३४ में,

(१) "on a company" [समवाय पर] शब्दों के पश्चात् "or an officer thereof" [अथवा उसके कोई पदाधिकारी] शब्द रखे जायें ।

(२) "sending it to its registered office" [उसके पंजीबद्ध कार्यालय में भेज कर] शब्दों के स्थान पर "sending it to the company or officer at the registered office of the company" [समवाय को या समवाय के पंजीबद्ध कार्यालय में किसी पदाधिकारी को भेज कर] शब्द रखे जायें ।

निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

खंड संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
५२	श्री के० के० बसु	३७३
५२	श्री झुनझुनवाला	३७४
६४	श्री तुलसीदास	१६१

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

श्री झुनझुनवाला : मैं ने संशोधन संख्या ३७४ प्रस्तुत किया है । आप पूछ सकते हैं कि इस संशोधन की आवश्यकता ही क्या है । मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसको कुछ नम्र शब्दों में ही रखने के लिये ही यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि कोई अंशधारी यह चाहे कि लाभांश अधिपत्र इत्यादि पत्र उसके पास रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजे जायें तो इसके खर्च का भार समवाय पर नहीं अपितु उस अंशधारी पर पड़ना चाहिये ।

प्रायः समवाय किसी भी बैठक के नोटिस अथवा लाभांश अधिपत्र अंशधारियों को साधारण डाक के द्वारा भेज देते हैं । जो कभी कभी रास्ते में ही कहीं गड़बड़ हो जाते हैं, जिस से कि अंशधारियों को इस बात की शिकायत होती है और वे यह चाहते हैं कि ये पत्र रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजे जायें । परन्तु समवाय रजिस्टर्ड डाक पर इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं । इसीलिए मेरा यह कथन है कि यह सारा खर्च समवाय पर नहीं लादा जाना चाहिए । यदि कोई अंश-

[श्री झुन झुन वाला]

धारी यह चाहता है कि उसे पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जायें तो वह खर्च उसे स्वयं वहन करना होगा ।

श्री के० के० बसु : मैं ने इन खण्डों के सम्बन्ध में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं । खण्ड ५ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ३७२ है और खण्ड ५२ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ३७३ है । संशोधन संख्या ३७२ संविदाओं के रूप से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध के विषय में है । इस संशोधन के द्वारा मैं खण्ड ४५ के उपखण्ड-(१) में एक परन्तुक जोड़ना चाहता हूं ।

देश की वर्तमान अवस्था में किसी भी समवाय के लिए ऐसे संविदा करना आवश्यक होगा जो संभव है कि लिखित रूप में न हों । परन्तु ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि बेईमान समवाय इस उपबन्ध का अनुचित लाभ उठाते हैं । अतः मैं यह चाहता हूं कि किसी केन्द्रीय प्राधिकार को यह अधिकार दिया जाये कि वह यह निर्णय कर सके कि अमुक प्रकार के समवायों को हो, जिनको सौदे के सौदे करने पड़ते हैं, अमुक धन राशि तक के और एक विशेष कालावधि तक के संविदा करने के अधिकार हैं । किसी केन्द्रीय प्राधिकार को यह निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

मेरे अन्य संशोधन का सम्बन्ध अंशधारियों को नोटिस भेजे जाने से है । इस संशोधन में मैं ने इस बात का सुझाव दिया है कि यदि कोई अंशधारी समवाय को पहले ही सूचित कर दे कि उसे नोटिस अथवा लाभांश अधिपत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जायें, तो समवाय का कर्तव्य है कि वह वैसे ही करे । यदि समवाय के निदेशक किन्हीं अंशधारियों को नोटिस के द्वारा सूचना देना ही न चाहते हों तो वह यह कर सकते हैं कि नोटिस भेजे ही नहीं और शिकायत होने पर कह दें कि उन्हें नोटिस भेजा गया था । उनके भेजे जाने का कोई प्रमाण नहीं होता है । समवाय के खातों में लिखा होता है कि नोटिस भेजे गये । इसलिये मेरा सुझाव है कि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जायें ।

वैसे तो संयुक्त समिति में भी इस बात पर चर्चा की गई थी । और यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसा करने में समवायों को बहुत खर्च करना पड़ेगा । परन्तु मैं अपने संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र आदि उसी अंशधारी को भेजे जायें जो कि ऐसा करने के लिये पहले ही से सूचित कर दे । परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि रजिस्टर्ड डाक का खर्च उस अंशधारी को वहन करना पड़े । मेरा दृष्टिकोण यह है कि अंशधारियों को नोटिस इत्यादि इस प्रकार से भेजे जायें जिससे कि उनमें कोई गड़बड़ी न की जा सके ।

अब मैं श्री यू० एम० त्रिवेदी द्वारा प्रस्तावित खंड संख्या २० के संशोधन संख्या २१ को लेता हूं । मैं प्रस्तुत संशोधन से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि समवायों का पंजीयन करने से इन्कार करने के जो अधिकार सरकार को दिये जा रहे हैं, उनकी कोई सीमा होनी चाहिये । अब जो अधिकार दिये गये हैं वह बहुत अधिक हैं । मैं नहीं जानता कि ऐसे कोई नियम हैं जिनके अनुसार यह कहा जा सकता है कि अमुक नाम अवांछनीय है और कोई भी उन नामों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं कर सकता है । मैं यह भी चाहता हूं कि किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा सरकार स्पष्टतया यह घोषित

कर दे कि अमुक अमुक नाम अवांछनीय हैं नहीं तो वांछनीयता और अवांछनीयता में कोई अन्तर ही नहीं किया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे मित्र के संशोधन की भावना को समझेगी और ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे कि समवाय प्रवर्तकों को मालूम हो जाये कि अमुक नाम सरकार द्वारा अवांछनीय समझे जायेंगे।

श्री एस० एस० मोरे ने खण्ड ३२(१)(ग) का विरोध किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें इस उपबन्ध में क्या आपत्ति है। यह तो हम को ज्ञात है कि प्रबन्ध अभिकर्ता पूर्णतया सत्य निष्ठ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक ऐसे समवाय हों जिन के प्रबन्ध अभिकर्ता सत्यनिष्ठ हों; परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि सभी सत्य निष्ठ हैं। परन्तु साधारण विनियोजक को किसी समवाय में धन लगाने से पूर्व उस की स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। वह अन्तर्नियम आदि नहीं देखते हैं, वह तो निदेशकों के नाम आदि ही देख लेते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि किसी भी समवाय को पंजीबद्ध करने से पूर्व सरकार उस के क़रार की सभी शर्तों को पहले अच्छी प्रकार से देख ले ताकि उस की स्थिति का उसे पूरा ज्ञान हो सके। इस से अंशधारियों को बहुत लाभ होगा।

कोई भी समवाय अपनी किसी भी सामान्य बैठक में अपने क़रार का पुनरीक्षण कर सकता है। परन्तु मेरा प्रस्ताव यह है कि अंशधारी को पूरी स्थिति का ज्ञान होना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे: वैसे तो मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत हूं, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जबकि कोई क़रार अपूर्ण अवस्था में ही हो, उसे प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री के० के० बसु : मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि पंजीयन का प्रमाण पत्र देने से पूर्व रजिस्ट्रार को यह ज्ञात होना चाहिये कि उस समवाय की वास्तविक स्थिति क्या है और ऐसा करने से इसके बारे में अंशधारियों को भी ज्ञान हो जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : जब विवरण पत्रिका भेजी जायेगी तो अंशधारी स्वयमेव जान जायेंगे कि समवाय की स्थिति क्या है।

श्री के० के० बसु : मैं कहना यह चाहता हूं कि पंजीयन के समय रजिस्ट्रार को पता होना चाहिये कि समवाय की वास्तविक स्थिति क्या है। पंजीयन से पूर्व रजिस्ट्रार को विवरण पत्रिका, अन्तर्नियमों, ज्ञापन इत्यादि को देखने का अधिकार है। यह मैं मानता हूं कि क़रार का पुनरीक्षण करने का अधिकार प्रवर्तकों को है।

श्री तुलसीदास : प्रबन्ध अभिकरण क़रार सरकार के अनुमोदनापेक्ष होते हैं। सरकार ने अभी तक उस का अनुमोदन किया ही नहीं है, तो किसी ऐसे क़रार को पंजीबद्ध कैसे किया जा सकता है ? अतः यह एक व्यर्थ का संशोधन है।

श्री के० के० बसु : मान लीजिये कोई समवाय स्थापित किया जाता है। तो क्या ऐसी अवस्था में रजिस्ट्रार के लिये यह जानना आवश्यक नहीं है कि उस की वास्तविक स्थिति क्या है ? इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि पंजीयन से पूर्व उस समवाय की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाना अत्यावश्यक है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं सर्वप्रथम नोटिस आदि भेजने के प्रश्न को लेता हूं। खण्ड ५२ की उपधारा (३)

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में उपबन्ध है कि नोटिस को किसी समाचार पत्र के द्वारा परिचालित किया जा सकता है और इस परिचालन को वैध समझा जायेगा। समवाय पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि वह नोटिस डाक द्वारा भेजे। खण्ड ५२(१) में भी आभार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नोटिस केवल डाक द्वारा ही भेजा जाये। वहां लिखा है कि नोटिस या तो वैयक्तिक रूप से दिया जाये अथवा डाक द्वारा भेजा जाये। डाक द्वारा भेजे जाने से यही समझा जाता है कि वह अंशधारी को मिल गया होगा। उपखंड (३) में यही दो विकल्प हैं।

अब जहां तक डाक का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से बेईमान व्यक्ति होते हैं जोकि रजिस्टर्ड पत्रों तक को "लेने से इन्कार किया" लिखवा कर वापिस लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से डाक द्वारा भेजे हुए नोटिस प्रायः प्राप्त नहीं हुआ करते, और फिर कई बार पते भी ठीक नहीं लिखे जाते हैं। इसलिये यदि कोई व्यक्ति समवाय को ऐसा लिखता है कि उसे नोटिस आदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाय तो ऐसा करना समवाय का कर्तव्य है और इस डाक का खर्च भी समवाय को ही वहन करना चाहिये।

श्री एम० सी० शाह : जहां तक श्री झुन-झुनवाला के संशोधन का सम्बन्ध है, हम सिद्धान्त रूप से उसे स्वीकार करते हैं। उस की केवल भाषा बदलनी पड़ेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक द्वितीय प्रश्न--अर्थात् क्या प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साथ हुए क़रारज्ञापन के साथ ही पंजीबद्ध किये जाय--का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि क़रार की वर्तमान स्थिति शून्य के बराबर है। बिना हस्ताक्षर हुए तो हम इसे क़रार कह ही नहीं सकते। इस का कोई मूल्य ही नहीं है। जब तक अंशधारियों की साधारण बैठक उस को स्वीकार न कर ले तब वह करार व्यर्थ है चाहे वह पंजीबद्ध कराया गया हो या न कराया गया हो। साथ ही खंड ३२५ के अनुसार सरकार कोई भी शर्त लागू कर सकती है, इसलिये उस क़रार का मूल्य ही क्या है ?

श्री तुलसीदास द्वारा पूछे गये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उन्हों ने यह कहा था कि विवरण पत्रिका के जारी होने से पूर्व क़रार के बारे में किसी को बताना आपत्तियों से खाली नहीं है। संयुक्त समिति ने भी इस बात पर बल नहीं दिया है कि विवरण पत्रिका के जारी किये जाने से पूर्व ही करार को पंजीबद्ध करा लिया जाये। वह संभवतः पंजीयन पर बल इसलिये दे रहे हैं कि लोगों को पता लग जाये कि कौन कौन प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किये जा रहे हैं और उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है। परन्तु वर्तमान स्थिति में तो सभी को ज्ञात है कि उन्हें आठ प्रतिशत अथवा अधिक से अधिक दस प्रतिशत प्राप्त हो सकेगा नियुक्ति की शर्तें वर्तमान विधान द्वारा निश्चित कर दी गई हैं। हम जानते हैं कि उन को शक्तियां क्या हैं। अतः इन परिस्थितियों में इन बातों से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः प्रस्तुत संशोधन बहुत अच्छा है और इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।